रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D.)72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 346] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 26, 1980/श्रावण 4, 1902

No. 346] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 26, 1980/SRAVANA 4, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सिंचाई मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1980

का० आ० 577 (आ).— केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 1422, तारीख 10 अप्रैल, 1969 द्वारा, अन्तर्राज्यिक नदी, गोदावरी और उसकी नदी घाटी की बाबत जल विवाद का अधिनिर्णय करने के लिए गोदावरी जल विवाद अधिकरण का गठन किया था ;

और उक्त अधिकरण ने उसे निर्दिष्ट विषयों के संबंध में अन्वेषण किया और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट अग्रेषित की थी जिसमें, वे तथ्य वर्णित हैं, जो उसके समक्ष आए थे और उसे निर्दिष्ट विषयों पर उसका विनिश्चय भी दिया गया है ;

और उक्त विनिश्चय पर विचार करके केन्द्रीय सरकार तथा आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने उक्त अधिकरण को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (3) के अधीन निर्देश किए थे और अधिकरण ने ऐसे निर्देशों पर केन्द्रीय सरकार को उक्त उपधारा के अधीन एक अतिरिक्त रिपोर्ट अग्रेषित की है जिसमें ऐसे स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन दिए गए हैं जो उसने ठीक समझे हैं ।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिकरण द्वारा उसकी अतिरिक्त रिपोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरण और मार्गदर्शनों के अनुसार यथाउपान्तरित उक्त अधिकरण के विनिश्चय को प्रकाशित करती है ।

अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरण और मार्गदर्शनों द्वारा उपान्तरित रूप में गोदावरी जल विवाद अधिकरण का विनिश्चय,

"अधिकरण का अंतिम आदेश"

अधिकरण निम्नलिखित आदेश पारित करता है :—

खण्ड I

सभी राज्य गोदावरी द्रोणी में अपने-अपने राज्यक्षेत्र के भीतर भूमिगत जल का उपयोग कर सकते हैं और ऐसा उपयोग की गणना गोदावरी नदी के जल के उपयोग के रूप में नहीं की जाएगी ।

खण्ड II

उपयोग के अंतर्गत गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों के जल का किसी राज्य द्वारा घरेलू, नगरपालिक, सिंचाई, औद्योगिक, विद्युत उत्पादन, नौपरिवहन, मत्स्यपालन, वन्य प्राणी संरक्षण, आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए किया गया उपयोग और उपयुक्त प्रयोजनों के लिए सृजित भंडारकरण से उद्वाष्पन हानियां भी होंगी ।

खण्ड III

(क) नीचे स्तंभ (1) में वर्णित जल के उपयोग का माप स्तंभ (2) में उपदर्शित रीति से किया जाएगा

उपयोग	माप
1	2
(1) सिंचाई उपयोग	नदी, या उसकी सहायक नदियों से या किसी जलाशय, संग्रहण या नहर से दिक्-परिवर्तित या उठाई गयी मात्रा का

1	2
	100 प्रतिशत और इन भंडारकरणों में 100 प्रतिशत उद्वाष्पन ।
(2) विद्युत उपयोग	भंडारकरण में 100 प्रतिशत उद्वाष्पन हानि
(3) श्रेणी के भीतर घरेलू और नगरपालिक जल प्रदाय	नदी या उसकी किसी सहायक नदी या किसी जलाशय, भंडारकरण या नहर से विक्परिवर्तित या उठाए गए जल की मात्रा का 20 प्रतिशत
(4) द्रोणी के भीतर औद्योगिक उपयोग	नदी या उसकी किसी सहायक नदी या किसी जलाशय भंडारकरण या नहर से विक्परिवर्तित या उठाए गए जल की मात्रा का 2.5 प्रतिशत
(5) द्रोणी से नहर के सभी उपयोग	नदी या उसकी किसी सहायक नदी या किसी जलाशय या भंडारकरण या नहर से विक्परिवर्तित या उठाए गए जल की मात्रा का 100 प्रतिशत

(ख) उपखण्ड (क) में या पक्षकारों के बीच करारों में यथा उपबंधित के सिवाय, उपयोग का माप गोदावरी नदी के जल के किसी भी रीति से हुए ह्रास तक किया जाएगा । इसमें मानव निर्मित जलाशयों और अन्य संकर्मों से उद्वाष्पन और अन्य कारणों से होने वाली जल की हानि भी सम्मिलित है । सिंचाई के लिए उपयोग की दशा में ऐसा जल की वह मात्रा जो ऐसे उपयोग के पश्चात् नदी में वापस आ जाती है, घटाई नहीं जाएगी ।

(ग) गोदावरी नदी प्रणाली की जल धारा के निकट किसी जलाशय में किए गए जल की गणना जल धारा के ह्रास के रूप में नहीं की जाएगी किन्तु जल की उस सीमा तक की हानि की गणना की जाएगी जो ऐसे जलाशय से उद्वाष्पन और अन्य प्राकृतिक कारणों से होती है, किसी जल वर्ष में किसी राज्य द्वारा अपने उपयोग के लिए ऐसे जलाशय से विक्परिवर्तित जल की उस जल वर्ष में उक्त राज्य द्वारा उपयोग के रूप में गिना जाएगा ।

(घ) यदि किसी जल वर्ष में कोई राज्य उस वर्ष के दौरान उसे आबंटित जल के किसी भाग का उपयोग करने में अपनी परियोजनाओं के अविकास या उसकी किसी परियोजना को हुई हानि के कारण समर्थ नहीं है या किसी भी कारण से उसका उपयोग नहीं करता है तो वह राज्य किसी पश्चात्-वर्ती जल वर्ष में उपयोग नहीं किए गए जल के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

(छ) किसी जल वर्ष के दौरान किसी राज्य के, उसे आबंटित जल के किसी भाग का उपयोग करने में असफल रहने का अर्थ किसी पश्चात्वर्ती जल वर्ष में जल में उसके अंश का समपहरण या परित्याग, नहीं होगा और न ही इससे पश्चात्वर्ती जल वर्ष में किसी अन्य राज्य के अंश में, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे राज्य ने ऐसा जल का उपयोग किया है, वृद्धि होगी ।

खण्ड IV

प्रत्येक सम्बद्ध राज्य गोदावरी द्रोणी से उसे आबंटित गोदावरी जल के अंश का कोई भाग किसी अन्य द्रोणी में विक् परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

खण्ड V

निम्नलिखित करारों का जहां तक उनका संबंध गोदावरी नदी और गोदावरी द्रोणी से है, पालन और क्रियान्वयन किया जाएगा ।

क. कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा और आंध्रप्रदेश के बीच तारीख 19 दिसम्बर, 1975 को किया गया करार जो इससे उपाबद्ध है और जिसे उपाबंध 'क' अंकित किया गया है और जिसमें वे गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों के जल का प्रयोग निम्नानुसार करने के लिए परियोजनाओं की निकासी के लिए सहमत है ।

(क) कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच 17 सितम्बर, 1975 को हुआ करार--उपाबंध I

(ख) महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच 6 अक्तूबर, 1975 को करार हुआ--उपाबंध II

(ग) मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच 7 नवम्बर, 1975 को हुआ करार--उपाबंध III

(घ) उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच 9 दिसम्बर, 1975 को हुआ करार--उपाबंध IV

ख. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और आंध्र प्रदेश के बीच तारीख 7 अगस्त, 1978 को हुआ करार जो इससे उपाबद्ध है और जिसे उपाबंध "ख" अंकित किया गया है । यह करार नीचे वर्णित करार, तारीख 2 अप्रैल, 1980 के उपबंधों के अधीन रहते हुए है ।

ग. आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के बीच तारीख 4 अगस्त, 1978 को हुआ करार जो इससे उपाबद्ध है और जिसे उपाबंध 'ग' अंकित किया गया है ।

घ. उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच तारीख 15 दिसम्बर, 1978 को हुआ करार जो इससे उपाबद्ध है और जिसे उपाबंध 'घ' अंकित किया गया है । यह करार नीचे वर्णित करार, तारीख 2 अप्रैल, 1980 के उपबंधों के अधीन रहते हुए है ।

ङ. कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच करार जिसके साक्ष्यस्वरूप तारीख 29 जनवरी, 1979, 30 जनवरी, 1979 और 31 जनवरी, 1979 के पत्र हैं । इससे उपाबद्ध इस करार को उपाबंध 'ङ' अंकित किया गया है ।

च. उड़ीसा और मध्यप्रदेश राज्यों के बीच तारीख 11 जुलाई, 1979 को हुआ करार जो इससे उपाबद्ध है और इसे उपाबंध 'च' में अंकित किया गया है ।

छ. आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच तारीख 2 अप्रैल, 1980 को हुआ करार जो इससे उपाबद्ध है और जिसे उपाबंध 'छ' अंकित किया गया है ।

खण्ड VI

भारत सरकार की ओर से प्रस्तुत तारीख 3 अप्रैल, 1980 के कथन के, जो इससे उपाबद्ध है और जिसे उपाबंध 'ज' अंकित किया गया है, अनुसार हम निदेश देते हैं कि--

(1) पोलावरम परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा, यथासंभव शीघ्रता के साथ एफ आर एल 1 एम डब्ल्यू एल+150 फुट के लिए निकासी की जाएगी ;

(2) बांध के डिजाइन और उसके प्रचालन कार्यक्रम का मामला केन्द्रीय जल आयोग पर छोड़ दिया गया है जो पक्षकारों के बीच के सभी करारों को, जिसमें तारीख 2 अप्रैल, 1980 का करार भी सम्मिलित है, यथासाध्य, ध्यान में रखते हुए विनिश्चय करेगा ;

(iii) यदि प्रचालन कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जाना है, जैसा कि 2 अप्रैल, 1980 के करार में उपवर्णित है, तो वह आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश और उड़ीसा राज्यों से परामर्श के पश्चात् ही किया जाएगा । किन्तु डिजाइन संबंधी मामलों को पूर्णतः केन्द्रीय जल आयोग के लिए छोड़ दिया गया है ।

(2) आंध्र प्रदेश राज्य, केन्द्रीय जल आयोग के निदेशानुसार पोलावरम् परियोजना के संबंध में सभी रक्षोपायों का, जिसमें ऊपर उपखण्ड (1) में वर्णित रक्षोपाय भी है, पालन करेगा ।

खण्ड 7

इस अधिकरण के आदेश की कोई बात किसी राज्य के अपनी सीमाओं के भीतर जल का उपयोग, विनियमित करने या उस राज्य के भीतर जल की प्रसुविधा का ऐसी रीति में उपयोग करने के जो इस अधिकरण के आदेश से असंगत नहीं है, अधिकार या शक्ति या प्राधिकार का ह्रास नहीं करेगी ।

खण्ड 8

इस आदेश में

(क) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के अंदर किसी व्यक्ति या किसी भी प्रकृति की सत्ता द्वारा गोदावरी नदी के जल के उपयोग को उस राज्य द्वारा उपयोग के रूप में गिना जाएगा ।

(ख) उसके व्यकरणिक रूप के भेदों और सजातीय पदों के साथ "गोदावरी जल"--पद के अंतर्गत गोदावरी नदी की मुख्य जल धारा, उसकी सभी सहायक नदियां और ऐसी अन्य सभी जल धाराएं है जिनसे गोदावरी नदी में जल प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आता है ।

(ग) गोदावरी द्रोणी की उपद्रोणी से इससे उपाबद्ध और उपाबंध "ग" अंकित कथन में वर्णित उपद्रोणियां अभिप्रेत हैं ।

(घ) करारों में विनिर्दिष्ट जल की मात्राओं का उपयोग 1 जून से आरंभ होने वाले और 31 मई को समाप्त होने वाले जल वर्ष के लिए है ।

खण्ड 9

इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात पक्षकारों के बीच करार द्वारा या संसद् द्वारा विधायन द्वारा सभी पूर्वगामी खण्डों या उनमें से किसी के परिवर्तन, संशोधन या उपान्तरण को निवारित नहीं करेगी ।

खण्ड 10

(क) महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकारें अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के अपने अपने खर्च वहन करेंगी । अधिकरण के व्यय महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों द्वारा बराबर-बराबर अंशों में वहन और संवत्त किए जाएंगे । इन निवेशों का संबंध अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(1) के अधीन निर्देश से है ।

(ख) भारत सरकार और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकारें उक्त अधिनियम की धारा 5(3) के अधीन निर्देशों में अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगी । पूर्वोक्त निर्देशों की बाबत अधिकरण के व्यय महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश और उड़ीसा की सरकारों द्वारा बराबर-बराबर अंशों मे वहन और संवत्त किए जाएंगे ।

उपाबन्ध "क"

गोदावरी नदी बेसिन करार

गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग के विषय में नई दिल्ली में 19 जुलाई, 1975 को हुई बैठक के पश्चात् आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के पाँच राज्यों के बीच कुछ विचार विमर्श हुआ और उस विचार विमर्श के अनुसरण में इसमें आगे वर्णित राज्यों के बीच निम्नलिखित करार किया गया है, अर्थात्:—

(क) कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के बीच 17-9-1975 को हुआ करार —उपाबन्ध-I

(ख) महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के बीच 6-10-1975 को हुआ करार —उपाबन्ध-II

(ग) मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के बीच 7-11-1975 को हुआ करार —उपाबन्ध-III

(घ) उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच 9-12-1975 को हुआ करार —उपाबन्ध-IV

कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों ने उक्त द्विपक्षीय करारों पर नई दिल्ली में 19-12-1975 को हुई अपनी बैठक में विचार किया है ।

अब कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य उक्त करारों के अनुसार गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग के लिए परियोजनाओं की मंजूरी और अनुमति दिए जाने के लिए इसके द्वारा करार करते हैं। किन्तु इन करारों की कोई भी बात किसी राज्य द्वारा अन्य राज्य के साथ किसी अन्य जल विवाद में अपनी दलीलों के बारे में अथवा गोदावरी और उसकी सहायक नदियों में जल की शेष मात्रा के अंशभाजन के संबंध में विवाद के बारे में रियायत नहीं समझी जाएगी। इस करार में राज्य से उक्त पांच राज्यों में से कोई भी राज्य अभिप्रेत है।

पांचों बेसिन राज्य इस बात के लिए सहमत हैं कि यह करार गोदावरी जल विवाद अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अभिसाक्ष्य स्वरूप हम संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्री इस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं।

नई दिल्ली,

दिसम्बर 19, 1975

ह०/—
(के० एन० सिंह)
उपमंत्री
कृषि और सिंचाई मंत्रालय
भारत सरकार ।
की उपस्थिति में—

ह०/—
(जगजीवन राम)
कृषि और सिंचाई मंत्री
भारत सरकार ।

ह०/—19-12-75
(जे० बेंगलराव)
मुख्य मंत्री,
आन्ध्र प्रदेश

ह०/—19-12-75
(डी० देवाराज अर्स)
मुख्य मंत्री
कर्नाटक

ह०/—19-12-1975
(पी० सी० सेठी)
मुख्य मंत्री
मध्य प्रदेश

ह०/—
29-12-75
(एस० बी० चह्वाण)
मुख्य मंत्री
महाराष्ट्र

ह०/—
(नन्दनी सतपथी)
मुख्य मंत्री
उड़ीसा

उपाबंध—I

कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों के बीच बंगलौर में 17 सितम्बर, 1975 को हुई बैठक का कार्यवृत्त

इसमें निम्नलिखित उपस्थित थे :

कर्नाटक	आन्ध्र प्रदेश
1. श्री डी० देवराज अर्स मुख्य मंत्री	1. श्री जे० वेंगल राव मुख्यमंत्री
2. श्री सुभाष अस्तर, बड़ी और मध्यम सिंचाई के लिए राज्यमंत्री	2. श्री चि० सुब्बायुडू नगर पालिका शासन मंत्री
3. श्री जी० वी० के० राव, मुख्य सचिव	3. श्री सी० आर० कृष्णास्वामी रावसाहेब, मुख्य मंत्री के सचिव ।
4. श्री आई० एम० मेग्डम, सरकार के विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग ।	4. श्री एम० गोपालकृष्णन्, सचिव सिंचाई और विद्युत
5. जे० सी० लाइन, मुख्यमंत्री के सचिव	5. श्री बी० गोपालकृष्णमूर्ति विशेष अधिकारी, जल-साधन
6. श्री बी० सुब्रामणियम अधीक्षण इंजीनियर डब्ल्यू० आर० डी० ओ०	6. श्री जी० के० एस० आयंगर, अधीक्षण इंजीनियर, अन्तरराज्यिक-1 जल-साधन
7. श्री ए० बी० शंकर राव अधीक्षण इंजीनियर डब्ल्यू० आर० डी० ओ०	
8. श्री एस० के० मोहन, सरकार के अवर सचिव लोक निर्माण विभाग	

1. विचार विमर्श कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में निजाम सागर के ऊर्ध्वप्रवाह परियोजनाओं के लिए अनुमति दिए जाने के संबंध में थे।

2. पूरे विचार विमर्श के पश्चात् अन्तरिम उपाय के रूप में निम्नलिखित बातों पर सहमति हुई :

(क) कर्नाटक निम्नलिखित दो परियोजनाओं के संबंध में कार्य आगे बढ़ा सकता है और जल का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा जैसा कि प्रत्येक परियोजना के सामने बताया गया है :

परियोजना का नाम	जल का उपयोग
(i) करंजा परियोजना	13.10 टी एम सी फीट
(ii) चुलकीनाला परियोजना	1.17 टी एम सी फीट

(ख) आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद नगर के लिए पेयजल के प्रयोजन के लिए 4 (चार) टी एम सी फीट के प्रत्याहरण के लिए सिंगूर में जलाशय के निर्माण का कार्य आगे बढ़ा सकता है ।

3. आन्ध्र प्रदेश ने बताया कि उनका प्रस्ताव सिंगूर में 30 टी एम सी फीट धारिता का एक जलाशय निर्मित करने की प्रस्थापना करता है और यह कि इसके परिणामस्वरूप कर्नाटक राज्य में कुछ भूमि जल में डूब सकती है । ऐसी सूरत में परियोजना के संबंध में और कर्नाटक की उस भूमि के बारे में जो जल में डूब सकती है ब्यौरा कर्नाटक सरकार को उनके विचार के लिए प्रस्तुत दिया जाएगा । कर्नाटक ने कहा कि जलाशय से वाष्पीकरण के द्वारा होने वाली हानि आन्ध्र प्रदेश के अंश में से होनी चाहिए ।

4. आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री मंजीरा उप बेसिन में परियोजना के निर्माण के बारे में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से भी विचार-विमर्श कर रहे हैं । यदि कोई सहमति होती है तो उसका ब्यौरा कर्नाटक सरकार को उपलब्ध किया जाएगा जिससे कि तीनों राज्य सरकारें परस्पर संगत करार कर सकें ।

5. इन तीन राज्यों के बीच होने वाले अन्तरिम करार का ब्यौरा भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और उपयुक्त समय पर अधिकरण के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा ।

डी० देवराज अर्स	जे० वेंगल राव
मुख्य मंत्री	18-9-1975
कर्नाटक	मुख्य मंत्री आन्ध्र प्रदेश

उपाबंध— 2

महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच 6 अक्तूबर, 1975 को हैदराबाद में हुई बैठक का कार्यवृत्त

इसमें निम्नलिखित उपस्थित थे :—

आन्ध्र प्रदेश	महाराष्ट्र
1. श्री जे० वेंगलराव, मुख्य मंत्री	1. श्री एस० बी० चह्वाण, मुख्य मंत्री
2. श्री जे० चोका राव, कृषि और परिवहन मंत्री	2. श्री बी० बी० पाटिल, सिंचाई मंत्री
3. श्री एन० भगवानदास, आई०ए०एस० मुख्य सचिव	3. श्री एम. एन० फाडके, बैरिस्टर-एट-ला
4. श्री पी० रामाचन्द्रा रेड्डी महाधिवक्ता	4. श्री बी० आर० दयोस्कर, सचिव सिंचाई विभाग
5. श्री ए० कृष्णस्वामी, आई० ए० एस० प्रथम सदस्य, राजस्व बोर्ड	5. श्री एम० जी० पाध्ये, मुख्य इंजीनियर (डब्ल्यू आर) और संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग
6. श्री सी०आर० कृष्णास्वामी राव साहिब, आई ए० एस० मुख्यमंत्री के सचिव	6. श्री के० एस० शंकर राव, एस० ई० तथा उप सचिव सिंचाई विभाग
7. श्री एम० गोपालकृष्णन, आई० ए० एस० सचिव, सिंचाई और विद्युत	7. श्री श्रीधर राव जोशी, विशेष अधिकारी, सिंचाई विभाग ।
8. श्री पी० सीतापति, आई० ए० एस० संयुक्त सचिव, सिंचाई और विद्युत	
9. श्री पी० गोपालकृष्णमूर्ति, विशेष अधिकारी, जल-साधन	
10. श्री एम० जफर अली, सलाहकार, सिंचाई ।	

11. श्री बी० बी० शास्त्री,
सरकारी प्लीडर

12. श्री जी० के० एस० आयंगर,
एस० ई०, अन्तरराज्यिक
सर्कल-1

विचार विमर्श गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों पर परियोजनाओं का अनुमोदन किए जाने और उनके जल के उपयोग के संबंध में हुआ ।

पूरे विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित बातों पर सहमति हुई :—

I. महाराष्ट्र गोदावरी पर पैथन बांध स्थल तक और पूरना पर सिद्धेश्वर बांध स्थल तक सभी जल का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकता है ।

II. (i) गोदावरी पर पैथम बांध स्थल के नीचे गोदावरी बेसिन के क्षेत्र में और पूरना पर सिद्धेश्वर बांध स्थल के नीचे तथा मंजीरा पर निजाम सागर बांध स्थल के नीचे से लेकर गोदावरी पर पोचमपाद बांध स्थल तक महाराष्ट्र नई परियोजनाओं के लिए 60 टी एम सी से अनधिक जल का उपयोग कर सकता है जिसके अन्तर्गत यथास्थिति इस समय मंजूर या अनुमति प्राप्त उपयोग से अधिक कोई अतिरिक्त उपयोग भी है ।

(ii) आन्ध्र प्रदेश एफ आर एल 1091 और एम डब्ल्यू एल 1093 सहित अपनी पोचमपाद बांध परियोजना का निर्माण प्रारम्भ कर सकता है और वह पोचमपाद बांध स्थल तक सभी शेष जल का उपयोग ऐसी रीति में कर सकता है जो वह अपने फायदे के लिए चुने । महाराष्ट्र ऐसी भूमि या संरचनाओं को अर्जित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा जो पोचमपाद परियोजना के अन्तर्गत जलमग्न हो जाएगी और आन्ध्र प्रदेश अर्जन का खर्च, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास का खर्च और कुछ ऐसे पुल और सड़कों जो आवश्यक हो जाएं निर्मित करने का खर्च उठाने के लिए सहमत है । महाराष्ट्र नदी और सरिसातल के जलप्लावन के लिए भी सहमत है ।

III. (i) निजाम सागर बांध स्थल के ऊपर मंजीरा उप बेसिन में महाराष्ट्र नई परियोजनाओं के लिए 22 टी एम सी से अनधिक जल का उपयोग कर सकता है और इसके अन्तर्गत यथास्थिति इस समय मंजूर या अनुमति प्राप्त उपयोग से अधिक अतिरिक्त उपयोग भी है ।

(ii) आन्ध्र प्रदेश मंजीरा पर अपनी प्रस्तावित सिंगूर परियोजना से हैदराबाद नगर को पेय जल के प्रदाय के लिए 4 टी एम सी जल प्रत्याहृत कर सकता है ।

(iii) आन्ध्र प्रदेश 30 टी एम सी संचय धारिता वाली सिंगूर परियोजना का निर्माण कर सकता है । आन्ध्र प्रदेश निजाम सागर परियोजना के अधीन 58 टी एम सी का भी उपयोग कर सकता है ।

IV. महाराष्ट्र निजाम सागर बांध स्थल के ऊर्ध्वप्रवाह में मंजीरा उपबेसिन में कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित उपयोग के संबंध में आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के बीच हुए करार से सहमत है ।

V. महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश दोनों ही अलग अलग नई परियोजनाओं के लिए पोचमपाद बांध स्थल के नीचे 30 टी एम सी जल की अतिरिक्त मात्रा का उपयोग कर सकेंगे ।

VI. महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश सिद्धांत रूप में हितबद्ध राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा सामान्य रूप से यथा सहमत एफ आर एल के साथ इन्दम पल्ली परियोजना को प्रारम्भ करने के लिए सहमत हैं ।

VII. महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश तय पाए गए जल उपयोग सहित उपयुक्त समय पर निम्नलिखित संयुक्त परियोजनाएं प्रारम्भ करने के लिए सहमत हैं :—

(क) लेंडी परियोजना

(ख) लोअर पेनगंगा परियोजना

(ग) प्राणहिता परियोजना

और वे इस प्रयोजन के लिए संयुक्त समितियां स्थापित करने के लिए भी सहमत हैं ।

VIII. महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश राज्य इस बात से सहमत है कि यह करार भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और उपयुक्त समय पर गोदावरी जल विवाद अधिकरण के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा ।

ह०
(जे० बेंगल राव)
6-10-75
मुख्य मंत्री,
आन्ध्र प्रदेश

ह०
(एस० बी० चह्वाण)
6-10-75
मुख्य मंत्री,
महाराष्ट्र

उपाबन्ध-3

मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच 7 नवम्बर 1975 को नई दिल्ली में हुई बैठक का कार्यवृत्त

इसमें निम्नलिखित उपस्थित थे :—

मध्य प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश
1. श्री पी०सी० सेठी, मुख्य मंत्री	1. श्री जे० बेंगल राव, मुख्य मंत्री ।
2. श्री बी०आर०उइके, सिंचाई और बिजली मंत्री ।	2. श्री पी० रामचन्द्र रेड्डी, महाधिवक्ता ।
3. श्री मनोहर केशव, सचिव, सिंचाई और बिजली ।	3. श्री सी०आर० कृष्णास्वामी राव साहिब, मुख्यमंत्री के सचिव ।
4. श्री वाई०एस०चितले, ज्येष्ठ अधिवक्ता ।	4. श्री सी०एम० शास्त्री विशेष आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश सरकार ।
5. श्री आर०सी० जैन, आयुक्त, मध्य प्रदेश ।	5. श्री एम० गोपालकृष्णन सचिव, सिंचाई तथा विद्युत ।
6. श्री एस०आर० भाटिया, मुख्य मंत्री के सचिव ।	6. श्री बी० गोपालकृष्णामूर्ति, विशेष अधिकारी, जल साधन ।
7. श्री बी०एम० चितले, उपसचिव, सिंचाई ।	7. श्री बी० बी० शास्त्री, सरकारी प्लीडर ।
8. श्री एच०बी० महाजनी, अधीक्षण इंजीनियर, गोदावरी बेसिन सर्कल ।	8. श्री जी०के०एस० आयंगर, अधीक्षण इंजीनियर, अन्तर्राज्यिक सर्कल-1 ।

विचार विमर्श परियोजनाओं के अनुमोदन तथा गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग में संबंध में हुआ ।

पूरे विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित बातों पर सहमति हुई—

(i) मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में से प्रत्येक पोचमपाद बांध स्थल के नीचे गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों के जल में से 300 टी०एम०सी० जल की अतिरिक्त सकल मात्रा का उपयोग नई परियोजनाओं के लिए कर सकेगा ।

(ii) मध्य प्रदेश साधारणतः उस करार से सहमत है जो 6-10-75 को आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच हुआ था। उक्त खण्ड 1 में उल्लिखित 300 टी एम सी की मात्रा उस 300 टी० एम० सी० के अतिरिक्त नहीं होगी जो आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच तारीख 6-10-75 को हुए करार के अनुसार तय पाई गई है।

(iii) आन्ध्र प्रदेश के लिए उक्त खण्ड 1 और 2 में निर्दिष्ट 300 टी एम सी के लिए सहमत होने में मध्य प्रदेश ने अपनी ओर से केवल बेसिन के भीतर अनुमानित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है।

(iv) मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश संबंधित राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा समान रूप से तय पाए गए एफ०आर० एल० के सहित इन्द्रावती परियोजना को प्रारम्भ करने के लिए सिद्धांत रूप से सहमत है।

(v) यह भी करार किया जाता है कि मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश इन्द्रावती परियोजना एक संयुक्त परियोजना के रूप में जिसकी लागत और फायदे उक्त 3 राज्यों के बीच समान करार के अनुसार न्यायोचित रूप से बांटे जाएंगे, प्रारम्भ करने की संभाव्यता पर विचार करेंगे।

(vi) मध्य प्रदेश इस बात के लिए सहमत है कि आन्ध्र प्रदेश तालीपेरु परियोजना को प्रारम्भ करे जिसमें खण्ड 1 में तय पाए गए 300 टी एम सी जल में से 5 टी एम सी (कुल) जल का उपयोग और मध्य प्रदेश में केवल सरितापाट का निमज्जन सम्मिलित है। आन्ध्र प्रदेश अपने खर्च पर ऐसे संरक्षी उपाय करने के लिए सहमत है जो मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के निमज्जन को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के साथ परामर्श करके आवश्यक होंगे।

(vii) मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश राज्य यह करार करते हैं कि इस करार की कोई भी बात दोनों में से किसी भी राज्य द्वारा किसी अन्य राज्य के साथ किसी अन्य जल विवाद में या गोदावरी और उसकी सहायक नदियों के शेष जल के अंशभाजन के संबंध में विवाद के बारे में उनकी किसी दलील के संबंध में रियायत के रूप में नहीं मानी जाएगी।

(viii) मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश इस बात के लिए सहमत हैं कि यह करार भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और उससे अनुरोध किया जाएगा कि वह परियोजनाओं का शीघ्र अनुमोदन करदे। यह करार गोदावरी जल विवाद अधिकरण के समक्ष उपयुक्त समय पर संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

ह०	ह०
(पी०सी०सेठी)	(जे० वेंगल राव)
तारीख 7-11-75	तारीख 7-11-75
मुख्य मंत्री,	मुख्य मंत्री,
मध्य प्रदेश।	आन्ध्र प्रदेश।

उपाबन्ध—4

उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच 9-12-1975 को हुआ करार

उड़ीसा और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच 9 दिसम्बर 1975 को नई दिल्ली में हुई बैठक का कार्यवृत

इसमें निम्नलिखित उपस्थित थे :—

उड़ीसा	मध्य प्रदेश
1. श्रीमती नन्दिनी सतपथी, मुख्य मंत्री ।	1. श्री पी०सी० सेठी, मुख्य मंत्री ।
2. श्री दिव्य लोचन शेखर देव, सिंचाई और विद्युत मंत्री।	2. श्री वी०आर० उइके, सिंचाई और विद्युत मंत्री ।
3. श्री बी०के० मिश्र, अपर विकास आयुक्त।	3. श्री अजीज कुरेशी, सिंचाई और विद्युत के लिए राज्य मंत्री।
4. श्री एन०आर० होता, सचिव, सिंचाई और विद्युत ।	4. श्री मनीष वहल, सचिव सिंचाई और बिजली ।
5. श्री सुरेश चन्द्र त्रिपाठी, मुख्य इंजीनियर, सिंचाई ।	5. श्री. के०एल० हांडा, सिंचाई सलाहकार।
6. श्री के०एस०आर० चन्दन, विशेष आयुक्त सम्पर्क ।	6. श्री वाई० एस० चितले, ज्येष्ठ अधिवक्ता ।
7. श्री आर०के० रथ, मुख्यमंत्री के सचिव।	7. श्री आर०सी० जैन, आयुक्त, मध्य प्रदेश ।
8. श्री गोविन्द दास, ज्येष्ठ अधिवक्ता।	8. श्री वी० एम० चितले, उपसचिव, सिंचाई ।
9. श्री एम० लाथ, कार्यपालक इंजीनियर।	9. श्री एच० वी० महाजनी, अधीक्षण इंजीनियर ।

विचार विमर्श गोदावरी बेसिन के जल के उपयोग और मध्य प्रदेश और उड़ीसा की परियोजनाओं के अनुमोदन के संबंध में हुआ।

2. पूरे विचार विमर्श के पश्चात निम्नलिखित करार हुआ :—

I. जब तक गोदावरी के जल का अन्तिम रूप से आबंटन नहीं हो जाता है मध्य प्रदेश और उड़ीसा पोचमपाद बांध स्थल के नीचे गोदावरी बेसिन के जल में से क्रमशः 300 टी. एम सी. और 200 टी एम सी कुल अतिरिक्त जल का उपयोग कई परियोजनाओं के लिए ऐसी रीति में कर सकेंगे जैसी वे ठीक समझें।

II. उड़ीसा के लिए खण्ड (1) में निर्दिष्ट 200 टी एम सी के सहमत होने में मध्य प्रदेश ने अपनी ओर से केवल बेसिन के भीतर अनुमानित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है। विभिन्न खण्डों में उड़ीसा और मध्य प्रदेश द्वारा जितने जल के उपयोग की बात सोची गई है वह उक्त खण्ड एक में तय पाये गए क्रमशः 200 टी एम सी और 300 टी एम सी का भाग रूप ही होगा। उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्य पश्चातवर्ती खण्ड के आधार पर क्रमशः 200 टी एम सी और 300 टी एम सी से अधिक जल के किसी भी रूप में उपयोग के लिए हकदार नहीं होंगे।

III. उड़ीसा द्वारा यथा प्रस्थापित अपर इन्द्रावती परियोजना के बांध स्थल के नीचे मध्य प्रदेश के साथ लगने वाली उड़ीसा की सीमा तक इंद्रावती उपबेसिन में लगभग 1855 वर्ग मील का एक जलग्रहण क्षेत्र है। इस जलग्रहण क्षेत्र से जौरा नाला होकर साबरी (कोलाब) नदी तक कुछ प्राकृतिक जल प्रवाह होता है। यह करार हुआ उड़ीसा मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा पर इन्द्रावती और उसकी सहायक नदियों में 45 टी एम सी जल का प्रवाह इस बात के साथ सुनिश्चित करेगा कि उसमें से 75 प्रतिशत जल मध्य प्रदेश के उपयोग के लिए उपलब्ध रहे। जल की कमी वाले वर्षों में जल की कमी दोनों राज्यों के बीच आनुपातिक रूप से सहन की जाएगी और अपर इन्द्रावती और उसकी सहायक नदियों में जिस प्रवाह का आश्वासन दिया गया है वह भी आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा। दोनों राज्य जल प्राप्ति के आंकड़े अभिनिश्चित करने के लिए और 75 प्रतिशत निर्भरता पर 45 टी एम सी का प्रवाह या कमी वाले वर्षों में आनुपातिक रूप से ऐसा कम प्रवाह जो मिली जुली सीमा के नीचे प्रवाहित होना है सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त स्थानों पर संयुक्त रूप से माप करने का करार करते हैं। 45 टी एम सी की संख्या इस उपधारणा पर आधारित है कि उड़ीसा में इन्द्रावती उपबेसिन

से कुल 104 टी एम सी जल प्राप्त होगा और अपर इन्द्रावती परियोजना के लिए 91 टी एम सी जल का उपयोग होगा। यदि यह पाया जाता है कि 204 टी एम सी का निर्धारण अधिक है और सही अंक 204 टी एम सी से कम है तथा यह कि अपर इन्द्रावती परियोजना के लिए जल का उपयोग 91 टी एम सी से घट जाता है तो 45 टी एम सी का अंक उसी अनुपात में कम हो जाएगा जिस अनुपात में 91 टी एम सी के अंक में कमी होती है।

IV. उक्त खण्डों में समाविष्ट करार को दृष्टि में रखते हुए मध्य प्रदेश अपर इन्द्रावती परियोजना के, जो उड़ीसा ने भारत सरकार को प्रस्थापित और प्रस्तुत की थी, अनुमोदन और निष्पादन के लिए सहमत है। उड़ीसा भी बौद्ध घाट परियोजना के, जिस रूप में वह खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश द्वारा उपांतरित की जाए अनुमोदन और निष्पादन के लिए सहमत है।

V. यह करार किया जाता है कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा साबरी उपबेसिन में उस स्थान से जहां साबरी (कोलाब) नदी दोनों राज्यों के बीच मिली-जुली सीमा बनाती है, उस स्थान पर जहां वह नदी सिरेरु नदी से मिलती है, उपयुक्त समय पर तैयार किए जाने वाले समान करारों के आधार पर संयुक्त परियोजनाओं के प्रारम्भ करने की संभाव्यता पर विचार करेंगे। इन परियोजनाओं में जल विद्युत और ऐसी विद्युत के उत्पादन के लिए विकलनीय खर्च दोनों राज्यों के बीच न्यायोचित रूप से बराबर-बराबर अंश भाजित किया जायेगा। यदि इन परियोजनाओं से सिंचाई का कोई लाभ होता है तो वह और सिंचाई का खर्च दोनों राज्यों के बीच उचित रूप से अंश भाजित होगा। उड़ीसा मिली-जुली सीमा स्थल से ऊपर तथा उसके राज्य क्षेत्र के अन्दर आने वाले इस नदी के जल का फायदाप्रद उपयोग ऐसी रीति में कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

VI. साबरी (कोलाब) नदी पर संयुक्त परियोजनाओं के विषय में करार, जिसका उल्लेख खण्ड 5 में किया गया है, के होते हुए भी यदि दूसरे राज्य द्वारा अथवा गोदावरी बेसिन में किसी भी अन्य राज्य द्वारा प्रायोजित अन्य परियोजनाओं द्वारा उक्त दोनों राज्यों में किसी राज्य की भूमि और सम्पत्तियां जल निमग्न हो जाती हैं तो निमज्जन का प्रश्न और उससे संबंधित समस्याएं ऐसी परियोजनाओं के निष्पादन से पूर्व आपस में तय की जानी होंगी।

VII. मध्य प्रदेश और उड़ीसा यह करार करते हैं कि इस करार की कोई भी बात दोनों में से किसी भी राज्य द्वारा किसी अन्य राज्य के साथ किसी अन्य जल विवाद में या गोदावरी और उसकी सहायक नदियों के शेष जल के अंशभाजन के संबंध में विवाद के बारे में उनकी किसी दलील के संबंध में रियायत के रूप में नहीं मानी जाएगी।

VIII. मध्य प्रदेश और उड़ीसा इस बात के लिए सहमत हैं कि यह करार भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और उससे अनुरोध किया जाएगा कि वह परियोजनाओं का शीघ्र अनुमोदन कर दे। यह करार गोदावरी जल विवाद अधिकरण के समक्ष उपयुक्त समय पर संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जायगा।

ह०	ह०
नन्दिनी सतपथी	पी०सी० सेठी,
मुख्य मंत्री	मुख्य मंत्री
उड़ीसा	मध्य प्रदेश
तारीख 9-12-1975	तारीख 9-12-1975

(सत्यप्रति जो उड़ीसा के मुख्य मंत्री द्वारा, केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री को लिखे गए उनके अर्द्ध शासकीय पत्र 7173 तारीख 9-12-1975 के साथ प्राप्त हुआ है।)

ह०

एम०जे० देसाई
उप सचिव (एफ)
कृषि और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग)

उपाबन्ध "ख"

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के बीच किया गया करार

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच हुए विचार-विमर्श के आधार पर निम्नलिखित करार आन्ध्र प्रदेश राज्य में पोचमपाद बांध के अनुप्रवाह, गोदावरी और उसकी सहायक नदियों के जल के उपबेसिन के अनुसार आबंटन के संबंध में तारीख 19-12-1975 के अन्तरराज्यिक करार के अधीन करार पाए गए आबंटन को ध्यान में रखते हुए और उसको अग्रसर करते हुए तथा उसके अनुपूरक के रूप में उसमें वर्णित विभिन्न उपबेसिनों के समस्त जल के अंतिम रूप से आबंटन के लिए किया गया है।

(I) जी-5 मध्य गोदावरी उपबेसिन :

(1) महाराष्ट्र

महाराष्ट्र राज्य पोचमपाद बांध के अनुप्रवाह विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए मध्य गोदावरी उपबेसिन में 0.4 टी एम सी जल की मात्रा का उपयोग कर सकेगा।

(2) आन्ध्र प्रदेश

आन्ध्र प्रदेश राज्य पोचमपाद बांध के अनुप्रवाह मध्य गोदावरी उपबेसिन में से शेष समस्त जल का उपयोग कर सकेगा।

(II) जी-6 मनेर उप-बेसिन :

आन्ध्र प्रदेश

आन्ध्र प्रदेश राज्य मनेर उप-बेसिन के समस्त जल का उपयोग कर सकेगा ।

(III) जी-7 पेनगंगा उप-बेसिन :

(1) महाराष्ट्र

(क) महाराष्ट्र राज्य निम्नलिखित सीमा तक समस्त जल का उपयोग कर सकेगा :

(i) पेनगंगा नदी पर चिकल धर्रा के निकट लोअर पेनगंगा परियोजना स्थल अक्षांश 19°—55′ उत्तर और रेखांश 75°—15′ पूर्व इस शर्त के अधीन रहते हुए कि लोअर पेनगंगा परियोजना संयुक्त परियोजना के रूप में प्रारम्भ की जाएगी। संयुक्त परियोजना के ब्यौरे के बारे में महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश राज्यों द्वारा अलग से बात की जाएगी।

(ii) येलबारह ग्राम के निकट वाघडी नदी पर वाघडी परियोजना बांध स्थल, अक्षांश 20°-12′-30″ उत्तर और रेखांश 78°—18′—10″ पूर्व।

(iii) लिंग ग्राम के निकट खूनी नदी पर साइखेरा बांध—अक्षांश 20°—06′—30″ उत्तर और रेखांश 78°—28′—15″ पूर्व।

(ख) उक्त खण्ड (iii) (1) (क) (i) से लेकर (क) (iii) तक में विनिर्दिष्ट स्थानों तक के पेनगंगा उपबेसिन के समस्त जल के उपयोग के अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य पेनगंगा उप बेसिन के शेष भाग के जल से अपनी विद्यमान निर्माणाधीन और प्रस्थापित स्कीमों/परियोजनाओं के लिए 9 टी एम सी जल का उपयोग कर सकेगा। किन्तु इन में से प्रत्येक स्कीम या परियोजना पर वार्षिक उपयोग 1.5 टी एम सी से अधिक नहीं होगा।

(2) आन्ध्र प्रदेश

आन्ध्र प्रदेश राज्य पेनगंगा बेसिन के शेष जल का उपयोग कर सकेगा।

(IV) जी-8 वार्धा उप-बेसिन :

(1) मध्य प्रदेश :

(क) मध्य प्रदेश राज्य तारीख 18 दिसम्बर, 1968 के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच कुछ अन्तरराज्यिक सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं संबंधी करार के निबन्धनों के अनुसार अपनी ऐसी विद्यमान निर्माणाधीन और प्रस्थापित स्कीमों/परियोजनाओं के लिए जो महाराष्ट्र राज्य की विचाराधीन अपर वार्धा परियोजना के ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है, 9 टी एम सी जल का उपयोग कर सकेगा।

(ख) उक्त खण्ड (4) (1) (क) में वर्णित जल के उपयोग के अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य उपबेसिन के शेष भाग में अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित स्कीमों/परियोजनाओं के लिए 1 टी एम सी जल का उपयोग कर सकेगा।

(2) महाराष्ट्र :

(i) मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जल के उस उपयोग के अधीन रहते हुए जो ऊपर अनुबन्धित महाराष्ट्र राज्य अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए निम्नलिखित स्थानों तक वार्धा नदी और/या उसकी सहायक नदियों के समस्त जल का उपयोग कर सकेगा :

(क) उक्त पैरा (4) (1) (क) के अधीन रहते हुए तुलना ग्राम में वार्धा नदी पर तुलना परियोजना तक, अक्षांश 20°–12′ उत्तर और रेखांश 78°–75′ पूर्व।

(ख) तुलना परियोजना स्थल के अनुप्रवाह वर्धा नदी में मिलने वाली सहायक नदियों पर निम्नलिखित स्थानों तक :

(i) चरगांव परियोजना (निर्माणाधीन) जो चरगांव नदी पर है—अक्षांश 20°–23′–20″ उत्तर और रेखांश 79°–10′–45″ उत्तर

(ii) निर्गुडा परियोजना, अक्षांश 20°–03′ उत्तर और रेखांश 78°–53′–पूर्व, तथा

(iii) बांद्रा परियोजना अक्षांश 19°–40′–15″ उत्तर और रेखांश 79°–23′–55″ पूर्व।

(ii) खण्ड (IV) (2ङ) (i) (क) और (ख) में यथाविनिर्दिष्ट परियोजनाओं तक जल के उपयोग के अतिरिक्त उक्त परियोजना स्थलों के अनुप्रवाह वार्धा उपबेसिन में विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित स्कीमों के लिए निम्नलिखित जल के उपयोग का करार किया जाता है :—

(1)	मुधाली परियोजना	2.80 टीएमसी
(2)	धनोरा बंधिका से लिफ्ट सिंचाई	2.70 ,,
(3)	मरेड बंधिका से लिफ्ट सिंचाई	2.80 ,,
(4)	कहमान बंधिका से लिफ्ट सिंचाई	2.00 ,,
(5)	टोहेगांव बंधिका से लिफ्ट सिंचाई	1.60 ,,
(6)	सोनापुर बंधिका से लिफ्ट सिंचाई	2.00 ,,
(7)	उसागांव बुलसानी और चनुर लिफ्ट सिंचाई स्कीमें	3.00 ,,
(8)	अन्य स्कीमें जिनमें से प्रत्येक में अलग-अलग 1.5 टी एम सी से अधिक जल का उपयोग नहीं होता है।	9.10 ,,
	कुल :	26.00 ,,

परन्तु यदि उक्त (1) से (7) तक की मदों में से किसी के लिए आबंटन के लिए तय पाई गई जल की पूरी मात्रा इनमें से किसी परियोजना के उपयोग के लिए मंजूर नहीं की जाती है तो इसमें इसके पूर्व उक्त मद (1) से (7) तक की परियोजनाओं के लिए आबंटित जल की मात्रा का शेष भाग महाराष्ट्र राज्य द्वारा मद (1ङ) से (8) में यथा विनिर्दिष्ट अन्य परियोजनाओं में से किसी भी उपयोग के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए मंजूर की जा सकती है कि मद (1) से (8) तक यथा विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई समस्त जल की मात्रा का कुल उपयोग 26 टी एम सी से अधिक नहीं होगा।

(3) आन्ध्र प्रदेश

आन्ध्र प्रदेश राज्य वार्धा उपबेसिन के शेष समस्त जल का उपयोग कर सकता है।

(V) जी-9 प्रणहिता उप-बेसिन :

(i) मध्य प्रदेश

(क) मध्य प्रदेश राज्य प्रणहिता उप-बेसिन में नीचे बताए गए स्थानों तक विभिन्न विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए समस्त जल का उपयोग कर सकता है :

कानहन उप-घाटी :

(i) नन्दना एकीकृत परियोजना .

(क) नन्दना ग्राम के निकट कानहन नदी की सहायक नदी पर नन्दना बांध स्थल अक्षांश 20°–13′–0″ उत्तर और रेखांश 78°–28′–48″ पूर्व।

(ख) पिपरिया ग्राम के निकट कानहन नदी पर वेंकटवारी बांध स्थल अक्षांश 22°–12′–24″ उत्तर और रेखांश 78°–26′–48″ पूर्व।

(ii) अमला एकीकृत परियोजना

(क) अमला ग्राम के निकट बेल नदी पर अमला बांध स्थल अक्षांश 21°–55′–0″ उत्तर और रेखांश 78°–08′–50″ पूर्व।

(ख) परसादी ग्राम के निकट बेल नदी की सहायक नदी पर परसादी बांध स्थल अक्षांश 21°–56′–55″ उत्तर और रेखांश 78°–12′–0″ पूर्व।

(ग) धुतमूर ग्राम के निकट बेल नदी की सहायक नदी पर धुतमूर बांध स्थल अक्षांश 21°–58′–0″ उत्तर और रेखांश 78°–13′–0″ पूर्व।

(घ) मोहाली ग्राम के निकट बेल नदी की सहायक नदी पर मोहाली बांध स्थल अक्षांश 21°–58′–0″ उत्तर और रेखांश 78°–12′–0″ पूर्व।

(iii) दोकदोह एकीकृत परियोजना

(क) दोकदोह ग्राम के निकट दोकदोह नाले पर दोकदोह बांध स्थल अक्षांश 21°–33′–50″ उत्तर और रेखांश 78°–44′–15″ पूर्व।

(ख) चिरकुटागोंडी ग्राम के निकट जमनाला की सहायक नदी पर चिरकुटागोंडी बांध स्थल अक्षांश 21°–35′–0″ उत्तर और रेखांश 78°–41′–0″ पूर्व।

(ग) खेरी ग्राम के निकट कानहन की सहायक नदी पर खेरी बांध स्थल अक्षांश 21°-31'-0" उत्तर और रेखांश 78°-50'-0" पूर्व ।

(घ) छिन्दवानी ग्राम के निकट दोकदोह नाला की सहायक नदी पर छिन्दवानी बांध स्थल अक्षांश 21°-34'-0" उत्तर और रेखांश 78°-45'-48" पूर्व ।

(iv) मोहगांव एकीकृत परियोजना

(क) मोहगांव ग्राम के निकट सम्पना नाला पर मोहगांव बांध स्थल अक्षांश 21°-38'-55" उत्तर और रेखांश 78°-43'-30" पूर्व ।

(ख) जमलापानी ग्राम के निकट सातकी नाला पर जमलापानी बांध स्थल अक्षांश 21°-40'-20" उत्तर और रेखांश 78°-43"-20" पूर्व ।

(ग) अम्बाखापा ग्राम के निकट खुरपारा नाला पर खुरपारा बांध स्थल अक्षांश 21°-39'-0" उत्तर और रेखांश 78°-40'-0" पूर्व ।

(घ) कोडर ग्राम के निकट जामनाला पर जामनाला बांध स्थल अक्षांश 21°-38'-0" उत्तर और रेखांश 78°-38'-0" पूर्व ।

(v) सेवना नाला परियोजना

(क) बवोसा ग्राम के निकट सोवना नाला पर सोवना बांध स्थल अक्षांश 21°-41'-15" उत्तर और रेखांश 78°-53'-40" पूर्व ।

(ख) उक्त खण्ड (V) (1)(क) में यथाविनिर्दिष्ट परियोजना स्थलों के अनुप्रवाह मध्य प्रदेश राज्य अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए 14 टी एम सी अतिरिक्त जल का उपयोग कर सकेगा । ऐसी परियोजनाओं/स्कीमों में से प्रत्येक द्वारा प्रतिवर्ष 1.5 टी एम सी से अधिक जल का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(ग) (क) महाराष्ट्र राज्य ने सुझाव दिया है कि महाराष्ट्र राज्य के उपयोग के लिए जल को विनियमित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्र में कुछ जल भण्डार बनाने की आवश्यकता है । इस परिस्थिति विशेष में विशेष मामले के रूप में मध्य प्रदेश राज्य अपने राज्य क्षेत्र के भीतर के स्थानों पर कानहन नदी पर भण्डार निर्मित करने या उनमें वृद्धि करने के लिए सहमत हो गया है । इन भण्डार व्यवस्थाओं की अवस्थिति मध्य प्रदेश राज्य द्वारा तय की जाएगी और ये 15 अक्तूबर से 30 जून के बीच की अवधि में महाराष्ट्र राज्य में उपयोग के लिए 75 प्रतिशत निर्भरता के आधार पर कानहन के 15 टी एम सी प्रवाह को विनियमित करने के लिए होंगी । ये भण्डार महाराष्ट्र राज्य के लिए बनाए जाएंगे इसलिए यथास्थिति इन भण्डारों या इनकी धारिता में वृद्धि का पूरा खर्च जिसके अन्तर्गत भूमि और सम्पत्तियों के लिए प्रतिकर का खर्च और पुनर्वास का खर्च आदि भी है ऐसे संकर्मों के लिए निश्चित मानदण्डों के अनुसार जो परियोजना के निर्माण के समय देश में प्रचलित हैं उपगत होगा और यह पूरा खर्च महाराष्ट्र राज्य द्वारा उठाया जाएगा । ऐसे भण्डार/भण्डारों या उनकी धारिता में वृद्धि की व्यवस्था के ब्यौरे बाद में उपयुक्त समय पर राज्य सरकारों द्वारा आपस में तय किए जाएंगे ।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य केवल उक्त खण्ड (V)(1)(ग)(क) में विनिर्दिष्ट भण्डार/भण्डारों में विद्युत् संघटन (पावर कम्पोनेन्ट) का खर्च उठा कर विद्युत् का उत्पादन कर सकता है और उसमें से महाराष्ट्र राज्य को विद्युत् का कोई आबंटन नहीं किया जाएगा । विद्युत् संघटक में बांध/भण्डार के लेखे में कोई खर्च सम्मिलित नहीं है ।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य, राज्य के भीतर विद्युत् प्रणाली की शिखरन क्षमता (पीकिंग केपेबिलिटी) में सुधार करने के उद्देश्य से भविष्य में किसी समय ऐसे भण्डार/भण्डारों के जिनका उल्लेख ऊपर खण्ड (V)(1)(ग)(क) में किया गया है, नीचे एक कम ऊंचाई वाले बांध/पिक अप बंधिका या ऐसी अन्य संरचना का, जो आवश्यक हो, निर्माण अपने खर्च पर कर सकेगा ।

(घ) महाराष्ट्र राज्य उक्त खण्ड (V)(1)(ग)(क) में विनिर्दिष्ट भण्डार/भण्डारों द्वारा विनियमित 15 टी एम सी जल के उपयोग के लिए अपने राज्य क्षेत्र में अनुप्रवाह पिक अप बंधिका के निर्माण के लिए सहमत है । इस पिक अप बंधिका में मध्य प्रदेश राज्य के साथ परामर्श करके उच्चावचनी जल निकास (फ्लकचूऐटिंग रिलीजेज) के लिए व्यवस्था करने के उद्देश्य से पर्याप्त जलावरोधन (पाण्डेज) का प्रबन्ध होगा ।

महाराष्ट्र राज्य ने कानहन पर तेमुरडोह नामक स्थान पर एक पिक अप बंधिका की प्रस्थापना की है जिसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश राज्य में निमज्जन होगा । इस निमज्जन के विस्तार के ब्यौरे अभी तक बताए नहीं गए हैं । मध्य प्रदेश राज्य इस प्रस्थापना पर उस समय विचार करने के लिए सहमत है जब निमज्जन के विवरण ज्ञात हो जाएंगे । परन्तु सत्य यह है कि ऐसा निमज्जन न्यूनतम रखा जाए और वह ऐसा हो जो मध्य प्रदेश राज्य को स्वीकार्य हो ।

भूमि, सम्पत्तियों और पुनर्वास आदि के लिए प्रतिकर का उपबन्ध ऐसे संकर्मों के लिए निर्धारित उन मानदण्डों के अनुसार, जो परियोजना के निर्माण के समय देश में बनाए जाते हैं, किया जाएगा और इसे महाराष्ट्र राज्य वहन करेगा ।

(ङ) मध्य प्रदेश राज्य अपने राज्य क्षेत्र के भीतर कानहन नदी और उसकी सहायक नदियों से तथा खण्ड (V)(1)(क) में विनिर्दिष्ट भण्डार/भण्डारों के अनुप्रवाह जल उठा सकता है । यह उपयोग उक्त खण्ड (V)(1)(ख) में विनिर्दिष्ट 14 टी एम सी जल के उपयोग के भीतर होगा और उक्त खण्ड (V)(1)(ग)(घ) में विनिर्दिष्ट 15 टी एम सी विनियमित जल के प्रवाह के लिए महाराष्ट्र राज्य के अधिकार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(च) शेष वेनगंगा उप-घाटी

मध्य प्रदेश राज्य निम्नलिखित स्थानों तक वेनगंगा उपघाटी में समस्त जल का उपयोग कर सकेगा :—

(क) घुटि ग्राम के निकट वेनगंगा पर घुटि बंधिका ।

(ख) घुटि बंधिका के अनुप्रवाह मिलने वाली वेनगंगा की सहायक नदी पर निम्नलिखित परियोजना स्थल :—

(i) लमता ग्राम के निकट महाकारी नदी पर महाकारी बांध स्थल अक्षांश 22°-07'-55" उत्तर और रेखांश 80°-07'-45" पूर्व ।

(ii) नहारा बहुउद्देशीय परियोजना

(i) बरुरमोता ग्राम के निकट नहारा नदी पर नहारा बांध स्थल अक्षांश 20°-05'-30" उत्तर और रेखांश 80°-19'-36" पूर्व ।

(ii) खामी ग्राम के निकट नहारा पर विक्परिवर्ती स्थल अक्षांश 20°-04'-12" उत्तर और रेखांश 80°-13'-30" पूर्व ।

(3) सोन बहुउद्देशीय परियोजना

(i) बेगातोला ग्राम के निकट सोन नदी पर सोन बांध स्थल अक्षांश 21°-42'-30" उत्तर और रेखांश 80°-40'-0" पूर्व ।

(ii) सारा ग्राम के निकट सोन नदी पर विकल्परिवर्ती स्थल अक्षांश 21°-32'-15" उत्तर और रेखांश 80°-38'-0" पूर्व ।

(4) देव आम्मा बहुउद्देशीय परियोजना :

(i) सुकलपात ग्राम के निकट देव नदी के निकट देव बांध स्थल अक्षांश 21°-47'-30" उत्तर और रेखांश 80°-33'-0" पूर्व ।

(ii) बियली ग्राम के निकट आम्मा नदी पर आम्मा बांध स्थल अक्षांश 21°-52' - उत्तर और रेखांश 80°-30'-50" पूर्व ।

(iii) भगतपूर ग्राम के निकट देव नदी पर विकल्परिवर्ती स्थल अक्षांश 21°-45'-35" उत्तर और रेखांश 80°-29'-0" पूर्व ।

(5) करडी ग्राम के निकट पंग्रारीपाट नाला पर करडी टैंक अक्षांश 21°-25'-0" उत्तर और रेखांश 80°-35'-0" पूर्व ।

(6) बिफरी ग्राम के निकट सारथी नाला पर सारथी टैंक अक्षांश 21°-56'-0" उत्तर और रेखांश 79°-58'-50" पूर्व ।

(7) नहूलेसारा ग्राम के निकट चंदन नदी पर नहूलेसारा टैंक अक्षांश 21°-49'-30" उत्तर और रेखांश 79°-47'-30" पूर्व ।

(8) दैदबरा ग्राम के निकट कटंगा नाला पर दैदबरा टैंक अक्षांश 21°-41'-24" उत्तर और रेखांश 79°-53'-0" पूर्व ।

(छ) मध्य प्रदेश राज्य बांध नदी के जल का उपयोग पुजारी टोला पिकअप बंधिका तक और बावनथारी नदी के जल का उपयोग सिलेकासा बांध स्थल तक तथा पेंच नदी के जल का उपयोग टोटलाडोह बांध तक, इन स्थलों तक जल के उपयोग के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के बीच पहले ही किए जा चुके करारों के अनुसार अथवा जैसा भविष्य में करार किया जाए उसके अनुसार कर सकेगा ।

(ज) उक्त खण्ड (V)(1)(च) और (V)(1)(छ) में विनिर्दिष्ट परियोजना स्थलों के अनुप्रवाह मध्य प्रदेश राज्य अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए 59 टी एम सी अतिरिक्त जल का उपयोग कर सकेगा किन्तु उनमें से प्रत्येक परियोजना/स्कीम में प्रतिवर्ष 1.5 टी एम सी जल से अधिक जल का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(झ)(i) महाराष्ट्र राज्य ने सुझाव दिया है कि महाराष्ट्र राज्य के उपयोग के लिए जल को विनियमित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्र में कुछ जल भंडार बनाने की आवश्यकता है । इस परिस्थिति विशेष में विशेष मामले के रूप में मध्य प्रदेश राज्य उक्त खण्ड (V)(1)(च) में विनिर्दिष्ट परियोजना/परियोजनाओं में से ऐसी एक या अधिक परियोजना/परियोजनाओं में उपयुक्त अतिरिक्त जल भण्डार की व्यवस्था करने के लिए सहमत है जो मध्यप्रदेश द्वारा तय की जाए । यह जल भण्डार 15 अक्टूबर से 30 जून की अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य में उपयोग के लिए 75 प्रतिशत निर्भरता के आधार पर 15 टी एम सी जल के विनियमन के लिए होंगे । उक्त विनियमन के लिए ऐसे अतिरिक्त जल भण्डार/भण्डारों या उनकी धारिता में वृद्धि का पूरा खर्च महाराष्ट्र राज्य देगा । महाराष्ट्र राज्य द्वारा वहन किए जाने वाले खर्च में भूमि और सम्पत्तियों तथा पुनर्वास आदि के लिए, परियोजना के निर्माण के समय देश में ऐसे संकर्म के लिए प्रचलित मानदण्डों के अनुसार प्रतिकर लेखे खर्च भी सम्मिलित होगा । 15 टी एम सी जल की यह मात्रा उस जल में से उपलब्ध कराई जाएगी जिसका उपयोग मध्य प्रदेश राज्य उक्त खण्ड (V)(1)(च) में विनिर्दिष्ट रूप में कर सकता है । इस विनियमन के लिए आवश्यक भण्डारों की व्यवस्था के ब्यौरे बाद में उपयुक्त समय पर दोनों राज्य सरकारों द्वारा आपस में तय किए जाएंगे ।

(ii) मध्य प्रदेश राज्य ऐसे भण्डार/भण्डारों में विद्युत का उत्पादन उक्त खण्ड (V)(1)(च) में विनिर्दिष्ट भण्डार/भण्डारों पर विद्युत संघटक के आवश्यक खर्च को उठा कर कर सकेगा । इसमें से महाराष्ट्र राज्य को विद्युत का कोई भी आवंटन नहीं किया जाएगा । विद्युत संघटक में बांध/भण्डार के लेखे कोई खर्च सम्मिलित नहीं है ।

(iii) मध्य प्रदेश राज्य, राज्य के भीतर विद्युत प्रणाली की शिखरन क्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से कम ऊंचे बांध/पिक अप बंधिका या ऐसी अन्य संरचना की, जो खण्ड (V)(1)(च) में विनिर्दिष्ट परियोजना स्थलों के अनुप्रवाह आवश्यक हो, व्यवस्था अपने खर्च पर कर सकेगा ।

(iv) महाराष्ट्र राज्य उक्त खण्ड (V)(1)(च) में विनिर्दिष्ट 15 टी एम सी जल के अपने उपयोग के लिए अपने राज्य क्षेत्र में अनुप्रवाह पिक अप बंधिका के निर्माण करने के लिए सहमत है । इस पिक अप बंधिका में मध्य प्रदेश राज्य के साथ परामर्श करके उच्चावचनी जल निकास के लिए व्यवस्था करने के लिए उद्देश्य से पर्याप्त जलावरोधन का प्रबन्ध होगा ।

(2) महाराष्ट्र

(क) मध्य प्रदेश राज्य द्वारा, प्राणहिता उपबेसिन के जल के उपयोग के संबन्ध में ऊपर जो कहा गया है उसके अधीन रहते हुए महाराष्ट्र राज्य वेनगंगा नदी और/या उसकी सहायक नदियों के समस्त जल का उपयोग निम्नलिखित स्थानों पर कर सकता है :—

(i) गोसीखुर्द ग्राम के निकट वेनगंगा नदी पर गोसीखुर्द परियोजना स्थल अक्षांश 20°-51'-0" उत्तर और रेखांश 79°-37'-20" पूर्व ।

(ii) बोन्डे ग्राम के निकट चुलबन्ध नदी पर लोअर चुलबन्ध, बांध स्थल,

अक्षांश 20°-02'-0" उत्तर और रेखांश 79°-57'-0" पूर्व ।

(iii) गोथानगांव ग्राम के निकट गार्वी नदी पर इतियाडोह बांध ।

अक्षांश 20°-47'-45" उत्तर और रेखांश 80°-10'-05" पूर्व ।

(iv) पलासगढ़ ग्राम के निकट सती नदी पर सती परियोजना स्थल

अक्षांश 20°-38'-0" उत्तर और रेखांश 80°-17'-0" पूर्व ।

(v) तुलतुली ग्राम के निकट खोबरागड़ी नदी पर लोअर तुलतुली बांध स्थल ।

अक्षांश 20°-26'-0" उत्तर और रेखांश 80°-14'-0" पूर्व ।

(vi) राजोली ग्राम के निकट कथानी नदी पर लोअर कथानी बांध-स्थल ।

अक्षांश 20°-14'-30" उत्तर और रेखांश 80°-15'-30" पूर्व ।

(vii) नाकापल्ली ग्राम के निकट कारवप्पा नाला पर कारवप्पा परियोजना बांध स्थल ।

अक्षांश 20°-07'-40" उत्तर और रेखांश 80°-13'-40" पूर्व ।

(viii) बाकरी ग्राम के निकट पोहर नदी पर भीमकुंड बांध स्थल
अक्षांश 19°–55′–0″ उत्तर और रेखांश 79°–58′–30″ पूर्व।

(ix) रेगड़ी ग्राम के निकटदीना नदी पर दीना बांध स्थल
अक्षांश 19°–45′–0″ उत्तर और रेखांश 80°–07′–0″ पूर्व।

(x) पनोती ग्राम के निकट बूटी नाला पर बूटी नाला बांध स्थल
अक्षांश 20°–39′–0″ उत्तर और रेखांश 79°–48′–0″ पूर्व।

(xi) चांदगांव खुर्द ग्राम के निकट गर्दी नाला पर गर्दी परियोजना बांध स्थल।
अक्षांश 20°–35′–20″ उत्तर और रेखांश 79°–50′–0″ पूर्व

(xii) मेंडकी ग्राम के निकट निमघाट डोड्रा नाला पर निमघाट बांध स्थल।
अक्षांश 20°–28′–15″ उत्तर और रेखांश 79°–48′–50″ पूर्व।

(xiii) असोलामेंढा ग्राम के निकट पथरी नदी पर असोलामेढा बांध स्थल।
अक्षांश 20°–12′–15″ उत्तर और रेखांश 79°–50′–0″ पूर्व।

(xiv) घोराझारी ग्राम के निकट बोकारघो नाला पर घोराझारी बांध स्थल।
अक्षांश 20°–32′–0″ उत्तर और रेखांश 79°–38′–0″ पूर्व।

(xv) चिरखादा ग्राम के निकट हूमन नाला पर हूमन नाला बांध स्थल
अक्षांश 20°–14′–0″ उत्तर और रेखांश 79°–34′–35″ पूर्व।

(xvi) नालेश्वर ग्राम के निकट उपसा नाला पर नालेश्वर बांध स्थल
अक्षांश 20°–15′–0″ उत्तर और रेखांश 79°–35′–35″ पूर्व।

(xvii) पट्टामी ग्राम के निकट अंधारी नदी पर अंधारी बांध स्थल
अक्षांश 20°–06′–0″ और रेखांश 79°–28′–0″ पूर्व।

(ख) उक्त खण्ड ( )(2)(क)(i) से ()(2)(क) में विनिर्दिष्ट स्थानों तक वेनगंगा नदी और/या उसकी सहायक नदियों के समस्त जल के उपयोग के अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य प्राणहिता उपबेसिन के शेष जल में से 41 टी एम सी जल का उपयोग अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित स्कीमों/परियोजनाओं के लिए कर सकता है। किन्तु प्रत्येक परियोजना पर प्रति वर्ष 1.5 टी एम सी से अधिक जल का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(3) (ग) आन्ध्र प्रदेश

(क) आन्ध्र प्रदेश राज्य प्राणहिता उपबेसिन के शेष जल का उपयोग कर सकता है।

(ख) इस बात पर भी सहमति हो गई है कि प्राणहिता जल विद्युत परियोजना व्यवहार्य नहीं है और इसलिए उसे समाप्त कर देना होगा। तथापि आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य उपयुक्त स्थानों पर प्राणहिता नदी पर बराज बनाने के लिए सहमत हो गए है जिस से कि वे अपने क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा की व्यवस्था कर सकेंगे। इन बराजों से महाराष्ट्र जल की जितनी मात्रा का उपयोग करेगा उसके हिसाब उक्त खण्ड (v)(2)(ख) में विनिर्दिष्ट 41 टी एम सी जल में से किया जाएगा। ऐसे बराजों के लिए संयुक्त परियोजना/परियोजनाओं का कार्य महाराष्ट्र राज्य और आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए अलग-अलग करार हो जाने पर जो चाहे दोनों राज्यों के फायदे के लिए हों चाहे एक राज्य के फायदे के लिए हो, प्रारम्भ किया जाएगा।

(vi) जी–10 लोअर गोदावरी उपबेसिन :

(1) महाराष्ट्र

महाराष्ट्र राज्य लोअर गोदावरी उप बेसिन में 1 टी एम सी तक जल का उपयोग अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित स्कीमों/परियोजनाओं के लिए कर सकता है।

(2) मध्य प्रदेश

(क) मध्य प्रदेश राज्य निम्नलिखित स्थानों तक समस्त जल का उपयोग कर सकता है :

(क) मुकपारा (संकमपल्ली) परियोजना मालेपल्ली ग्राम के निकट तालपेरू नदी पर मुकपरा बांध स्थल
अक्षांश 18°–36′–43″ उत्तर और रेखांश 80°–56′–45″ पूर्व।

(ख) जूनागुडा ग्राम के निकट तुमलवागु पर तुमलवागु बांध स्थल
अक्षांश 18°–25′–33″ उत्तर और रेखांश 81°–03′–32″ पूर्व।

(ग) जोरानवागु एकीकृत परियोजना

(i) डरमा ग्राम के निकट जोरानवागु पर जोरानवागु बांध स्थल
अक्षांश 18°–27′–26″ उत्तर और रेखांश 81°–13′–36″ पूर्व।

(ii) कमारम ग्राम के निकट ढोंढीवागु पर ढोंढीवागु बांध स्थल।
अक्षांश 18°–24′–10″ उत्तर और रेखांश 81°–13′–20″ पूर्व।

(घ) मालावागु परियोजना
चितलनार ग्राम के निकट मालावागु पर मालावागु बांध स्थल
18°–21′–35″ उत्तर और रेखांश 81°–11′–48″ पूर्व।

(ङ) रासपल्ली परियोजना
रासपल्ली ग्राम के निकट चिरला नदी की सहायक नदी पर रासपल्ले बांध स्थल
अक्षांश 18°–12′–0″ उत्तर और रेखांश 80°–58′–38″ पूर्व।

(ख) उक्त खण्ड (VI) (2)(क) में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अनुप्रवाह मध्य प्रदेश राज्य अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित स्कीमों/परियोजनाओं के लिए 9 टी एम सी अतिरिक्त जल का उपयोग कर सकता है किन्तु प्रत्येक स्कीम/परियोजना पर प्रतिवर्ष 1.5 टी एम सी से अधिक जल का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य केवल अपने नदी पाट के, आन्ध्र प्रदेश राज्य की तेलीपेरू परियोजना के कारण निमज्जन के लिए सहमत है। आन्ध्र प्रदेश राज्य अपने खर्च पर मध्य प्रदेश राज्य के साथ परामर्श करके ऐसे संरक्षी उपाय करने के लिए सहमत है जो उक्त परियोजना के कारण मध्य प्रदेश राज्य में अन्य क्षेत्रों के निमज्जन को रोकने के लिए आवश्यक होंगे। आन्ध्र प्रदेश राज्य इस बात के लिए सहमत है कि वह परियोजना रिपोर्ट के साथ मध्य प्रदेश राज्य में निमज्जन के विवरण भेजेगा। मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्र के निमज्जन और उसके जल पलावन को रोकने के उपायों के संबन्ध में आपस में करार हो जाने के पश्चात् परियोजना का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा।

(घ) (क) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश राज्य एक संयुक्त उपक्रम के रूप में इन्द्रावतीपल्ली बहुउद्देशीय परियोजना को तीनों राज्यों द्वारा आपस में तय होने वाले एफ आर एल और एम डब्ल्यू एल सहित

प्रारम्भ करने के लिए सहमत हैं। परियोजना का सर्वेक्षण रेखांकन और निष्पादन और तत्पश्चात् उसका संचालन और अनुरक्षण त्रिपक्षीय अन्तर-राज्यिक नियंत्रण बोर्ड के निदेशों के अधीन किया जाएगा। यह बोर्ड तीनों संबन्धित राज्यों द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से गठित किया जाएगा। आन्ध्र प्रदेश राज्य अपने उपयोग के लिए सीधे इन्चमपल्ली जलाशय से 85 टी एम सी से अधिक जल का विपरिवर्तन नहीं कर सकता है। इंचमपल्ली में जलाशय में होने वाली हानि का कोई भी भाग जल के उन अंशों में विकलनीय नहीं होगा जो इसमें ऊपर या इस करार के अधीन आगे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए तय हुए हों या हों। शेष उपलब्ध जल का उपयोग इंचमपल्ली विद्युत घर में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाएगा। दोनों सरकारों की तथा प्राइवेट व्यक्तियों की भूमि और सम्पत्तियों के अर्जन के लिए प्रतिकर का भार भण्डार के निर्माण पर डाला जाएगा। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था ऐसे मानदण्डों के अनुसार की जाएगी जो परियोजना के निर्माण के समय देश में प्रचलित ऐसे संकर्मों के लिए हों और उसका भार भण्डार के निर्माण पर डाला जाएगा।

(ख) इंचमपल्ली भण्डार की लागत का 78.10 प्रतिशत भाग आन्ध्र प्रदेश राज्य, 10.50 प्रतिशत भाग महाराष्ट्र राज्य और 11.40 प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश राज्य देगा।

(ग) इंचमपल्ली में भण्डारण के खर्च को छोड़कर विद्युत उत्पादन तथा विद्युत संघटक की लागत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश राज्य आपस में क्रमशः 38, 35, 27 प्रतिशत के अनुपात में बांट लेंगें। विद्युत उत्पादन के पश्चात् आन्ध्र प्रदेश राज्य उस जल का जो निकलेगा उपयोग किसी भी रीति में अपनी इच्छानुसार कर सकेगा।

(घ) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश राज्य अपने राज्य क्षेत्र में उपयोग के लिए इंचमपल्ली जलाशय से जल उत्थापित कर के क्रमश 3 टी एम सी, 4 टी एम सी और 5 टी एम सी जल का उपयोग भण्डारण का कोई भी खर्च दिए बिना कर सकेगें। इस प्रकार उपयोग में लाए गए जल का हिसाब मध्य प्रदेश राज्य के लिए खण्ड (vi)(2)(ख) और (vii) (ग) के अधीन, महाराष्ट्र राज्य के लिए खण्ड (iii) (1)(ख), (iv) (2)(ii), (v) (2)(ख), (vi) (1) और (vii) (ङ) के अधीन व्यवस्था में से और आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए इस खण्ड में विनिर्दिष्ट 85 टी एम सी जल में से किया जाएगा।

(ङ) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश राज्य अपने निमज्जित राज्य क्षेत्रों में मत्स्य पालन और नौका विहार सुविधाओं का विकास कर सकेंगे। उनके राज्य क्षेत्रों की सीमाओं तक निमज्जित भूमि पर प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार संबन्धित राज्यों में निहित बना रहेगा।

(च) तीनों राज्य इस बात के लिए सहमत हैं कि इंचमपल्ली जलाशय के लिए जो एफ आर एल/एम डब्ल्यू एल तय पाया जाए वह केवल इस स्पष्ट शर्त पर होगा कि गोदावरी और उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग के लिए इसमें इसके पूर्व या इसमें आगे इस करार में एक दूसरे को दी गई सुविधाओं में कोई अन्तर कदापि नहीं किया जाएगा।

(छ) इंचमपल्ली जलाशय में नौपरिवहन की सुविधाएं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश राज्यों को मुफ्त दी जाएंगी।

(ज) इंचमपल्ली परियोजना जल विद्युत संघटक के भाग रूप में जलाशय के नीचे एक पम्प किए हुए भण्डार की स्कीम चालू की जा सकती है। ऐसी स्कीम तीनों राज्यों में से किसी एक राज्य द्वारा या दो राज्यों द्वारा ही निर्मित की जा सकती है और अन्य राज्य बाद में उस स्कीम की लागत में अपना अंश का जो परस्पर तय पाया जाए संदाय करके उक्त स्कीम के फायदों में हिस्सा बंटा सकता है/सकते हैं।

(3) आन्ध्र प्रदेश

आन्ध्र प्रदेश राज्य लोअर गोदावरी उपबेसिन के शेष जल का उपयोग कर सकता है।

(vii) जी-ii इन्द्रावती उपबेसिन :

(क)(1) तारीख 19-12-1975 के उस अन्तराज्यिक करार के जिसमें उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच हुए तारीख 9-12-1975 के द्विपक्षीय करार की पुष्टि की गई है, उपबन्ध के तथा ऐसे किसी साम्यापूर्ण आवंटन के जो इन्द्रावती उपबेसिन में गोदावरी जल विवाद अधिकरण द्वारा उड़ीसा राज्य को किया जाए, अधीन रहते हुए मध्य प्रदेश राज्य इन्द्रावती नदी पर भोपालपटनम जल विद्युत परियोजना अक्षांश 19°–03′–45″ उत्तर और रेखांश 80°–19′–05″ पूर्व (मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के बीच एक संयुक्त परियोजना) तक 273 टी एम सी जल का उपयोग अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं के लिए कर सकता है। जल की इस मात्रा में भोपालपटनम/जल विद्युत परियोजना में मध्य प्रदेश राज्य की वाष्पन द्वारा हानि का अंश भी सम्मिलित है।

(2) आन्ध्र प्रदेश राज्य इस बात के लिए सहमत है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य इन्द्रावती नदी पर अपनी संयुक्त भोपालपटनम जल विद्युत परियोजना में किसी भी प्रक्रम पर पम्प किए गए भण्डार की स्कीम को लागू कर सकते हैं और वे इंचमपल्ली जलाशय का अनुप्रवाह दिशा में उपयोग कर के ऐसा कर सकते हैं। इंचमपली भण्डार की लागत इस लेखे भोपालपटनम जल विद्युत परियोजना के मद्दे विकलनीय नहीं होगी। तथापि उक्त पम्प किए गए भण्डार की स्कीम के लाभ के लिए इंचमपल्ली जलाशय में किसी भी समय कोई विनिर्दिष्ट जल स्तर बनाए रखने की कोई बाध्यता नहीं होगी।

(ख) उक्त खण्ड (vii)(क)(i) में जल के जिस उपयोग के लिए करार हुआ है उसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य भोपालपटनम/जल विद्युत परियोजना स्थल के अनुप्रवाह इन्द्रावती में मिलने वाली सहायक नदियों पर निम्नलिखित परियोजना स्थलों तक समस्त जल का उपयोग कर सकता है :—

(i) पावरेल ग्राम के निकट चिंटावागु पर चिंटावागु परियोजना स्थल अक्षांश 18°–41′–25″ उत्तर और रेखांश 80°–40′–47″ पूर्व

(ii) चिल्लामार्का ग्राम के निकट जलालावागु पर जलालावागु परियोजना स्थल

अक्षांश 18°–46′–34″ उत्तर और रेखांश 80°–21′–34″ पूर्व।

(iii) चिंटावागु की सहायक नदी पर कोठापल्ली एकीकृत परियोजना

(क) कोठापल्ली परियोजना स्थल

अक्षांश 18°–40′–54″ उत्तर और रेखांश 80°–34′–54″ पूर्व।

(ख) मिनुर परियोजना स्थल

अक्षांश 18°–45′–24″ उत्तर और रेखांश 80°–28′–63″ पूर्व।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य उक्त खण्ड (vii)(क)(i) और (vii)(ख) में विनिर्दिष्ट परियोजना स्थलों के अनुप्रवाह 19 टी एम सी अतिरिक्त जल का उपयोग अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए कर सकता है किन्तु इनमें से प्रत्येक परियोजना पर प्रतिवर्ष 1.5 टी एम सी से अधिक जल का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(घ) महाराष्ट्र राज्य भोपालपटनम–1 जल विद्युत परियोजना के ऊर्ध्व प्रवाह अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित परियोजना परियोजनाओं के लिए 34 टी एम सी जल का उपयोग कर सकता है । जल की इस मात्रा में भोपालपटनम-1 जल विद्युत परियोजना पर महाराष्ट्र की वाष्पन द्वारा हानि का अंश भी सम्मिलित है ।

(ङ) महाराष्ट्र राज्य भोपालपटनम-1 जल विद्युत परियोजना के अनुप्रवाह-7 टी एमसी अतिरिक्त जल का उपयोग अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए कर सकता है किन्तु इनमें से प्रत्येक परियोजना पर प्रतिवर्ष 1.5 टी एम सी से अधिक जल का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(च) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा उक्त उपयोगों का प्रतिकूल प्रभाव कोटरी-निखरा जल विद्युत परियोजना, बंदिया जल विद्युत परियोजना और नागौर-II जल विद्युत परियोजना से संबन्धित करारों पर नहीं पड़ेगा । ये करार उक्त दोनों राज्यों के बीच हुए हैं और दोनों सरकारों ने उनका अनुसमर्थन भी कर दिया है ।

(छ) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के भोपालपटनम-1 जल विद्युत परियोजना स्थल के अनुप्रवाह इन्द्रावती उपबेसिन के शेष जल का उपयोग आन्ध्र प्रदेश राज्य कर सकता है ।

(ज) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य करार करते हैं कि दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना भोपालपटनम-1 जल विद्युत परियोजना से विद्युत के उत्पावन के पश्चात् उसकी अन्तिम रूप से निश्चित की गई परिधि के अनुसार विनियमित निकासी इंचमपल्ली परियोजना के लिए नीचे की ओर उपयोग के लिए उपलब्ध होगी । इंचमपल्ली परियोजना मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र नामक तीन राज्यों की एक अन्य संयुक्त परियोजना है ।

(VIII) जी–12 साबरी उप-बेसिन :

(क) तारीख 19-12-1975 के उस अन्तरराज्यिक करार के जिसमें उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच हुए तारीख 9-12-1975 के द्वि-पक्षीय करार की पुष्टि की गई है, उपबन्ध के तथा ऐसे किसी सामान्य-पूर्ण आबंटन के जो साबरी उप बेसिन में गोदावरी जल विवाद अधिकरण द्वारा उड़ीसा को किया जाए, अधीन रहते हुए मध्य प्रदेश राज्य और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के लिए आबंटन इसमें आगे तय पाए गए अनुसार होगा । इस स्थान के अनुप्रवाह जहां साबरी नदी उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच सामान्य सीमा बनाती है (अक्षांश 18°55′–04″ उत्तर और रेखांश 82°–14′–53″ पूर्व के निकट), मध्य प्रदेश राज्य साबरी नदी की सहायक नदियों पर निम्नलिखित परियोजना स्थलों तक समस्त जल का उपयोग कर सकता है:—

(क) बारु नदी एकीकृत परियोजना :

(1) टेंकावाडा ग्राम के निकट बारु नदी पर बारु नदी स्थल अक्षांश 18°–45′–33″ उत्तर और रेखांश 81°–48′–50″ पूर्व

(2) धोबावाडा ग्राम के निकट भीमसेन पर भीमसेन भण्डार स्थल । अक्षांश, 18°–45′–0″ उत्तर और रेखांश 81°–55′–46″ पूर्व

(3) कुवरीपाल ग्राम के निकट बारु नदी पर कुवरी पाल पिक अप बंधिका स्थल ।

अक्षांश 18°–40′–42″ उत्तर रेखांश 81°–51′–30″ पूर्व ।

(ख) जमेयर ग्राम के निकट मुपारी जमेर नदी पर मुपारी परियोजना स्थल.....

अक्षांश 18°–42′–30″ उत्तर और रेखांश 81°–45′–0″ पूर्व ।

(ग) गोराली नदी परियोजना :

(1) कांजीपानी ग्राम के निकट गोराली नदी पर गोराली बांध स्थल अक्षांश 18°-32′–50″ उत्तर और रेखांश 81°–40′–55″ पूर्व ।

(2) अन्दुमपाल ग्राम के निकट पुल नदी पर अन्दुमपाल बांध स्थल । अक्षांश 18°–34′–43″ उत्तर और रेखांश 81°–42′–04″ पूर्व

(घ) सैलेरवागु एकीकृत परियोजना

(1) मंकापाल ग्राम के निकट मालेन्गर नदी पर मंकापाल बांध स्थल ।

अक्षांश 18°–32′–06″ उत्तर और रेखांश 81°–29′–26″ पूर्व ।

(ii) पेला ग्राम के निकट सैलेरवागु पर सैलेरवागु बांध स्थल अक्षांश 18°-26′-12″ उत्तर और रेखांश 81°-31′-38″ पूर्व ।

(ङ) आर्डेलटांग एकीकृत परियोजना ।

(i) आर्डेलटांग ग्राम के निकट तिनारेयावागु की सहायक नदी पर आर्डेलटांग बांध स्थल

अक्षांश 18°-13′-24″ उत्तर और रेखांश 81°-24′-06″ पूर्व ।

(ii) कोरापाल ग्राम के निकट तिनारेयावागु पर तिनारेयावागु बांध स्थल

अक्षांश 18°-11′-0″ उत्तर और रेखांश 81-°18′-56″ पूर्व ।

(च) जनवागु एकीकृत परियोजना :

(i) गोरखा ग्राम के निकट जनवागु पर जनवागु बांध स्थल अक्षांश 17°-57′-24″ उत्तर और रेखांश 81°-20′-15″ पूर्व ।

(ii) जरपूत ग्राम के निकट इल्लेमादुगु वागु पर इल्लेमादुगु वागु बांध स्थल ।

अक्षांश 18°-03′-42″ उत्तर और रेखांश 81°-18′-09″ पूर्व ।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य उक्त खण्ड (8)(क) में विनिर्दिष्ट परियोजना स्थलों के अनुप्रवाह 18 टी एम सी अतिरिक्त जल का उपयोग अपने विद्यमान, निर्माणाधीन और, प्रस्थापित स्कीमों के लिए कर सकता है । किन्तु इनमें से प्रत्येक पर प्रतिवर्ष 1.5 टी एम सी से अधिक जल का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य की साबरी पर विद्युत परियोजनाओं की वाष्पन द्वारा हानियों की पूर्ति के लिए जल की मात्रा उक्त खण्ड (8)(क) और (ख) में विनिर्दिष्ट जल की मात्रा के अतिरिक्त होगी और जल की यह मात्रा 10 टी एम सी तक सीमित होगी तथा यदि कोई आधिक्य है तो उसका भार मध्य प्रदेश राज्य उक्त खण्ड (8)(क) और (ख) में विनिर्दिष्ट की जा चुकी मात्रा में से वहन करेगा ।

(घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य उक्त खण्ड (8)(क) से (8)(ग) में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं/स्कीमों के लिए मध्य प्रदेश राज्य द्वारा उपयोग के लिए उस आबंटन के जो गोदावरी जल विवाद अधिकरण द्वारा सावरी उपबेसिन में उड़ीसा राज्य को किया जाए, पश्चात् सावरी उपबेसिन के शेष जल का उपयोग विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित स्कीमों/परियोजनाओं के लिए कर सकता है ।

(ङ) मध्य प्रदेश राज्य, उड़ीसा राज्य की सहमति के अधीन रहते हुए, आन्ध्र प्रदेश राज्य को पोलावरम परियोजना के निर्माण के लिए करार करता है जिससे कि पश्च जल प्रभाव सहित सभी प्रभावों के कारण कोंटा में मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र में अधिकतम निमज्जन आर एल 150 फुट से अधिक न हो । पोलावरम परियोजना की डिजाइन केन्द्रीय जल आयोग के परामर्श से बाढ़ की अधिकतम सम्भाव्यता को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी जिससे कि वह ऊपर उल्लिखित निमज्जन की सीमा से अधिक न हो । सरकार की और प्राइवेट पक्षकारों दोनों की भी निमज्जित भूमियों और सम्पत्तियों के लिए परियोजना के निर्माण के समय देश में प्रचलित मानदण्डों के आधार पर प्रतिकर और पुनर्वास का खर्च परियोजना पर प्रभारित किया जाएगा । सुविधाओं/मुख्य सुविधाओं आदि सहित आदर्श ग्राम वस्तुतः निमज्जन के पूर्व परियोजना के खर्च पर निर्मित किए जाएंगे । भूमि पर प्रभुता संबंधित राज्यों में निहित बनी रहेगी । मध्य प्रदेश राज्य भण्डारण का कोई खर्च दिए बिना अपने राज्य क्षेत्र के भीतर अपने उपयोग के लिए पोलावरम झील से 1.5 टी एम सी जल ले सकेगा और उपयोग खण्ड (8) में राज्य के लिए तय पाए गए आबंटन में से होगा ।

(च) मध्य प्रदेश राज्य अपने वन या खनिज उत्पाद का परिवहन सभी नौ परिवहन सुविधाओं/लाक इत्यादि के माध्यम से कर सकता है । इनकी व्यवस्था आन्ध्र प्रदेश राज्य पोलावरम पर स्वयं अपने खर्च पर करेगा । ये सुविधाएं मध्य प्रदेश राज्य को पोलावरम परियोजना पर उन दरों पर उपलब्ध होंगी जो आन्ध्र प्रदेश राज्य को पोलावरम पर उनके अपने ब्यौरा को लागू हैं । मध्य प्रदेश राज्य अपने राज्य क्षेत्र में मत्स्य पालन और नौका विहार की सुविधाओं का विकास और उनका समुपयोग कर सकता है ।

(X) साधारण खण्ड :

(1)(क) ऊपर के पैराओं में प्रतिवर्ष 1.5 टी एम सी जल की जिस मात्रा का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है उससे अधिक जल का उपयोग करके परियोजनाओं के स्थलों की स्थिति को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य नीचे वाले राज्य/राज्यों को सूचित करके परिवर्तित कर सकता है । यदि ऐसे किसी विनिर्दिष्ट स्थलों की दशा में जहां तक किसी राज्य को समस्त जल का उपयोग करने की अनुज्ञा दी गई है स्थान बदलने या परिवर्तन के परिणामस्वरूप उक्त खण्डों में उपवर्णित जल ग्रहण क्षेत्र का कम या अधिक अपरोधन होता है तो अन्य विनिर्दिष्ट स्थलों के जल ग्रहण क्षेत्र में तत्समान कमी/वृद्धि की जाएगी जिससे कि समस्त जल के अपरोधन के लिए प्रत्येक राज्य के लिए अनुज्ञात कुल जल ग्रहण क्षेत्र अधिक न हो जाए ।

(ख) यह भी करार किया जाता है कि खण्ड (3)(1)(ख), (5)(1)(ख) और (ज), (5)(2)(ख), (6)(2)(ख), (7)(ग), (7)(ङ), (8)(क) और (8)(ख) में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के बारे में तथा यदि प्रत्येक परियोजना के लिए जल के उपयोग में उपान्त वृद्धि 1.5 टी एम सी से अधिक किन्तु 2 टी एम सी सी से अनधिक है तो, ऐसी वृद्धि संबंधित राज्य और निचले नदी तटीय राज्य/राज्यों के बीच परस्पर परामर्श द्वारा अनुज्ञात की जा सकेगी । किन्तु यह तब होगा जब कि संबंधित राज्य द्वारा उक्त खण्डों में से प्रत्येक में यथा विनिर्दिष्ट कुल उपयोग से अधिक उपयोग न किया जाए ।

(2) उक्त करार में जहां कहीं जल की विनिर्दिष्ट मात्राएं उस रूप में उल्लिखित हैं जिनका उपयोग किसी राज्य द्वारा किया जा सकता है, यह करार किया जाता है कि उपयोग की माप निम्नलिखित रीति से की जाएगी :—

उपयोग		माप
1	2	3
(i)	सिंचाई के लिए उपयोग	नदी या किसी सहायक नदी अथवा किसी जलाशय, भण्डार या नहर से मोड़े गए या उत्थापित जल की शत प्रतिशत मात्रा और इन भण्डारों में वाष्पन द्वारा हानि का शत प्रतिशत भाग ।
(ii)	विद्युत के लिए उपयोग	भण्डार में वाष्पन द्वारा हानियों का शत प्रतिशत भाग ।
(iii)	बेसिन के भीतर घरेलू और नगरपालिक जल प्रदाय ।	नदी या उसकी किसी सहायक नदी अथवा किसी जलाशय, जल भण्डार या नहर से मोड़े गए या उत्थापित जल की मात्रा का 20 प्रतिशत भाग ।
(iv)	बेसिन के भीतर औद्योगिक उपयोग	नदी या उसकी किसी सहायक नदी अथवा किसी जलाशय, जल भण्डार या नहर से मोड़े गए या उत्थापित जल की मात्रा का 2.5 प्रतिशत भाग ।
(v)	बेसिन के बाहर सभी प्रकार के उपयोग	नदी या उसकी किसी सहायक नदी अथवा किसी जलाशय, जल भण्डार या नहर से मोड़े गए या उत्थापित जल की मात्रा का शत प्रतिशत भाग ।

(3) यह करार किया जाता है कि उक्त करार में प्रत्येक राज्य को अनुज्ञात जल का उपयोग करने में कोई भी राज्य उन परियोजनाओं को छोड़ कर जिनके लिए स्पष्ट रूप से करार हो चुका है, ऐसी कोई परियोजनाएं निर्मित नहीं करेगा जिनसे अन्य राज्य/राज्यों का राज्य क्षेत्र जल निमग्न हो जाए किन्तु ऐसे जल निमज्जन के लिए उस राज्य की पूर्वसम्मति से वह ऐसा कर सकेगा ।

(4) यह करार किया जाता है कि सभी राज्य गोदावरी बेसिन में अपने अपने राज्य क्षेत्रों के भीतर भूगत जल का उपयोग कर सकता है और ऐसे उपयोग की गणना गोदावरी नदी के जल के उपयोग के रूप में नहीं की जाएगी ।

(5) करार में निर्दिष्ट उप बेसिन, गोदावरी बेसिन के उपबेसिनों में किए गए उस विभाजन के अनुसार हैं जो कृष्णा गोदावरी आयोग की रिपोर्ट के अध्याय iii पैरा 4.27 में पृष्ठ 28 में किया गया है ।

(6) उपयोग के अन्तर्गत किसी राज्य द्वारा गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों के जल का ऐसा उपयोग भी सम्मिलित, जो उसने घरेलू, नगरपालिक, सिंचाई, औद्योगिक, विद्युत उत्पादन नौपरिवहन

मत्स्य पालन, वन्य प्राणी संरक्षण, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए किया है और इसके अन्तर्गत उक्त प्रयोजनों के लिए सृजित जल भण्डारों से वाष्पन द्वारा हानि भी है ।

(7) उक्त खण्डों में वर्णित सभी स्तर जी टी एस स्तरों के हवाले से दिए गए है ।

(8) यह करार महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए किया गया है ।

तारीख : 7 अगस्त 1980

ह०/-
(वी० आर० ड्युसकर)
सचिव, सिंचाई विभाग,
महाराष्ट्र सरकार

ह०/-
(आर० के० टिक्कू)
सचिव, सिंचाई और विद्युत विभाग,
मध्य प्रदेश सरकार

ह०/-
(एम० गोपाला कृष्णन)
सचिव, सिंचाई और विद्युत विभाग,
आन्ध्र प्रदेश सरकार

उपाबन्ध "ग"

उपाबन्ध 1—गोदावरी

कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच बंगलौर में तारीख 4 अगस्त, 1978 की हुई बैठक में हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त अभिलेख ।

इसमें निम्नलिखित उपस्थित थे :—

कर्नाटक	आन्ध्र प्रदेश
1. श्री डी० देवराज अर्स, मुख्य मंत्री	1. डा० एम० चेन्नारेड्डी, मुख्य मंत्री
2. श्री एन० नरसिंह राव, मुख्य सचिव	2. श्री जी० वी० सुधाकर राव, सिंचाई मंत्री
3. श्री जे० सी० लाइन, मुख्य मंत्री के सचिव	3. श्री एम० गोपालकृष्णन, सचिव, सिंचाई और विद्युत
4. श्री बी० सी० अंगादी, विशेष सचिव, लोक निर्माण और विद्युत विभाग (सिंचाई)	4. श्री बी० गोपालकृष्णन मुर्ति, सलाहकार, सिंचाई और विद्युत
5. श्री एस० आर० एस० शास्त्री, मुख्य इंजीनियर, डब्ल्यू०आर०डी०ओ०	5. श्री के० आर० चूड़ामणी, सलाहकार, सिंचाई और विद्युत
6. श्री बी० सुब्रह्मण्यन, मुख्य इंजीनियर, बंगलौर जल प्रदाय और मलवहन बोर्ड ।	6. श्री एम० सत्यानारायण सिंह, विशेष अधिकारी, जल साधन, ।

विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित बातें तय हुई :—

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक इस बात के लिए करार करते हैं कि कर्नाटक मंजरा उप-बेसिन में प्रस्तावित सिंगूर परियोजना के ऊपर विद्यमान उपयोग और करंजा और चलकीनाला परियोजनाओं के लिए तारीख 19-12-1975 के करार के साथ पठित तारीख 17-9-1975 के करार के अनुसार उपयोग के अतिरिक्त मंजरा नदी से लिफ्ट सिंचाई के लिए 1 टी एम सी और जल का उपयोग करेगा ।

2. मंजरा पर जल की इस मात्रा या ऐसी किसी अन्य अतिरिक्त मात्रा का जो बाद में तय पाई जाए उपयोग करने के उद्देश्य से कर्नाटक ऐसे जलावरोध बना सकेगा जो आवश्यक हों और जो आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच तय पाए जाएं । ये जलावरोध इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध होने वाली जल की उस अतिरिक्त मात्रा के जो तय पाई जाए या 1 टी एम सी जल के उपयोग के लिए होंगे ।

3. आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक करार करते हैं कि कर्नाटक निजाम सागर परियोजना के नीचे जल ग्रहण क्षेत्र में अपने राज्य क्षेत्र में मंजरा उपबेसिन में 2.5 टी एम सी जल का उपयोग कर सकेगा ।

4. आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक करार करते हैं कि आन्ध्र प्रदेश उसके द्वारा प्रस्तावित सिंगूर परियोजना के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर सकता है और इसकी एम एस एल के ऊपर 523.6 मीटर (1717.41 फीट) के एफ आर एल/एम डब्ल्यू एल सहित कुल भण्डारण की 30 टी एम सी अधिकतम क्षमता होगी ।

5. कर्नाटक ऐसी भूमि या संरचना को जो सिंगूर परियोजना के अधीन जल निमग्न और/या प्रभावित हो अर्जित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा और आन्ध्र प्रदेश अर्जन का खर्च, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास का खर्च और ऐसे पुलों और सड़कों का जो आवश्यक हो जाएं निर्माण का खर्च देने का करार करता है । ऐसा अर्जन और पुनर्वास, अर्जन और पुनर्वास के समय कर्नाटक में प्रचलित मानदण्डों के अनुसार होगा । कर्नाटक नदी पाट और उसकी सरिता पाटों के निमज्जन के लिए भी सहमत है ।

6. यदि आन्ध्र प्रदेश सिंगूर परियोजना में जल विद्युत का विकास करता है तो कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश ऐसी विद्युत के खर्च और फायदों का तय पाए गए अनुपात में अंश भाजन करने का करार करते हैं ।

7. (क) एफ आर एल/एम डब्ल्यू एल घन 150 फीट के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पोलावरम परियोजना के अनुमोदन के अधीन रहते हुए आन्ध्र प्रदेश राज्य करार करता है कि पोलावरम परियोजना से गोदावरी के जल की 75 प्रतिशत निर्भरता पर 80 टी एम सी जल को कृष्णा नदी में इस प्रकार मोड़ा जाए जिससे कि विजयवाड़ा अनिकर के ऊपर कृष्णा डेल्टा के लिए नागार्जुन सागर परियोजना से जल निकास का विस्थापन हो जाए और इस प्रकार उक्त 80 टी एम सी जल का उपयोग नागार्जुन सागर के ऊर्ध्व प्रवाह वाली परियोजनाओं के लिए किया जा सके ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य करार करते हैं कि उक्त 80 टी एम सी जल की मात्रा में अंश भाजन इस अनुपात में होगा अर्थात् आन्ध्र प्रदेश 45 टी एम सी, कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों मिला कर 35 टी एम सी ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश करार करता है कि वह पांच पक्षकार राज्यों के बीच गोदावरी जल के विषय में व्यापक करार हो जाने के तीन मास के भीतर केन्द्रीय जल आयोग को पोलावरम परियोजना रिपोर्ट भेजेगा ।

(घ) आन्ध्र प्रदेश अपवर्तन का पूरा खर्च देने का करार करता है ।

(ङ) महाराष्ट्र और कर्नाटक उक्त उपपैरा 7(ख) में वर्णित 35 टी एम सी जल के अपने अंश का उपयोग केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पोलावरम परियोजना के अनुमोदन की तारीख से घन 150 फीट कि एफ आर एल/एम डब्ल्यु एल सहित कर सकेंगे चाहे वास्तविक अपवर्तन हुआ हो ।

(च) यह भी करार किया जाता है कि उक्त खण्ड (क) में यथा वर्णित 75 प्रतिशत निर्भरता पर होने वाला अपवर्तन प्रस्तावित पोलावरम परियोजना से कृष्णा नदी में गोदावरी के जल के अपवर्तन के कारण 80 टी एम सी की मात्रा से अधिक हो जाता है जिससे नागार्जुन सागर परियोजना से जल निकास और घट जाता है तो ऐसी आधिक्य मात्रा तीनों राज्यों के बीच उसी अनुपात में बांट ली जाएगी जिसका उल्लेख उक्त खण्ड (ख) में किया गया है ।

मि० एस० चौधरी,	मि० पी० रामचन्द्र रेड्डी
कर्नाटक राज्य के काउंसेल	आन्ध्र प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता

उपाबन्ध 2—कृष्णा

कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच बंगलौर में 4 अगस्त, 1978 को हुई बैठक का संक्षिप्त अभिलेख

इसमें निम्नलिखित उपस्थित थे :—

कर्नाटक	आन्ध्र प्रदेश
1. श्री देवराज अर्स, मुख्य मंत्री	1. डा० एम० चेन्ना रेड्डी, मुख्य मंत्री
2. श्री एन० नरसिंह राव, मुख्य सचिव	2. श्री जी० वी० सुधाकर राव, सिंचाई मंत्री
3. श्री जे० सी० लाइन, मुख्यमंत्री के सचिव	3. श्री एम० गोपालकृष्णन, सचिव, सिंचाई तथा विद्युत
4. श्री बी० सी० अंगादी, विशेष सचिव लोक निर्माण और विद्युत विभाग (सिंचाई)	4. श्री जी० गोपालकृष्णामूर्ति, सलाहकार, सिंचाई और विद्युत
5. श्री एस० आर० एस० शास्त्री, मुख्य इंजीनियर, डब्ल्यू० आर० डी० ओ०	5. श्री के० आर० चूड़ामणी, सलाहकार, सिंचाई और विद्युत
6. श्री बी० सुब्रह्मण्यम, मुख्य इंजीनियर बंगलौर जल प्रदाय और मलवहन बोर्ड ।	6. श्री एम० सत्यनारायण सिंह, विशेष अधिकारी, जल साधन

विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित बातों पर सहमति हुई :—

कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश करार करते हैं कि आन्ध्र प्रदेश कृष्णा बेसिन में एम एस एल के ऊपर घन 1045 फीट के एफ आर एल/एम डब्ल्यु एल के साथ प्रस्तावित जूराला परियोजना का कार्य आरम्भ करेगा ।

2. कर्नाटक ऐसी भूमि या संरचनाओं को जो जूराला परियोजना के अधीन जलमग्न हो जाए और/या प्रभावित हो, अर्जित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा और आन्ध्र प्रदेश अर्जन का खर्च, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास का खर्च और पुल तथा सड़कों के निर्माण का खर्च और मंदिरों के और अन्य धार्मिक स्थानों के संरक्षण या हटाए जाने का खर्च जो कर्नाटक द्वारा किए गए विनिश्चय के अनुसार आवश्यक हो जाए, उठाने के लिए सहमत है । ऐसा अर्जन और पुनर्वास उस अर्जन/पुनर्वास के समय कर्नाटक में प्रचलित मानदण्डों के अनुसार होगा । कर्नाटक नदी पाट और सरिता पाटों के निमज्जन के लिए भी सहमत है ।

3. कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश यह करार भी करते हैं कि यदि आन्ध्र प्रदेश इस परियोजना से विद्युत का उत्पादन करता है तो जल विद्युत का खर्च और उसके फायदे दोनों राज्यों के बीच बराबर बराबर बांट लिए जाएंगे । इस प्रश्न पर विचार-विमर्श नहीं हुआ कि जल विद्युत का खर्च क्या होगा । यह अलग से तय किया जाएगा ।

मि० एस० चौधरी,	मि० पी० रामचन्द्र रेड्डी
कर्नाटक राज्य के काउंसेल	आन्ध्र प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता

उपाबन्ध "घ"

गोदावरी

आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों के बीच हैदराबाद में 15 दिसम्बर, 1978 को हुई बैठक का कार्य वृत्त ।

इसमें निम्नलिखित उपस्थित थे :—

आन्ध्र प्रदेश	उड़ीसा
1. डा० एम० चेन्ना रेड्डी, मुख्य मंत्री	1. श्री नीलमणी राउतराय, मुख्य मंत्री ।
2. श्री जी० राजाराम, वित्त और विद्युत मंत्री	2. श्री प्रताप चंद्र मोहन्ती, राजस्व और विद्युत मंत्री
3. श्री जी० वी० सुधाकर राव बड़ी सिंचाई और वाणिज्यिक कर मंत्री	3. श्री प्रहलाद मलिक, सिंचाई मंत्री
4. श्री आई जे० नायडू, आई ए एस, मुख्य सचिव	4. श्री बी० एम० पटनायक, महाधिवक्ता
5. श्री एस० आर० रामामूर्ति, आई ए एस, मुख्य मंत्री के सचिव	5. श्री बी० रामादोराय, आई ए एस सचिव, सिंचाई और विद्युत
6. श्री पी० राम चन्द्र रेड्डी, महाधिवक्ता	6. श्री ए० के० बिसवाल, मुख्य मंत्री के सचिव
7. श्री सी०एन० शास्त्री,आई०ए०एस० सचिव, सिंचाई और विद्युत	7. श्री एस० सी० त्रिपाठी, मुख्य इंजीनियर, सिंचाई

आन्ध्र प्रदेश	उड़ीसा
8. श्री एम गोपालकृष्णन,आई०ए०एस० सचिव, प्रायमरी और माध्यमिक शिक्षा ।	8. श्री बी० मिश्रा, मुख्य इंजीनियर, विद्युत
9. डा० एन० टाटा राव, अध्यक्ष ए० पी० एस० ई० बी०	9. श्री एम० एम० नाथ, कार्यपालक इंजीनियर, सिंचाई
10. श्री सत्यनारायण सिंह, विशेष अधिकारी, जल साधन,	
11. श्री डी० वी० शास्त्री, अधिवक्ता	

पूरे विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित करार किया गया :

I. **जी-11 इन्द्रावती उप-बेसिन :**

उड़ीसा राज्य तारीख 19-12-1975 के अन्तरराज्यिक करार, जिसके द्वारा उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच हुए तारीख 9-12-1975 के द्विपक्षीय करार की पुष्टि की गई थी, के अनुसार जी-11 इन्द्रावती उप बेसिन में जल के अपने भाग का उपयोग कर सकता है ।

II. **जी-12 सबरी उप-बेसिन**

(क) उड़ीसा राज्य सबरी (कोलाब) नदी के समस्त जल का उपयोग उस बिन्दु तक (लगभग अक्षांश 18°-55-04" उत्तर और रेखांश 82°-14'-53" पूर्व के निकट) कर सकेगा जहां सबरी नदी उड़ीसा राज्य और मध्य प्रदेश राज्य के बीच मिली जुली सीमा बनाती है । यह उपयोग तारीख 9-12-1975 के अन्तरराज्यिक करार के खण्ड V के अनुसार होगा ।

(ख) उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश राज्य सबरी (कोलाब) नदी की सहायक नदियों तथा उप सहायक नदियों पर निम्नलिखित परियोजनाओं स्थलों तक उड़ीसा राज्य द्वारा समस्त जल के उपयोग के लिए करार करते हैं :—

(i) निम्नलिखित पर गोविन्दापाले परियोजना :—

(क) लिंगीयापुट ग्राम के निकट धर्मगेडा नाला
अक्षांश 18°-36'-07" उत्तर और रेखांश 82°-16'-11" पूर्व ।

(ख) गोविन्दापल्ली ग्राम के निकट जमनदी स्थल
अक्षांश 18°-36'-13" उत्तर और रेखांश 82°-16'-48" पूर्व ।

(ग) डेंगगुडा ग्राम के निकट गरिया नदी स्थल
अक्षांश 18°-34'-03" उत्तर और रेखांश 82°-17'-18" पूर्व ।

(ii) पोटेरुवागु की सहायक नदी पर गनिगुडा परियोजना स्थल
अक्षांश 18°-18'-57" उत्तर और रेखांश 81°-56'-24" पूर्व ।

(iii) प्रमलपल्ली ग्राम के निकट सबरी की सहायक नदी पर प्रमलपल्ली परियोजना स्थल :

अक्षांश 18°-16'-44" उत्तर और रेखांश 81°-36'-44" पूर्व

(iv) सुरलीकुन्टा ग्राम के निकट पोटेरुवागु पर पोटेरु परियोजना स्थल

अक्षांश 18°-12'-30" उत्तर और रेखांश 82°-01'-30" पूर्व ।

(ग) उड़ीसा राज्य उक्त खण्ड 2(क) और 2(ख) में यथाविनिर्दिष्ट उपयोगों के अतिरिक्त अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित परियोजना स्कीमों के लिए 40 टी एम सी जल का उपयोग कर सकता है । किन्तु प्रतिवर्ष 1.5 टी एम सी से अधिक जल का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(घ) उस बिन्दु के, जहां पर सबरी नदी उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच मिली जुली सीमा बनाती है, (लगभग अक्षांश 18°-55'-04" उत्तर और रेखांश 82°-14'-53" पूर्व के निकट) के अनुप्रवाह और उस स्थान तक जहां सिलेरु और सबरी का संगम होता है (उड़ीसा राज्य मुख्य नदी से प्रत्याहरण द्वारा अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित स्कीमों/परियोजनाओं के लिए सिंचाई के हेतु अधिक से अधिक 27 टी एम सी जल का उपयोग कर सकता है ।

(ङ) खण्ड 2(घ) के अधीन परियोजना की वाष्पन द्वारा हानि की पूर्ति के लिए और मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों द्वारा उन दोनों राज्यों के बीच हुए तारीख 9-12-1975 के द्विपक्षीय करार के खण्ड V के अनुसार, सबरी पर विद्युत परियोजनाओं की वाष्पन द्वारा हानियों की पूर्ति के लिए जल की मात्रा उक्त खण्ड (क, ख, ग और घ में विनिर्दिष्ट मात्रा के अतिरिक्त होगी और उसे उक्त दोनों राज्य उस अनुपात में आपस में बांट लेंगे जो वे तय करें । तथापि ऊपर उल्लिखित वाष्पन द्वारा हानियों में 10 टी एम सी के आधिक्य में उड़ीसा के अंश की पूर्ति उक्त खण्ड 2 क, ख, ग और घ में विनिर्दिष्ट उसकी मात्रा में से की जाएगी ।

(च) उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश राज्य सिलेरु नदी के जल का उपयोग निम्नलिखित के अनुसार करेंगे :

(क) मचकुन्द नदी पर डुडमा प्रपात नामक स्थान पर जल विद्युत शक्ति के विकास के संबंध में मद्रास और उड़ीसा की सरकारों के बीच 1916 का करार ।

(ख) सिलेरु नदी के जल के उपयोग के संबंध में उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों के बीच तारीख 4 सितम्बर, 1962 का अन्तिम करार ।

(ग) अन्य कोई पश्चात्वर्ती करार जो उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के बीच भविष्य में परस्पर किया जाए या किए जाएं ।

(घ) उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश राज्य अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित स्कीमों/परियोजनाओं के लिए मचकुन्द परियोजना के ऊर्ध्व प्रवाह जितने जल का फायदे के लिए उपयोग करेगा वह तब मचकुन्द में उनके अपने अपने अंशों पर प्रभारित किया जाएगा और मचकुन्द तथा डुडमा जल प्रपातों पर विद्युत में उनके अपने अपने अंश तदनुसार कम हो जाएंगे । उक्त स्कीमों/परियोजनाओं के अधीन प्रत्येक राज्य कुल 2 टी एम सी से अधिक जल का उपयोग नहीं करेगा । इसी प्रकार प्रत्येक राज्य द्वारा मचकुन्द परियोजना के अनुप्रवाह और बाली मेला बांध की ऊर्ध्व प्रवाह अपनी स्कीमों/परियोजनाओं के लिए जितने जल का उपयोग करेगा और जो 2 टी एम सी से अधिक नहीं होगा वह बाली मेला बांध परियोजना पर उनके अपने अपने अंशों पर प्रभारित किया जाएगा और मचकुन्द परियोजना

के ऊपर तथा मचकुन्द और बालीमेला परियोजना के अंतर्गत उपयोग में लाए गए जल की कुल मात्रा से उनके अपने अपने अंश कम हो जाएंगे। ऐसे सभी उपयोग की सूचना दूसरी सरकार को दी जानी चाहिए।

(ङ) विगत करारों के अधीन अधिरोपित किसी निर्बन्धन के होते हुए भी उड़ीसा राज्य को अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और भावी परियोजनाओं के लिए बालीमेला बांध के अनुप्रवाह फायदाप्रद उपयोग के लिए 2 टी एम सी से अनधिक सिलेरु नदी के जल का उपयोग बालीमेला बांध परियोजना के अनुप्रवाह पड़ने वाले जल ग्रहण क्षेत्र के जल में से करने की अनुज्ञा होगी। यह मात्रा उक्त खण्ड II (ग) में यथाविनिर्दिष्ट 40 टी एम सी में से होगी।

(छ) उड़ीसा राज्य आन्ध्र प्रदेश राज्य द्वारा एफ आर एल +235 फीट और एम डब्ल्यू एल +262 फीट सहित निचली सिलेरु सिंचाई स्कीम के निर्माण के लिए सहमत हो गया है। इस स्कीम के परिणामस्वरूप उड़ीसा राज्य में कुछ निमज्जन होगा। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार की तथा प्राइवेट पक्षकारों की भूमि और सम्पत्तियों के जल निमग्न होने के लिए प्रतिकर का, जो तय पाया जाए, खर्च देगा। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था परियोजना के निर्माण के समय उड़ीसा राज्य में प्रचलित मानदण्डों के अनुसार की जाएगी।

(ज) आन्ध्र प्रदेश राज्य तारीख 7-8-1978 के करार के अधीन रहते हुए उक्त खण्ड "च" के अनुसार सिलेरु नदी को छोड़कर सावरी उपबेसिन में उक्त खण्ड (I) और II क से ङ तक में यथाविनिर्दिष्ट परियोजनाओं/स्कीमों के लिए उड़ीसा राज्य द्वारा उपयोग के पश्चात् शेष बचने वाले जल का उपयोग अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित स्कीमों और परियोजनाओं के लिए कर सकेगा।

(झ) उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश राज्य आन्ध्र प्रदेश राज्य की पोलावरम परियोजना के निर्माण के लिए करार करते हैं जिससे कि मोटू/कोंटा में उड़ीसा राज्य के क्षेत्र में अधिकतम निमज्जन पश्च जल प्रभाव सहित सभी प्रभावों के कारण आर एल +150 फीट से अधिक न हो। पोलावरम परियोजना की डिजाइन केन्द्रीय जल आयोग के परामर्श से अधिकतम सम्भाव्य बाढ़ के लिए इस प्रकार तैयार की जाएगी जिससे कि ऊपर बताए गए निमज्जन की सीमा से अधिक निमज्जन न हो। सरकार की और प्राइवेट पक्षकारों की निमग्न भूमियों और सम्पत्तियों के लिए प्रतिकर और पुनर्वास का खर्च परियोजनाओं के निर्माण के समय उड़ीसा राज्य में प्रचलित मानदण्डों के आधार पर परियोजना पर प्रभारित किया जाएगा। इससे पूर्व कि वास्तविक निमज्जन हो, सुविधाओं/सुख सुविधाओं आदि सहित आदर्श ग्राम परियोजना के खर्च पर बनाए जाएंगे।

भूमि पर प्रभुता सम्बन्धित राज्यों में निहित बनी रहेगी। उड़ीसा राज्य अपने राज्य-क्षेत्र में उपयोग के लिए, भण्डारण का कोई खर्च दिए बिना पोलावरम झील से 5 टी एम सी जल उत्थापित (लिफ्ट) कर सकेगा और यह उपयोग उक्त खण्ड 2 में यथा-विनिर्दिष्ट उस राज्य के लिए किए गए आबंटन के प्रति गिना जाएगा। उड़ीसा राज्य अपने वन या खनिज उत्पाद का परिवहन उन सभी नौ परिवहन सुविधाओं/लॉक आदि के माध्यम से कर सकेगा जिनकी व्यवस्था आन्ध्र प्रदेश राज्य पोलावरम में अपने खर्च पर करेगा। ये सुविधाएं उड़ीसा राज्य को पोलावरम परियोजना पर उन दरों से प्राप्त होंगी जो आन्ध्र प्रदेश राज्य को पोलावरम परियोजना पर स्थानीय अपने स्थानों के लिए लागू हों। उड़ीसा राज्य अपने राज्य-क्षेत्र में मत्स्य पालन और नौकानयन सुविधाओं का विकास और सम्प्रयोग कर सकेगा। दो राज्य पोलावरम भण्डारण के लिए आर एल +150 फीट के स्तर के लिए सहमत हैं जैसा कि ऊपर परिनिश्चित किया गया है किन्तु वे इन स्पष्ट शर्तों पर इसके लिए सहमत हैं कि इस करार में इसमें इसके पूर्व या इसके पश्चात् एक दूसरे को गोदावरी और उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग के लिए जो उपबन्ध सुविधाएं और स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

III. साधारण खण्ड :

(1) (क) उड़ीसा राज्य निचले राज्य/राज्यों को जानकारी देकर 1.5 टी एम सी प्रतिवर्ष से अधिक जल का उपयोग करने वाली उन परियोजनाओं के जिनका विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख उक्त खण्डों में किया गया है स्थलों के मामले में परिवर्तन कर सकेगा। यदि ऐसे किसी विनिर्दिष्ट स्थल की दशा में जिस तक किसी राज्य को उक्त खण्डों में उल्लिखित जल ग्रहण क्षेत्र से अधिक या कम समस्त जल का उपयोग करने की अनुज्ञा दी गई, है, स्थान बदलने या परिवर्तन के परिणामस्वरूप अपरोधन आदि है तो अन्य विनिर्दिष्ट स्थलों के जल ग्रहण क्षेत्र में आनुपातिक कमी/वृद्धि इस प्रकार की जाएगी कि समस्त जल के अपरोधन के लिए प्रत्येक राज्य का अनुज्ञात कुल जल ग्रहण क्षेत्र अधिक न हो जाए।

(1) यह भी करार किया जाता है कि उक्त खण्ड (I) और (II) में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के बारे में यदि प्रत्येक परियोजना में 1.5 टी एम सी से अधिक किन्तु 2 टी एम सी से अनधिक उपयोग की उपान्त वृद्धि होती है तो ऐसी वृद्धि सम्बन्धित राज्यों और निचले नदतटीय राज्य/राज्यों के बीच परस्पर परामर्श द्वारा अनुज्ञात की जा सकेगी। किन्तु यह तब जब कि उक्त खण्ड में से प्रत्येक में विनिर्दिष्ट कुल उपयोग से अधिक उपयोग सम्बन्धित राज्यों द्वारा न हो।

(2) उक्त करार में जहां कहीं जल की विनिर्दिष्ट मात्राएं उस रूप में उल्लिखित है जिनका किसी राज्य द्वारा किया जा सकता है, यह करार किया जाता है कि उपयोग की माप निम्नलिखित रीति से की जाएगी :

उपयोग	माप
(i) सिंचाई उपयोग	नदी या किसी सहायक नदी अथवा किसी जलाशय, भण्डार या नहर से मोड़े गए या उत्थापित जल की शत प्रतिशत मात्रा और इन भण्डारों में वाष्पन द्वारा हानि का शत प्रतिशत भाग।
(ii) विद्युत उपयोग	भण्डार में वाष्पन द्वारा हानियों का शत प्रतिशत भाग।
(iii) बेसिन के भीतर घरेलू और नगरपालिक जल प्रदाय	नदी या उसकी किसी सहायक नदी अथवा किसी जलाशय जल भण्डार या नहर से मोड़े गए या उत्थापित जल की मात्रा का 20 प्रतिशत।
(iv) बेसिन के भीतर औद्योगिक उपयोग	नदी या उसकी किसी सहायक नदी अथवा किसी जलाशय जल भण्डार या नहर से मोड़े गए या उत्थापित जल की मात्रा का 2.5 प्रतिशत।
(v) बेसिन के बाहर सभी प्रकार के उपयोग।	नदी या उसकी किसी सहायक नदी अथवा किसी जलाशय जल भण्डार या नहर से मोड़े गये या उत्थापित जल की मात्रा का 100 प्रतिशत।

(3) यह करार किया जाता है कि उक्त करार में प्रत्येक राज्य को अनुज्ञात जल का उपयोग करने में कोई भी राज्य उन परियोजनाओं को छोड़ कर जिनके लिए स्पष्ट रूप से करार हो चुका है ऐसी कोई परियोजनाएं निर्मित नहीं करेगा जिनसे अन्य राज्य/राज्यों का राज्यक्षेत्र जल निमग्न हो जाए। किन्तु ऐसे जल निमज्जन के लिए उस राज्य की पूर्व सम्मति से वह ऐसा कर सकेगा।

(4) यह करार किया जाता है कि सभी राज्य गोदावरी बेसिन में अपने राज्य क्षेत्रों के भीतर भूगर्भजल का उपयोग कर सकता है और ऐसे उपयोग की गणना गोदावरी नदी के जल के उपयोग के रूप में नहीं की जाएगी।

(5) करार में निर्दिष्ट उप बेसिन गोदावरी बेसिन के उपबेसिनों में किए गए उस विभाजन के अनुसार है जो कृष्णा गोदावरी आयोग की रिपोर्ट के अध्याय (iii) पैरा 4.27 में पृष्ट में किए गए हैं।

(6) उपयोग के अन्तर्गत किसी राज्य द्वारा गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों के जल का ऐसा उपयोग भी जो उसने घरेलू, नगरपालिक सिंचाई औद्योगिक विद्युत उत्पादन, नौपरिवहन, मत्स्य पालन, वन, जीवन संरक्षण मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए किए है और इसके अन्तर्गत उक्त प्रयोजनों के लिए मृजित जल भण्डारों से वाष्पन द्वारा हानियां भी हैं।

7. उक्त खण्डों में वर्णित सभी स्तर जी टी एस स्तरों के हवाले से दिए गए हैं।"

हस्ता०/-
(डा० एम० चेन्ना रेड्डी)
मुख्यमंत्री
आन्ध्र प्रदेश।

हस्ता०/-
(नीलमणि राउतराय)
मुख्यमंत्री
उड़ीसा।

उपाबन्ध (5)

उपाबन्ध-I

विधान सौध,
बंगलौर, 29 जनवरी, 1979

बी० सी० अंगादी,
सरकार के विशेष सचिव
सिंचाई विभाग।

अ० स० सं० पी० डब्ल्यू० डी० 25 बी० आर० ए० 78,
प्रिय श्री डूसकर,

विषय गोदावरी जल के वितरण के संबंध में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच करार।

गत सप्ताह हमारे बीच टेलीफोन से हुई बातचीत की पुष्टि करते हुए मुझे यह कहना है कि हम इस बात के लिए सहमत हैं कि :—

(क) कृष्णा में 35 टी एम सी जल जो पोलावरम बराज में आन्ध्र प्रदेश राज्य द्वारा गोदावरी पथान्तर के 80 टी० एम०सी० जल में से कर्नाटक और महाराष्ट्र का अंश है; कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच निम्नलिखित रूप में बांटा जाएगा —

कर्नाटक — 21 टी० एम० सी०
महाराष्ट्र — 14 टी० एम० सी०

(ख) कर्नाटक ने महाराष्ट्र को आवंटित अंश में से निजाम सागर के ऊर्ध्व प्रवाह के काम से कम 1 टी० एम० सी० मंजरा जल के लिए अनुरोध किया है। महाराष्ट्र ने यह जल देने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। कर्नाटक ने इस स्थिति को इसलिए स्वीकार कर लिया है कि करार किया जा सके।

(ग) आप इस पत्र की पुष्टि करके इसकी एक प्रति गोदावरी अधिकरण के समक्ष 2-2-1979 को फाइल कर दें।

कृपया उन बातों की जिनके विषय में टेलीफोन पर सहमति हुई थी पुष्टि कर दें।

आपका
हस्ता०/-
(बी० सी० अंगादी)
29-1-1979

ठ 28

श्री बी० आर० डूसकर
सरकार के सचिव
सिंचाई विभाग
महाराष्ट्र सरकार
मन्त्रालय,
मुम्बई-400032

उपाबन्ध-II

बी० आर० डूसकर
सरकार के सचिव

अ० स० स० आई० एस० डब्ल्यू० 5179-कंजा
सिंचाई विभाग
मंत्रालय,
मुम्बई-400 032
कैंप : नई दिल्ली
तारीख 30 जनवरी, 1979

विषय : गोदावरी जल के वितरण के संबंध में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच करार।

निर्देश : आपका अ० सं० पत्र सं० पी० डब्ल्यू० डी 25 बी० आर० ए० 78 तारीख 29 जनवरी, 1979।

प्रिय श्री अंगादी,

विगत सप्ताह हमारे बीच टेलीफोन पर जो बातचीत हुई थी उसकी पुष्टि करते हुए और आपके उक्त अ० स० पत्र के प्रति निर्देश से, आप के पत्र में वर्णित दोनों राज्यों के बीच तय पाई गई बातों की पुष्टि निम्नलिखित बातों के अधीन रहते हुए की जाती है :—

35 टी एम सी जल के विभाजन का वर्तमान अनुपात अर्थात महाराष्ट्र के लिए 14 और कर्नाटक के लिए 21, ऐसे किसी अतिरिक्त जल को लागू नहीं होगा जो आन्ध्र प्रदेश द्वारा 80 टी एम सी से जल के पथान्तर के आधार पर उपलब्ध होगा।

गोदावरी जल विवाद अधिकरण के समक्ष हम अपने काउंसेल को इस बात के लिए प्राधिकृत कर दें कि वह दो राज्यों के बीच हुए हमारे समझौते के अनुसार एक करार उचित प्रारूप में तैयार करें और उसे गोदावरी अधिकरण के समक्ष फाइल कर दें।

आपका

ह० /-

(वी० आर० ड्यूसकर)

श्री बी० सी० अंगादी
विशेष सचिव
सिंचाई विभाग
कर्नाटक सरकार
बंगलौर।

उपाबन्ध-III

बी० सी० अंगादी,
सरकार के विशेष सचिव,
सिंचाई विभाग।

विधान सौध, बंगलौर
तारीख 31-1-1979

अ० स० सं० पी डब्ल्यू डी 25 बी आर ए 78

प्रिय श्री ड्यूसकर,

विषय : गोदावरी जल के वितरण के सम्बन्ध में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच करार।

मुझे आपका अ० स० पत्र सं० आई एस डब्ल्यू 5179-केजी, तारीख 30-1-1979 टैलेक्स द्वारा प्राप्त हुआ। इसमें आपने हमारी टेलीफोन पर हुई बातचीत और दोनों राज्यों के बीच तय पाई गई उन बातों जिनका उल्लेख मेरे अ० स० पत्र स० पी डब्ल्यू डी 25 बी आर ए 78, तारीख 29 जनवरी, 1979 में किया गया है, की पुष्टि की है।

2. मैं इस बात के लिए भी सहमत हूं कि आप के उक्त पत्र में उल्लिखित निम्नलिखित शर्त अर्थात् :—

"35 टी एम सी जल के विभाजन का वर्तमान अनुपात अर्थात् महाराष्ट्र के लिए 14 और कर्नाटक के लिए 21, ऐसे किसी अतिरिक्त जल को लागू नहीं होगा जो आन्ध्र प्रदेश द्वारा 80 टी एम सी से अधिक जल के पथान्तर के आधार पर उपलब्ध होगा"।

उस करार की भाग रूप होना चाहिए जो तैयार किया जाए और अधिकरण के समक्ष फाइल किया जाए।

आपका

ह०

बी०सी० अंगादी

श्री वी० आर० ड्यूसकर,
सरकार के सचिव
सिंचाई विभाग
महाराष्ट्र सरकार
मंत्रालय,
बम्बई – 40 0032

उपाबन्ध "च"

उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच हुआ करार

पूर्ण विचार-विमर्श के पश्चात भोपाल में 11 जुलाई, 1979 को निम्नलिखित करार हुआ।

जी–11 इन्द्रावती उप बेसिन :

1. उड़ीसा

(क) उड़ीसा राज्य अपर इन्द्रावती परियोजना स्थल तक, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट है, समस्त जल का उपयोग कर सकता है :

(i) इन्द्रावती बांधस्थल (अक्षांश 19°-16′ उत्तर और रेखांश 82°–50 पूर्व)।

(ii) पोडागा बांध स्थल (अक्षांश 19°–14′ उत्तर और रेखांश 82°–49′ पूर्व।

(iii) कपूर बांध स्थल (अक्षांश 19°-06′ उत्तर और रेखांश 82°–47′ पूर्व)।

(iv) मोरन बांध स्थल (अक्षांश 19°-06′ उत्तर और रेखांश 82°-46′ पूर्व)

(ख) उड़ीसा राज्य अपने राज्य क्षेत्र के भीतर अपर इन्द्रावती परियोजना के नीचे उपलब्ध शेष जल प्रवाह में से यह सुनिश्चित करेगा कि पैंतालीस (45) टी एम सी जल इन्द्रावती उपबेसिन में उड़ीसा मध्य प्रदेश सीमा पर अनुप्रवाहित हो। उन वर्षों में जब कि गोदावरी बेसिन के बाहर अपर इन्द्रावती परियोजना में जल का पथान्तर पिचासी (85) टी एम सी (जिसके अन्तर्गत वाष्पन द्वारा हानि सम्मिलित नहीं है) से कम है, उड़ीसा मध्य प्रदेश सीमा पर इन्द्रावती उपबेसिन में पैंतालीस (45) टी एम सी जल की यह मात्रा उसी अनुपात में कम कर दी जाएगी जिस अनुपात में पिचासी (85) टी एम सी जल की मात्रा कम होती है उड़ीसा राज्य अपने राज्य क्षेत्र के भीतर इस प्रकार बचे हुए समस्त शेष जल का उपयोग अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए कर सकता है।

(ग) (i) उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्य पैंतालीस (45) टी एम सी जल की इस मात्रा को इन्द्रावती नदी पर जगदालपुर गेज स्थल पर मापने पर करने के लिए सहमत है। जगदालपुर गेज स्थल का अनुरक्षण इस समय केन्द्रीय जल आयोग, द्वारा उपपैरा (ग)(ii) में वर्णित समायोजन के अधीन रहते हुए किया जाता है।

(ii) उड़ीसा राज्य का जल ग्रहण क्षेत्र जिससे जगदालपुर गेज स्थल के नीचे इन्द्रावती नदी में जल प्रवाह के लिए जल प्राप्त होता है, लगभग दो सौ अड़तीस (238) वर्ग मील है। जब कि गेज स्थल तक मध्य प्रदेश राज्य का जल ग्रहण क्षेत्र लगभग एक सौ अठानवे (198) वर्ग मील है। इस चालीस (238 ऋण 198 जो बराबर है 40 के) वर्ग मील के क्षेत्र से जल प्राप्ति का 75 प्रतिशत भाग दो दशमलव आठ (2.8) टीएमसी माना जा सकता है। उक्त पैरा 1(ख) में विनिर्दिष्ट उड़ीसा-मध्य प्रदेश सीमा पर उपलब्ध जल प्रवाह का अनुमान लगाने के लिए इस दो दशमलव आठ (2.8) टीएमसी जल की मात्रा को जगदालपुर जल प्रवाह में जोड़ दिया जाएगा। दो दशमलव आठ (2.8) टी एम सी जल की यह मात्रा जल की कमी वाले वर्षों में उसी अनुपात में कम हो कर दी जाएगी जिस अनुपात में अपर इन्द्रावती परियोजना स्थल पर नवासी दशमलव पांच (89.5) टी एम सी की जल प्राप्ति जिस का अनुमोदन योजना आयोग द्वारा कर दिया गया है, का पचहत्तर (75) प्रतिशत भाग कम होता है।

(iii) यदि किसी समय केन्द्रीय जल आयोग जगदालपुर गेज स्थल को बन्द कर देता है तो दोनों राज्य उस गेज स्थल को संयुक्त रूप से अथवा ऐसे किसी स्थल या स्थलों को जिनके विषय में परस्पर सहमती हो जाए, इस प्रयोजन के लिए बनाए रखेंगे।

2. मध्य प्रदेश

(क) मध्य प्रदेश राज्य, इन्द्रावती नदी पर भोपाल पटनम-1 जल विद्युत परियोजना स्थल (अक्षांश 19°-03'-45" उत्तर और रेखांश 80°-19'-05" पूर्व) तक, — जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के बीच एक संयुक्त परियोजना है, पैरा (1) में तय पाए गए उपयोगों के अधीन रहते हुए, दो सौ तिहत्तर (273) टी०एम०सी० जल का उपयोग अपनी विभिन्न विद्यमान निर्माणाधीन और प्रस्थापित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए कर सकता है। जल की इस मात्रा के अन्तर्गत भोपालपटनम-1 जलाशय में मध्य प्रदेश राज्य का वाष्पन द्वारा हानि का अंश भी सम्मिलित है।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य पैरा 2(क) में तय पाए गए उपयोगों के अतिरिक्त भोपाल पटनम-1 जल विद्युत परियोजना स्थल के अनुप्रवाह इन्द्रावती में मिलने वाली सहायक नदियों पर निम्नलिखित परियोजना स्थलों तक समस्त जल का उपयोग कर सकता है :

(i) पावरेल ग्राम के निकट चिंतावागु पर चिंतावागु बांध स्थल (अक्षांश 18°-41'-45" उत्तर और रेखांश 80°-40'-47" पूर्व)।

(ii) चिल्लामार्का ग्राम के निकट जल्लावागु पर जल्लावागु बांध स्थल (अक्षांश 18°-56'-34" उत्तर और रेखांश 80°-21'-34" पूर्व)।

(iii) चिंतावागु की सहायक नदी पर कोयापल्ली एकीकृत परियोजना जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित समाविष्ट हैं :—

(1) कोयापल्ली बांध स्थल :
(अक्षांश 18°-40'-54" उत्तर और रेखांश 80°-34'-54" पूर्व)।

(2) मिनर बांध स्थल :
(अक्षांश 18°-15'-21" उत्तर और रेखांश 80°-28'-13" पूर्व)।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य पैरा (2क) और पैरा (2ख) में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं स्थलों के अनुप्रवाह के उन्नीस (19) टी.एम.सी. जल की अतिरिक्त मात्रा का उपयोग अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए कर सकता है किन्तु इन में से प्रत्येक परियोजना में प्रतिवर्ष एक दशमलव पांच (1.5) टी.एम.सी. जल से अधिक जल का उपयोग नहीं किया जायगा।

जी-12 साबरी उपबेसिन

3. उड़ीसा

(क) उड़ीसा राज्य अक्षांश 18°-55'-04" उत्तर और रेखांश 82°-14'-53" पूर्व के निकटवर्ती स्थान पर तक जहां साबरी नदी उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच सांझी सीमा बनाती है, साबरी (कोलाब) नदी के समस्त जल का उपयोग कर सकता है।

(ख) पूर्वोक्त के अतिरिक्त उड़ीसा राज्य, साबरी (कोलाब) नदी के सहायक नदियों पर निम्नलिखित परियोजना स्थलों तक समस्त जल का उपयोग कर सकता है :

(i) गोविन्दापल्ली परियोजना स्थल जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट हैं :—

(1) लिंगिरापुट ग्राम के निकट धर्मगेडा नाला (अक्षांश 18°-36'-07" उत्तर और रेखांश 82°-16'-11" पूर्व)।

(2) गोविन्दापल्ली ग्राम के निकट जमनादा
(अक्षांश 18°-36'-13" उत्तर और रेखांश 82°-16'-48" पूर्व)।

(3) झोरागुडा ग्राम के निकट गारिया नदी
(अक्षांश 18-31'-02" उत्तर और रेखांश 82°-17'-18" पूर्व)।

(ii) पोटेरुवागु की सहायक नदी पर गतिगुडा परियोजना स्थल (अक्षांश 18°-18'-57" उत्तर और रेखांश 81°-56'-24" पूर्व)।

(iii) प्रसन्नपल्ली ग्राम के निकट साबरी नदी की सहायक नदी पर प्रसन्नपल्ली परियोजना स्थल (अक्षांश 18-16'-41" उत्तर और रेखांश 81°-36'-44" पूर्व)।

(4) मूरलितकुटा ग्राम के निकट पोटेरुवागु पर पोटेरु परियोजना (अक्षांश 18°-12'-30" उत्तर और रेखांश 82°-01'-30" पूर्व)।

(ग) उड़ीसा राज्य अपने विद्यमान निर्माणाधीन और प्रस्थापित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए पैरा 3(क) और 3(ख) में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अनुप्रवाह चालीस (40) टी० एम० सी० जल की अतिरिक्त मात्रा का उपयोग कर सकता है। किन्तु प्रत्येक परियोजना में प्रतिवर्ष एक दशमलव पांच (1.5) टी०एम० सी० से अधिक जल का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(घ) उस स्थान के अनुप्रवाह जहां साबरी नदी उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच सांझी सीमा बनाती है। लगभग अक्षांश 18°-55'-04" उत्तर और रेखांश 82°-14'-53" पूर्व के निकट) और सिलेरु तथा साबरी नदियों के संगम स्थल तक उड़ीसा राज्य पैरा 3(क) से 3(ग) तक में विनिर्दिष्ट उपयोग के अतिरिक्त सत्ताईस (27) टी० एम० सी० से अनधिक सिंचाई के लिए जल का उपयोग मुख्य नदी से पानी लेकर अपनी विद्यमान, निर्माणाधीन और प्रस्थापित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए कर सकता है।

(ङ) उड़ीसा राज्य इस बात के लिए करार करता है कि मुख्य साबरी नदी पर मध्य प्रदेश राज्य के साथ संयुक्त परियोजनाओं द्वारा साबरी (कोलाब) नदी के जल का समुपयोग साबरी (कोलाब) नदी पर उस स्थान के निकट से जो अक्षांश 18°-55'-04" उत्तर और रेखांश 82°-14'-53" पूर्व के लगभग स्थित है और जहां साबरी नदी दोनों राज्यों के बीच सांझी सीमा बनाती है, सिलेरु नदी के साथ संगम के स्थल तक उस करार (करारों) के आधार पर किया जा सकेगा जो उपयुक्त समय पर निष्पादित किए जाएंगे। किन्तु इसके अन्तर्गत उप-पैरा 3(घ) में वर्णित उपयोग नहीं है। इस समय लोअर कोलाब और कोटा परियोजनाएं अन्वेषणाधीन हैं और उन परियोजनाओं के स्थल दोनों राज्य सरकारों द्वारा परस्पर तय किए जाएंगे। जल विद्युत और ऐसी विद्युत के उत्पादन के लिए विकलनीय खर्च इन परियोजनाओं में या ऐसी ही अन्य परियोजनाओं में दोनों राज्यों के बीच बराबर-बराबर बांट लिए जाएंगे। यदि इन परियोजनाओं में कोई सिंचाई होती है तो उस के खर्च और उसके फायदे भी दोनों राज्यों के बीच उचित रीति से बांट लिए जाएंगे।

(च) उड़ीसा राज्य के लिए पैरा 3(ङ) में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए वाष्प द्वारा हानि का अंश जो दस (10) टी० एम० सी० है पैरा 3(क) से लेकर पैरा 3(घ) में विनिर्दिष्ट मात्रा के अतिरिक्त होगा और

यदि कोई आधिक्य है तो उसकी पूर्ति पैरा 3(क) से लेकर 3 (ब) में विनिर्दिष्ट उपयोग द्वारा की जाए।

(छ) पैरा 3(क) से लेकर 3(ब) तथा 3(च) में उड़ीसा राज्य के लिए विनिर्दिष्ट उपयोग में उड़ीसा राज्य और आन्ध्र प्रदेश राज्य के बीच तारीख 15-12-1978 को हुए करार के अनुसार सिलेरु नदी में उपयोग सम्मिलित नहीं है।

4. मध्य प्रदेश

(क) मध्य प्रदेश राज्य उस स्थान से जहां साबरी नदी उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच सांझी सीमा बनाती है और जो अक्षांश 18°—55′—04″ उत्तर और रेखांश 82°—14′—53″ पूर्व के निकट है, निम्नलिखित परियोजना स्थल तक साबरी नदी की सहायक नदियों के समस्त जल का उपयोग कर सकेगा :—

(i) बारु नदी एकीकृत परियोजना जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट हैं:—

(1) टंकावादा ग्राम के निकट बारु नदी पर बारू नदी स्थल (अक्षांश 18°—45′—33″ उत्तर और रेखांश 81°—48′—50″ पूर्व)।

(2) बोवावादा ग्राम के निकट भीमसेन नदी पर भीमसेन जल भण्डार स्थल (अक्षांश 18°—45′—0″ उत्तर और रेखांश 81°—55′—46″ पूर्व)।

(3) कुद्री पाल ग्राम के निकट बारु नदी पर कुद्री पाल पिकअप बंधिका स्थल (अक्षांश 18°—40′—42″ उत्तर और रेखांश 81°—51′—30″ पूर्व)।

(ii) जयमेरु ग्राम के निकट मुपारी (जयमेरु) नदी पर मुपारी परियोजना स्थल (अक्षांश 18°—42′—30″ उत्तर और रेखांश 81°—45′—0″ पूर्व)।

(iii) गोलारी नदी परियोजना जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट है :—

(1) कांजी पानी ग्राम के निकट गोरागी नदी पर गोरागी बांध स्थल (अक्षांश 18°—32′—50″ उत्तर और रेखांश 81°—40′—55″ पूर्व)।

(2) अन्दुमपाल ग्राम के निकट पुलनदी पर अनदुमपाल बांध स्थल (अक्षांश 18°—34′—43″ उत्तर और और रेखांश 81°—42—04″ पूर्व)।

(iv) सालेरवागु एकीकृत परियोजना जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट है :—

(1) मंकापाल ग्राम के निकट मेलेन्गार नदी पर मकापाल बांध स्थल (अक्षांश 18°—32′—06″ उत्तर और रेखांश 81°—29′—26″ पूर्व)।

(2) पैना ग्राम के निकट सैलेरवागु पर सैलेरवागु बांध, बांध स्थल (अक्षांश 18°—26′—12″ उत्तर और रेखांश 81°—31′—38″ पूर्व)।

(v) आडिलटांग एकीकृत परियोजना जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट हैं :—

(1) आडिलटांग ग्राम के निकट तिनारैयावागु की सहायक नदी पर आडिलटांग बांध स्थल (अक्षांश 18°—13′—24″ उत्तर और रेखांश 81°—24′—06″ पूर्व)।

(2) कोरीपाल ग्राम के निकट तिनरैयावागु पर तिनरैया वागु बांध स्थल (अक्षांश 18°—11′—0″ उत्तर और रेखांश 81°—18′—56″ पूर्व)

(vi) जनवागु एकीकृत परियोजना जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट हैं :—

(1) गोरखा ग्राम के निकट जनवागु पर जनवागु बांध स्थल (अक्षांश 17°—57′—24″ उत्तर और रेखांश 81°—20′—15″ पूर्व)।

(2) जरपुत ग्राम के निकट ऐलामाडुगुवागु पर एलामाडुगु वागु बांध स्थल (अक्षांश 18°—03′—42″ उत्तर और रेखांश 81°—18′—09″ पूर्व)।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य अपने विद्यमान निर्माणाधीन और प्रास्थापित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए पैरा 4(क) में विनिर्दिष्ट परियोजना स्थलों के अनुप्रवाह में अठारह (18) टी० एम० सी० अतिरिक्त जल का उपयोग कर सकता है। किन्तु प्रत्येक में प्रतिवर्ष एक दशमलव पांच (1.5) टी० एम० सी० से अधिक जल का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ग) (i) साबरी नदी पर विद्युत् परियोजनाओं का वाष्पन हानियों का अंश जिसका उल्लेख पैरा 3(ङ) में किया गया है और जो मध्य प्रदेश राज्य के लिए दस (10) टी० एम० सी० तक है, पैरा 4(क) और 4(ख) में विनिर्दिष्ट मात्रा के अतिरिक्त होगा और यदि कोई आधिक्य है तो वह मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अपने उस अंश में से दिया जाएगा जिसका उल्लेख पैरा 4(क) और 4(ख) में किया गया है।

(ii) पैरा 3(ङ) में विनिर्दिष्ट संयुक्त परियोजनाओं में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा उपयोग के लिए जल की मात्रा की पूर्ति पैरा 4(क) में राज्य के लिए विनिर्दिष्ट उपयोग में से की जाएगी।

(iii) पैरा 3(ङ) में जिन संयुक्त परियोजनाओं/स्कीमों का उल्लेख किया गया है उनकी वाष्पन द्वारा हानियों की पूर्ति के लिए जल की मात्रा उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच बराबर-बराबर बांट ली जाएगी।

हस्ता०/-	हस्ता०/-
(बी० रामदुराई)	(डा० ईश्वरदास)
सचिव,	सचिव
सिंचाई और विद्युत् विभाग	सिंचाई और विद्युत् विभाग
उड़ीसा सरकार।	मध्य प्रदेश सरकार।

अनुबन्ध "छ"

आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के बीच किया गया तारीख

2 अप्रैल, 1980 का करार

इस दृष्टि से कि पोलावरम परियोजना के लिए अनुमति दी जा सके, निम्नलिखित करार किया जाता है :—

1. पोलावरम परियोजना अधिप्लव मार्ग की अभिकल्पना आर एल+140 (एक सौ चालीस) फीट के ताल स्तर पर 36 (छत्तीस) लाख क्यूसेक बाढ़ जल विसर्जन क्षमता और आर एल+130 (एक सौ तीस) फीट के ताल स्तर पर 20 (बीस) लाख क्यूसेक से अनन्य बाढ़ जल विसर्जन क्षमता के लिए की जाएगी।

2. यदि जून मास में पोलावरम जलाशय में अन्तर्वाह 3 (तीन) लाख क्यूसेक से अधिक हो जाता है तो जल स्तर आर एल+145 (एक सौ पैंतालीस) फीट से ऊंचा नहीं रखा जाएगा।

3 ऊपरी स्थलों से बाढ़ की चेतावनी मिलने पर और/या जलाशय में पूर्वानुमानित अन्तर्वाह के कारण जिसके लिए विनियमन करना अपेक्षित हो ताल स्तर का विनियमन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा :—

(क) जब अन्तर्वाह 3 (तीन) लाख क्यूसेक से अधिक हो जाए आर एल+145 (एक सौ पैंतालीस) फीट का ताल स्तर धीरे धीरे कम किया जाएगा जिससे कि 10 (दस) लाख क्यूसेक अन्तर्वाह के लिए ताल स्तर आर एल+140 (एक सौ चालीस) हो जाए।

(ख) 10 (दस) लाख क्यूसेक से उच्चतर अन्तर्वाह के लिए ताल स्तर को और कम किया जाएगा जिससे कि वह 20 (बीस) लाख क्यूसेक के अन्तर्वाह के लिए आर एल+130 (एक सौ तीस) फीट से अधिक न हो।

(ग) 20 (बीस) लाख क्यूसेक के उच्चतर अन्तर्वाह के लिए सभी द्वार पूरी तौर से खोल दिए जाएंगे।

(घ) उतरती बाढ़ में ताल स्तर को धीरे धीरे आर एल 140 (एक सौ चालीस) फीट तक तब बनाया जा सकता है जब कि अन्तर्वाह घट कर 10 (दस) लाख क्यूसेक हो जाए और यदि अन्तर्वाह घट कर 3 (तीन) लाख क्यूसेक या उससे कम हो जाए तो ताल स्तर को आर एल+145 (एक सौ पैंतालीस) फीट तक बनाया जा सकता है। किन्तु जुलाई और अगस्त के मास में ताल स्तर आर एल +145 (एक सौ पैंतालीस) फीट से अधिक नहीं होगा।

(ङ) पहली सितम्बर को या उसके पश्चात् जब कभी पोलावरम जलाशय में अन्तर्वाह 1 (एक) लाख क्यूसेक या उससे कम हो तब पोलावरम में जल संचय को आर एल+145 (एक सौ पैंतालीस) फीट से अधिक बनाया जा सकता है। किन्तु यह बात उच्चतर अन्तर्वाहों की दशा में उक्त 7(क) से लेकर (ग) तक में वर्णित कमी के अधीन रहते हुए होगी।

4. उड़ीसा राज्य के क्षेत्र में आर एल+150 (एक सौ पचास) फीट से ऊपर की उन भूमि और सम्पत्तियों की जिन पर पोलावरम परियोजना के निर्माण का प्रभाव पड़ना संभावित है, संरक्षा के लिए पोलावरम परियोजना के खर्च पर पर्याप्त जलनिकास जल द्वारों सहित संरक्षी तटबंध निर्मित किए जाएंगे और बनाए रखे जाएंगे। तथापि पोलावरम परियोजना के निर्माण के समय उड़ीसा राज्य उस भूमि और सम्पत्ति के लिए जिन पर आर एल +150 (एक सौ पचास) फीट से ऊपर प्रभाव पड़ना संभावित है वैसे ही प्रतिकर के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा जिसके लिए मध्य प्रदेश राज्य के मामले में आगे पैरा 5 (पांच) में करार हुआ है।

5. मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र में पोलावरम परियोजना के निर्माण के कारण आर एल+150 (एक सौ पचास) फीट से ऊपर की उन सम्पत्तियों के बारे में जिन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, आन्ध्र प्रदेश राज्य.—

(क) उन सभी भवनों और उनसे लगी भूमि के लिए जो आर एल +150 (एक सौ पचास) फीट से ऊपर स्थित है और जो पश्चजल प्रभाव सहित सभी प्रभावों के कारण प्रभावित होंगी, प्रतिकर का संदाय करेगा और विस्थापित व्यक्तियों आदि का परियोजना के खर्च पर उसी प्रकार पुनर्वास करेगा जैसा कि आर एल+150 (एक सौ पचास) फीट से नीचे के व्यक्तियों के लिए है किया जाएगा, या

(ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य के खर्च पर पर्याप्त पंपिंग व्यवस्था और/या जल निकास जल द्वारों वाले आवश्यक संरक्षी तटबंधों का निर्माण करेगा और उन्हें बनाए रखेगा।

मध्य प्रदेश राज्य पोलावरम परियोजना के निर्माण के समय प्रत्येक प्रभावित स्थल की स्थिति के अनुकल्प (क) या (ख) के विकल्प का प्रयोग करेगा।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य के राज्य क्षेत्र में आर एल+150 (एक सौ पचास) फीट से परे की भूमि को नुकसान या क्षति के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य प्रत्येक दशा में ऐसे नुकसान या क्षति के लिए पूरे प्रतिकर का संदाय करेगा जो मध्य प्रदेश राज्य के उक्त जिले के जिला कलक्टर द्वारा निर्धारित किया जाए।

(घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य आर एल+150 (एक सौ पचास) फीट के लिए तथा पश्चजल प्रभाव के लिए दोनों ही मामलों में पोलावरम जलाशय की परिधि के साथ साथ लगभग एक किलो मीटर के अंतराल पर मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्र में जी टी एस बैंच मार्कस से संबंधित स्थायी बैंच मार्क लगाने के लिए करार करता है।

ह०	ह०	ह०
आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए प्रतिनिधि	मध्य प्रदेश राज्य के लिए प्रतिनिधि	उड़ीसा राज्य के लिए प्रतिनिधि
ह०	ह०	ह०
आन्ध्र प्रदेश राज्य का महाधिवक्ता	मध्य प्रदेश राज्य का ज्येष्ठ काउंसेल	(जी० बी० पटनायक) सरकारी अधिवक्ता उड़ीसा

उपाबन्ध "ज"

भारत सरकार के ऊर्जा और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग) और केन्द्रीय जल आयोग के काउंसेल द्वारा प्रस्तुत किया गया कथन

भारत सरकार का ऊर्जा और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग) और केन्द्रीय जल आयोग, अधिकरण द्वारा दिए गए निम्नलिखित आदेश को स्वीकार करने के लिए राजी हैं :—

एफ आर एल/एम डब्ल्यू एल+150 फीट के लिए पोलावरम परियोजना का अनुमोदन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा यथाशीघ्र किया जाएगा।

बांध की डिजाइन की बात और उसकी संचालन अनुसूची केन्द्रीय जल आयोग पर छोड़ दी जाएगी और वह आयोग यथा साध्य पक्षकारों के बीच हुए सभी करारों को जिनके अन्तर्गत आज फाइल किया गया तारीख 2 अप्रैल, 1980 का करार भी है, ध्यान में रखते हुए इन दोनों बातों का विनिश्चय करेगा।

यदि तारीख 2 अप्रैल, 1980 के करार में उल्लिखित संचालन अनुसूची में कोई परिवर्तन होता है तो ऐसा परिवर्तन आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से परामर्श करने के पश्चात् ही किया जाएगा। जहां तक डिजाइन का संबंध है यह बात पूरी तौर से केन्द्रीय जल आयोग पर छोड़ दी जाएगी।

ह०/—मुरलीधर भण्डारे.

3-4-1980

सिंचाई विभाग और केन्द्रीय जल आयोग के काउंसेल

उपाबन्ध "ग

गोदावरी बेसिन के उप-बेसिन

जी-1 प्रवर गोदावरी : इस उप-बेसिन के अन्तर्गत गोदावरी नदी का वह सारा क्षेत्र भी है जो उसके उद्गम स्थल से लेकर मंजरा के साथ उसके संगम स्थल तक है। इस उप-बेसिन मे प्रावारा, पूरना और मंजरा के जल ग्रहण क्षेत्र नहीं हैं किन्तु इसके अन्तर्गत उन सभी अन्य सहायक नदियों के जो इस क्षेत्र के अन्तर्गत गोदावरी में मिलती हैं, जल ग्रहण क्षेत्र सम्मिलित है।

जी-2 प्रावारा : इस उप-बेसिन के अन्तर्गत प्रावारा के उद्गम स्थल से लेकर गोदावरी के साथ उसके संगम स्थल तक का सम्पूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र है जिसमें मूला और प्रवारा की अन्य सहायक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र भी सम्मिलित हैं।

जी-3 पूरना : इस उप-बेसिन के अन्तर्गत पूरना और उसकी सभी सहायक नदियों का सम्पूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र भी है।

जी-4 मंजरा : इस उप-बेसिन के अन्तर्गत मंजरा के उद्गम स्थल से लेकर गोदावरी के साथ उसके संगम स्थल तक का सम्पूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र भी है जिसमें तिरना, करंजा, हाल्दी, लेण्डी, मनार और अन्य सहायक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र भी सम्मिलित हैं।

जी-5 मध्य गोदावरी . इस उप-बेसिन में मंजरा के साथ गोदावरी नदी के संगम से लेकर प्रणहिता के साथ उसके संगम स्थल तक का क्षेत्र समाविष्ट है। इस उप-बेसिन के अन्तर्गत इस क्षेत्र में गोदावरी का प्रत्यक्ष जल ग्रहण क्षेत्र और उसकी सहायक नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र भी है किन्तु इस में मनेर और प्रणहिता का जल ग्रहण क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।

जी-6 मनेर :— इस उप-बेसिन के अन्तर्गत मनेर के उद्गम स्थल से लेकर गोदावरी, जिसमें उसकी सभी सहायक नदियां भी सम्मिलित हैं, के साथ उसके संगम स्थल तक का सम्पूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र है।

जी-7 पेनगंगा : इस उप-बेसिन के अन्तर्गत पेनगंगा के उद्गम स्थल से लेकर वर्धा और उसकी सभी सहायक नदियों के साथ उसके संगम स्थल तक का सम्पूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र है।

जी-8 वर्धा : इस उप-बेसिन में वार्धा नदी का उस उद्गम स्थल से लेकर वेनगंगा और उसकी सभी सहायक नदियों के साथ उसके संगम स्थल तक का भाग समाविष्ट है किन्तु इसके अन्तर्गत पेनगंगा का जल ग्रहण क्षेत्र (उक्त जी-7") नहीं है।

जी-9 प्रणहिता : इस उप-बेसिन में वेनगंगा नदी के उद्गम स्थल से लेकर वर्धा के साथ उसके संगम स्थल तक और प्रणहिता का गोदावरी के साथ उसके संगम स्थल तक का जल ग्रहण क्षेत्र समाविष्ट है। इस उप-बेसिन के अन्तर्गत वेनगंगा और प्रणहिता की सभी सहायक नदियां हैं किन्तु इसमें पेनगंगा और वर्धा (उक्त जी-7 और जी-8) सम्मिलित नहीं हैं। वर्धा के साथ मिलने के पश्चात् वेनगंगा का नाम प्रणहिता है।

जी-10 लोअर गोदावरी : इस उप-बेसिन में प्रणहिता के साथ गोदावरी के संगम स्थल से लेकर समुद्र तक गोदावरी नदी का निचला भाग सम्मिलित है। इस उप-बेसिन के अन्तर्गत इस क्षेत्र में गोदावरी और उसकी सभी सहायक नदियों का प्रत्यक्ष जल ग्रहण क्षेत्र भी है किन्तु इसमें इन्द्रावती और साबरी का (आगामी जी-11 और जी-12) जल ग्रहण क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं।

जी-11 इन्द्रावती : इस उप-बेसिन के अन्तर्गत वे सभी क्षेत्र है जिनमें इन्द्रावती और उसकी सहायक नदियों का जल इन्द्रावती के उद्गम स्थल से लेकर गोदावरी के साथ उसके संगम स्थल तक प्रवाहित होता है।

जी-12 साबरी : इस उप-बेसिन के अन्तर्गत साबरी नदी के उद्गम स्थल से लेकर गोदावरी, जिसके अन्तर्गत उसकी मुख्य सहायक नदी सिलेरु भी है। (जिसे आरम्भिक रीच में मच्छकुंद नदी भी कहा जाता है) साथ उसके संगम स्थल तक का सम्पूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र है।"

[फा० 1/1/80—डब्ल्यू० डी]

सी० सी० पटेल, सचिव

MINISTRY OF IRRIGATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1980

S.O. 577(E).—Whereas the Central Government had constituted by notification No. S.O. 1421, dated the 10th April, 1969, issued under section 4 of the Inter-State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), the Godavari Water Disputes Tribunal to adjudicate upon the water dispute regarding the inter-State river, Godavari and the river valley thereof ;

And whereas the said Tribunal investigated the matters referred to it and forwarded to the Central Government under sub-section (2) of section 5 of the said Act, a report setting out the facts as found by it and giving its decision on the matters referred to it ;

And whereas upon consideration of the said decision, the Central Government and the Governments of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Maharashtra made references to the said Tribunal under sub-section (3) of section 5 of the said Act and the Tribunal has, on such references, forwarded to the Central Government under that sub-section a further report giving such explanations and guidance as it deemed fit;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, the Central Government hereby publishes the decision of the said Tribunal as modified by the Tribunal with reference to the explanations and guidance given in its further report.

DECISION OF THE GODAVARI WATER DISPUTES TRIBUNAL AS MODIFIED BY THE EXPLANATIONS AND GUIDANCE GIVEN IN ITS FURTHER REPORT

Final Order of the Tribunal

The Tribunal hereby passes the following Order :—

Clause I.

All the States can make use of underground water within their respective State territories in the Godavari basin and such use shall not be reckoned as use of the water of the river Godavari.

Clause II.

Use shall include any use, made by any State of the waters of the river Godavari and its tributaries for domestic, municipal, irrigation, industrial, production of power, navigation, pisciculture, wild life protection, recreation purpose and evaporation losses from the storages created for the above purposes.

Clause III.

(A) The uses of water mentioned in column (1) below shall be measured in the manner indicated in column (2) :

Use	Measurement
(i) Irrigation use	100 per cent of the quantity diverted or lifted from the river or any of the tributaries or from any reservoir, storage or canal and 100 per cent of evaporation losses in these storages.
(ii) Power use	100 per cent of evaporation losses in the storage.
(iii) Domestic and Municipal water supply within the basin.	20 per cent of the quantity of water diverted or lifted from the river or any of its tributaries or from any reservoir, storage or canal.
(iv) Industrial use within the basin.	2.5 per cent of the quantity of water diverted or lifted from the river or any of its tributaries or from any reservoir or storage or canal.
(v) All uses outside the basin.	100 per cent of the quantity diverted or lifted from the river on any of the tributaries or from any reservoir, storage or canal.

(B) Except as provided in sub-clause (A) or in the Agreements between the parties a use shall be measured by the extent of depletion of the waters of the river Godavari in any manner whatsoever including losses of water by evaporation and other natural causes from man made reservoirs and other works without deducting in the case of use for irrigation the quantity of water that may return after such use to the river.

(C) The water stored in any reservoirs across any stream of the Godavari river system shall not of itself be reckoned as depletion of the water of the stream except to the extent of the losses of water from evaporation and other natural causes from such reservoir. The water diverted from such reservoir by any State for its own use in any water year shall be reckoned as use by that State in that water year.

(D) If in any water year any State is not able to use any portion of the water allocated to it during that year on account of the non-development of its projects or damage to any of its projects or does not use it for any reason whatsoever, that State will not be entitled to claim the unutilised water in any subsequent water year.

(E) Failure of any State to make use of any portion of the water allocated to it during any water year shall not constitute forfeiture or abandonment of its share of water in any subsequent water year nor shall it increase the share of any other State in any subsequent water year even if such State may have used such water.

Clause IV

Each of the States concerned will be at liberty to divert any part of the share of the Godavari waters allocated to it from the Godavari basin to any other basin.

Clause V.

The following Agreements so far as they relate to the Godavari river and Godavari river basin be observed and carried out :—

A. Agreement dated the 19th December, 1975 between the States of Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa and Andhra Pradesh annexed hereto and marked Annexure "A" agreeing to the clearance of projects for the utilisation of waters of the Godavari river and its tributaries in accordance with :—

(a) Agreement between the States of Karnataka and Andhra Pradesh on the 17th September, 1975—Annexure I.

(b) Agreement between the States of Maharashtra and Andhra Pradesh on the 6th October, 1975—Annexure II.

(c) Agreement between the States of Madhya Pradesh and Andhra Pradesh on the 7th November, 1975—Annexure III.

(d) Agreement between the States of Orissa and Madhya Pradesh on the 9th December, 1975—Annexure IV.

B. Agreement dated the 7th August, 1978 between the States of Maharashtra, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh annexed hereto and marked Annexure "B", subject to the provisions of the Agreement dated the 2nd April, 1980 mentioned below.

C. Agreement dated the 4th August, 1978 between the States of Andhra Pradesh and Karnataka annexed hereto and marked Annexure "C".

D. Agreement dated the 15th December, 1978 between the States of Orissa and Andhra Pradesh annexed hereto and marked Annexure "D", subject to the provisions of the Agreement dated the 2nd April, 1980 mentioned below.

E. Agreement between the States of Karnataka and Maharashtra evidenced by letters dated the 29th January, 1979, 30th January, 1979 and 31st January, 1979 annexed hereto and marked Annexure "E".

F. Agreement dated the 11th July, 1979 between the States of Orissa and Madhya Pradesh annexed hereto and marked Annexure "F".

G. Agreement dated the 2nd April, 1980 between the States of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Orissa annexed hereto and marked Annexure "G".

Clause VI.

(1) In accordance with the statement dated the 3rd April, 1980 submitted on behalf of the Government of India, annexed hereto and marked Annexure "H", we direct that —

(i) the Polavaram Project shall be cleared by the Central Water Commission as expeditiously as possible for FRL/MWL + 150 feet;

(ii) the matter of design of the dam and its operation schedule is left to the Central Water Commission which it shall decide keeping in view all the Agreements between the parties, including the Agreement/ dated the 2nd April, 1980 as far as practicable ; and

(iii) if there is to be any change in the operation schedule as indicated in the Agreement dated the 2nd April, 1980 it shall be made only after consultation with the States of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Orissa. The design aspects shall, however, be left entirely to the Central Water Commission.

(2) The State of Andhra Pradesh shall observe all safeguards, including the safeguards mentioned in sub-clause (1) above, regarding the Polavaram Project, as directed by the Central Water Commission.

Clause VII.

Nothing in the Order of this Tribunal shall impair the right or power or authority of any State to regulate within its boundaries the use of water or to enjoy the benefit of waters within that State in a manner not inconsistent with the Order of this Tribunal.

Clause VIII.

In this Order ;

(a) Use of the water of the river Godavari by any person or entity of any nature whatsoever within the territories of a State shall be reckoned as use by that State.

(b) The expression "Godavari waters" with its grammatical variations and cognate expressions includes water of the main stream of the Godavari river, all its tributaries and all other streams contributing water directly or indirectly to the Godavari river.

(c) The sub-basins of the Godavari basin mean the sub-basins described in the statement annexed hereto and marked Annexure "I".

(d) Use of quantities of water specified in the Agreements is for a water year commencing on 1st June and ending on 31st May.

Clause IX

Nothing contained herein shall prevent the alteration, amendment or modification of all or any of the foregoing Clauses by agreement between the parties or by legislation by Parliament.

Clause X

(A). The Governments of Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Orissa shall bear their own costs of appearing before the Tribunal. The expenses of the Tribunal shall be apportioned and paid by the Governments of Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Orissa in equal shares. These directions relate to the reference under section 5(1) of the Inter-State Water Disputes Act, 1956.

(B). The Government of India and the Governments of Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Orissa shall bear their own costs of appearing before the Tribunal in the references under section 5(3) of the said Act. The expenses of the Tribunal in respect of the aforesid references shall be apportioned and paid by the Governments of Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya pradesh and Orissa in equal shares.

ANNEXURE "A"

Godavari River Basin Agreement

Whereas certain discussions have taken place amongst the five States of Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra and Orissa, subsequent to meeting of 19th July, 1975 held at New Delhi on the use of the waters of the Godavari river and its tributaries, and

Whereas in pursuance thereof the following agreements have been entered into between the States hereinafter mentioned viz.

(a) Agreement between the States of Karnataka and Andhra Pradesh on 17th September, 1975—Annexure I ;

(b) Agreement between the States of Maharashtra and Andhra Pradesh on 6th October, 1975—Annexure II;

(c) Agreement between the States of Madhya Pradesh and Andhra Pradesh on 7th November, 1975—Annexure III ;

(d) Agreement between the States of Orissa and Madhya Pradesh on 9th December, 1975—Annexure IV ;

Whereas the States of Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh and Orissa have considered the said bilateral agreements in their meeting on 19th December, 1975 at New Delhi.

Now the States of Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh and Orissa hereby agree to the sanction and clearance of projects for the utilisation of waters of the Godavari river and its tributaries in accordance with the said agreements, provided that nothing in these agreements will be treated as a concession by any State in respect of any of its contentions in any other water disputes with any other State or with respect to the dispute regarding the sharing of the balance quantity of water in the Godavari and its tributaries. State in this agreement means any of the aforesaid five States.

The five basin States agree that this agreement will be filed before the Godavari Water Disputes Tribunal

Now as a testimony thereof, we the Chief Ministers of concerned States append our signatures.

New Delhi,
December 19, 1975.

Sd/- 19/12

(J. Vengal Rao)
Chief Minister,
Andhra Pradesh.

Sd/- 19-12-75

(D. Devaraj Urs)
Chief Minister,
Karnataka.

Sd/- 19-12-75.

(P. C. Sethi)
Chief Minister,
Madhya Pradesh.

Sd/-

19-12-75.
(S. B. Chavan)
Chief Minister,
Maharasntra.

Sd/-

(Nandini Satpathy)
Chief Minister,
Orissa.

In the presence of—

Sd/-

(K. N. Singh)
Deputy Minister,
Ministry of Agriculture
and Irrigation,
Government of India.

Sd/-

(Jagjivan Ram)
Minister of Agriculture
and Irrigation,
Government of India.

ANNEXURE I

Proceeding of a meeting between the Chief Ministers of Karnataka and Andhra Prakesh, held at Bangalore on the 17th September, 1975

The following were present :

KARNATAKA

1. Shri D. Devaraj Urs, Chief Minister.
2. Shri Subhash Asture, Minister of State for Major and Medium Irrigation.
3. Shri G. V. K. Rao, Chief Secretary.
4. Shri I. M. Magdum, Special Secretary to Government, P.W.D.
5. Shri J. C. Lynn, Secretary to Chief Minister.
6. Shri B. Subramanyam, Superintending Engineer, W.R.D.O.
7. Shri A. V. Shanker Rao, Superintending Engineer, W.R.D.O.
8. Shri S. K. Mohan, Under Secretary to Government, P.W.D.

ANDHRA PRADESH

1. Shri J. Vengal Rao, Chief Minister.
2. Shri Ch. Subbarayudu, Minister for Municipal Administration.
3. Shri C. R. Krishnaswami Raosaheb, Secretary to Chief Minister.
4. Shri M. Gopalkrishnan, Secretary, Irrigation & Power.
5. Shri B. Gopalakrishna Murthy, Special Officer, Water Resources.
6. Shri G. K. S. Iyyengar, Superintending Engineer, Interstate-I, Water Resources.

1. The discussions related to the clearance of projects upstream of Nizamsagar in Karnataka and Andhra Pradesh States.

2. After full discussion, the following points were agreed to, as an interim measure :

(a) Karnataka may go ahead with the following two projects, and the utilisation will be as indicated against each :

Name of project	Utlisation of Water
(i) Karanja Project	13.10 TMC ft.
(ii) Chulkinala Project	1.17 TMC ft.

(b) Andhra Pradesh may go ahead with the construction of a reservoir at Singur for the withdrawal of 4 (four) TMC ft. for purposes of drinking water for Hyderabad city.

3. Andhra Pradesh stated that they propose to construct the Reservoir at Singur with a capacity of 30 TMC ft., and that this may involve the submersion of some land in Karnataka State. In that event, the details regarding the project and of the submersible land in Karnataka will be furnished to the Government of Karnataka for their consideration. Karnataka stated that any evaporation loss from the Reservoir should come out of the share of Andhra Pradesh.

4. The Chief Minister of Andhra Pradesh is having discussions with the Chief Minister of Maharashtra also about te construction of projects in the Manjira sub-basin. Details of any agreement arrived at will be made available to the Government of Karnataka, so that all the three State Governments could arrive at mutually consistent agreements.

5. The details of he interim agreement among the three States will be furnished to the Government of India, and also filed before the Tribunal, at the appropriate time.

D. DEVRAJ URS
Chief Minister
Karnataka

J. VENGAL RAO
18-9-1975
Chief Minister
Andhra Pradesh.

ANNEXURE II

Proceedings of the Meeting Between the Chief Ministers of Maharashtra and Andhra Pradesh held at Hyderabad on the 6th October, 1975

The following were present :

ANDHRA PRADESH

1. Sri J. Vengala Rao Chief Minister.
2. Sri J. Chokka Rao Minister for Agriculture and Transport.
3. Sri N. Bhagwandas, IAS Chief Secretary.
4. Sri P. Ramchandra Reddi Advocate-General.
5. Shri A. Krishnaswami, IAS 1st Member, Board of Revenue.
6. Sri C. R. Krishnaswamy Rao Sahib, IAS Secretary to Chief Minister.
7. Sri M. Gopalakrishnan, IAS Secretary, Irrigation & Power.
8. Sri P. Sitapati, IAS Joint Secretary, Irrigation & Power.
9. Sri B. Gopalkrishnamurthy Special Officer, Water Resources.
10. Sri M. Jaffer Ali Adviser, Irrigation.
11. Sri D. V. Sastry Government Pleader.
12. Sri G. K. S. Iyengar S. E., Inter-State Circle-I.

MAHARASHTRA

1. Sri S. B. Chavan Chief Minister.
2. Sri V. B. Patil Minister, Irrigation.
3. Sri M. N. Phadke Barrister-at-Law.
4. Sri V. R. Deuskar Secretary, Irrigation Deptt.
5. Sri M. G. Padhye Chief Engineer (WR) and Joint Secretary Irrigation Deptt.
6. Sri K. S. Shankar Rao S. E. & Dy. Secy. Irrigation Department.
7. Sri Sridhara Rao Joshi Spl Officer, Irrigation Deptt.

The discussions related to the clearance of the projects on and the use of waters of Godavari river and its tributaries.

After full discussions the following points were agreed to :

I. Maharashtra can use for their beneficial use all waters upto Paithan dam site on the Godvari and upto Siddheswar dam site on the Purna.

II. (i) From the waters in the area of the Godavari basin below Paithan dam site on the Godavari and below Siddheswar dam site on the Purna and below Nizamsagar dam site on the Manjra and upto Pochampad dam site on the Godavari, Maharashtra can utilise waters not exceeding 60 TMC for new projects including any additional use over and above the present sanctioned or cleared utilisation, as the case may be.

(ii) Andhra Pradesh can go ahead with building its Pochampad Project with FRL 1091 and 1093 and is free to utilise all the balance waters upto Pochampad dam site in any manner it chooses for its beneficial use. Maharashtra will take necessary action to acquire any land or structures that may be submerged under Pochampad Project and Andhra Pradesh agrees to bear the cost of acquisition, the cost of rehabilitation of the displaced families and the cost of construction of some bridges and roads that may become necessary. Maharashtra also agrees to the submergence of the river and stream beds.

III. (i) In the Manjira sub-basin above Nizamsagar dam site, Maharashtra can utilise waters not exceeding 22 TMC for new projects including any additional use over and above the present sanctioned or cleared utilisation as the case may be.

(ii) Andhra Pradesh can withdraw 4 TMC for drinking water supply to Hyderabad City from their proposed Singur project on the Manjida.

(iii) Andhra Pradesh can construct Singur project with a storage capacity of 30 TMC Andhra Pradesh can, also use 58 TMC under Nizamsagar project.

IV. Maharashtra concurs with the agseement arrived at between the States of Andhra Pradesh and Karnataka in regard to the use proposed by Karnataka in the Manjira sub-basin upstream of Nizamsagar dam site.

V. Maharashtra and Andhra Pradesh will be free to use additional quantity of 300 TMC of water each below Pochampad dam site for new projects.

VI. Maharashtra and Andhra Pradesh agree in principle to the taking up of the Inchampalli Project with FRL as commonly agreed to by the interested States, viz., Maharashtra, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh.

VII. Maharashtra and Andhra Pradesh agree to take up the following joint projects at the appropriate time with agreed utilisation :

(a) Lendi Project

(b) Lower Penganga Project

(c) Pranhita Project

and to set up joint committees for this purpose.

VIII. The States of Maharashtra and Andhra Pradesh agree that this agreement will be furnished to the Government

of India and also be filed before the Godavari Water Disputes Tribunal at the appropriate time.

Sd/-	Sd/-
(J. Vengala Rao)	(S. B. Chavan)
6-10-1975	6-10-1975
Chief Minister,	Chief Minister,
Andhra Pradesh.	Maharashtra.

ANNEXURE III

Proceedings of the Meeting Between the Chief Ministers of Madhya Pradesh and Andhra Pradesh held at New Delhi on the 7th November, 1975.

The following were present :—

Madhya Pradesh

1. Shri P. C. Sethi, Chief Minister.
2. Shri V. R. Uike, Minister for Irrigation and Electricity.
3. Shri Manohar Keshav, Secretary, Irrigation & Electricity.
4. Shri Y. S. Chitale, Senior Advocate.
5. Shri R. C. Jain, Commissioner, Madhya Pradesh, Delhi.
6. Shri S. R. Bhatia, Secretary to Chief Minister.
7. Shri V. M. Chitale, Deputy Secretary, Irrigation.
8. Shri H. V. Mahajani, Superintending Engineer, Godavari Basin Circle.

Andhra Pradesh

1. Shri J. Vengala Rao, Chief Minister.
2. Shri P. Ramachandra Reddi, Advocate General.
3. Shri C. R. Krishna Swamy Rao Saheb, Secretary to Chief Minister.
4. Shri C. M. Shastry, Special Commissioner, Government of Andhra Pradesh.
5. Shri M. Gopalakrishnan, Secretary, Irrigation & Power.
6. Shri B. Gopalkrishnamurthy, Special Officer, Water Resources.
7. Shri D. V. Sastry, Government Pleader.
8. Shri G.K.S. Iyanger, Superintending Engineer, Inter-State Circle-I.

The discussions related to the clearance of the projects and the use of waters of Godavari River and its tributaries.

2. After full discussions, the following points were agreed to:—

(I) Madhya Pradesh and Andhra Pradesh will be free to use an additional gross quantity of 300 T.M.C. each, out of the water in the Godavari River and its tributaries below Pochampad Dam site for new projects.

(II) Madhya Pradesh concurs generally with the agreement arrived at between Andhra Pradesh and Maharashtra on 6-10-1975. The quantity of 300 TMC mentioned in clause I below will not be in addition to 300 TMC agreed to between Andhra Pradesh and Maharashtra as per agreement dated 6-10-1975.

(III) In agreeing to 300 TMC referred to in clauses I and II above, for Andhra Pradesh, Madhya Pradesh on its part, has taken into account the estimated requirements within the basin only.

(IV) Madhya Pradesh and Andhra Pradesh agree in principle to the taking up of the Inchampalli Project with F.R.L. as commonly agree to by the interested States viz. Maharashtra, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh.

(V) It is also agreed that Madhya Pradesh and Andhra Pradesh will consider the feasibility of taking up the Inchampalli Project as a Joint Project with costs and benefits equitably shared amongst the above 3 States in accordance with a common agreement.

(VI) Madhya Pradesh agrees to the taking up of Taliperu Project by Andhra Pradesh involving a use of 5 TMC (Gross) of water out of the 300 TMC agreed to in clause I and to the submersion of river bed only in Madhya Pradesh. Andhra Pradesh agrees to put up at its cost such protective measures as would be necessary in consultation with Madhya Pradesh to prevent submersion of other areas in Madhya Pradesh.

(VII) The States of Madhya Pradesh and Andhra Pradesh agree that nothing in this agreement will be treated as a concession by either State in respect of any of their contentions in any other water dispute with any other State or with respect to the dispute regarding the sharing of the balance of water in Godavari and its tributaries.

(VIII) The States of Madhya Pradesh and Andhra Pradesh agree that this agreement will be furnished to the Government of India and they would be requested to expedite the clearance of the projects. This Agreement will also be jointly filed before the Godavari Water Disputes Tribunal at the appropriate time.

Sd/-	Sd/-
(P. C. Sethi)	(J. Vengala Rao)
Dt. 7-11-75	Dt. 7-11-75
Chief Minister	Chief Minister
Madhya Pradesh	Andhra Pradesh

ANNEXURE IV

Agreement between the States of Orissa and Madhya Pradesh on 9-12-1975

Proceedings of the meeting between the Chief Ministers of Orissa and Madhya Pradesh held at New Delhi on the 9th December 1975.

The following were present.—

ORISSA

1. Smt. Nandini Satpathy,
Chief Minister.

2. Shri Dibyalochan Shekhar Deo,
Minister for Irrigation & Power.

3. Shri B.K. Mishra,
Additional Development Commissioner.

4. Shri N.R. Hota,
Secretary, Irrigation and Power.

5. Shri Suresh Chandra Tripathy,
Chief Engineer, Irrigation.

6. Shri K.S.R. Chandran,
Special Commissioner,
Liaison.

7. Shri R.K. Rath,
Secretary to Chief Minister.

8. Shri Govind Das,
Senior Advocate.

9. Shri M. Lath,
Executive Engineer.

MADHYA PRADESH

1. Shri P.C. Sethi,
Chief Minister

2. Shri V.R. Uike,
Minister for Irrigation and Electricity.

3. Shri Aziz Qureshi,
Minister for State for Irrigation and Electricity.

4. Shri Manish Bahl,
Secretary, Irrigation and Electricity.

5. Shri K.L. Handa,
Irrigation Adviser.

6. Shri Y.S. Chitale,
Senior Advocate.

7. Shri R.C. Jain,
Commissioner, Madhya Pradesh.

8. Shri V.M. Chitale,
Deputy Secretary,
Irrigation.

9. Shri H.V. Mahajani,
Superintending Engineer.

The discussions related to the use of water of the Godavari basin and the clearance of projects of Madhya Pradesh and Orissa.

2. After full discussion, the following agreement was arrived at :—

I. Pending final allocation of the Godavari water, Madhya Pradesh and Orissa will be free to use additional gross quantity of 300 TMC and 200 TMC respectively, out of the water of the Godavari basin below Pochampad Dam site for new projects in such manner as they deem fit.

II. In agreeing to 200 TMC referred to in Clause I for Orissa, Madhya Pradesh on its part has taken into account the estimated requirements within the basin only. All the utilisation by Orissa and Madhya Pradesh contemplated in the various Clauses shall be only as a part of the 200 TMC and 300 TMC respectively agreed to in Clause I above. The States of Orissa and Madhya Pradesh will not be entitled on the basis of the subsequent Clauses to utilise in any way more than 200 TMC and 300 TMC respectively.

III. Below the dam sites of the Upper Indravati Project, as proposed by Orissa, there is a catchment area of about 1,855 sq. miles in the Indravati Sub-basin upto Orissa border with Madhya Pradesh. From this catchment there is some natural flow across the Jaura Nallah to Sabari (Kolab) river. It was agreed that Orissa will ensure at its border with Madhya Pradesh a flow of 45 TMC in the Indravati and its tributaries at 75 per cent dependability for use by Madhya Pradesh. In the years of shortage, the shortage will be shared proportionately between the two States and the assurance of flow in the Indravati and its tributaries, referred to above, will stand proportionately reduced. Both the States agree to joint gauging at suitable points to ascertain the yield data and to ensure the flow of 45 TMC at 75 per cent dependability or the proportionately reduced flow in years of shortage that has to flow below the common border. The figure of 45 TMC is on the assumption of total yield of 204 TMC from the Indravati sub-basin in Orissa and 91 TMC utilisation for the Upper Indravati Project. If the assessment of 204 TMC is found to be high and the correct figure is lower than 204 TMC and the utilisation for the Upper Indravati Project gets reduced from the figure of 91 TMC then the figure of 45 TMC will get reduced in the same proportion as the reduction in the figure of 91 TMC.

IV. In view of the agreement incorporated in the above clauses, Madhya Pradesh agrees to the clearance and execution of Upper Indravati Project, as proposed and submitted by Orissa to the Government of India. Orissa also agrees to the clearnace and execution of Bodhghat Project, as may be modified by Madhya Pradesh taking into account the water availability specified in Clause III.

V. It is agreed that Madhya Pradesh and Orissa will consider the feasibility of taking up joint projects in the Sabari Sub-basin from the point Sabari (Kolab) river forms the common boundary between both the States upto the point where it joins the Sileru river, on the basis of common agreements to be drawn up at appropriate time. The hydel power and the cost debitable to generation of such power will be shared equally between the two States in these projects. The costs and benefits of irrigation, if any, from these projects will also be equitably shared among both the States. Orissa will be free to make beneficial use of the water of this river above the common boundary point and lying in its territory in such manner as it deems fit.

VI. Notwithstanding the agreement on the joint projects on the river Sabari (Kolab) mentioned in Clause V, if there is any submersion of land and properties of either State by other projects sponsored by the other State or any other State in the Godavari basin, the question of submersion and the problems connected therewith will have to be mutually settled before execution of such projects.

VII. Madhya Pradesh and Orissa agree that nothing in this agreement will be treated as a concession by either State in respect of any of their contentions in any other water dispute with any other State or with respect to the dispute regarding the sharing of the balance of water in Godavari and its tributaries.

VIII. Madhya Pradesh and Orissa agree that this agreement will be furnished to the Government of India and they would be requested to expedite the clearance of the new projects. This agreement will also be jointly filed before the Godavari Water Disputes Tribunal at the appropriate time.

Sd/—	Sd/—
9-12- 1975	9-12-1975
(Nandini Satpathy)	(P. C. Sethi)
Chief Minister,	Chief Minister,
ORISSA	Madhya Pradesh

(True copy as received from the Chief Minister, Orissa under D.O. letter No. 7173 dated 9-12-1975 to the Union Minister of Agriculture & Irrigation).

Sd/—
(H. J. Desai)
Deputy Secretary (F)
Ministry of Agriculture & Irrigation
(Department of Irrigation)

ANNEXURE "B"

Agreement entered into between the States of Maharashtra Madhya Pradesh and Andhra Pradesh.

On the basis of series of discussions held between the representatives of the States of Maharashtra, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh, the following Agreement is arrived at regarding the sub-basinwise allocations of the waters of the Godavari and its tributaries downstream of the Pochampad Dam in the State of Andhra Pradesh, the projects therein and other allied matters taking into consideration the allocations already agreed to under, the Inter-State Agreement dated 19-12-1975 and in furtherance of the same and as a supplement thereto for final allocations of all the waters of the various sub-basins mentioned herein:

(I) G-5 Middle Godavari sub-basin:

(1) Maharashtra.—The State of Maharashtra can use a quantity of 0.4 TMC of water in the Middle Godavari sub-basin for the existing, under construction and proposed projects/ schemes downstream of the Pochampad Dam.

(2) Andhra Pradesh—The State of Andhra Pradesh can use all the remaining waters in the Middle Godavari sub-basin downstream of the Pochampad Dam.

II. G-6 Manair Sub-basin:

Andhra Pradesh.—The State of Andhra Pradesh can use all he waters of the Manair sub-basin.

III. G-7 Penganga Sub-basin:

(1) Maharashtra—(A) The State of Maharashtra can use all the waters upto:

(i) Lower Penganga Project site near Chikal Wardha on Penganga river, Lat. 19°-55′N and Long. 78°-15′ E subject to the condition that the Lower Penganga Project would be taken up as a joint Project. The details of the joint project will be negotiated separately by the States of Maharashtra and Andhra Pradesh.

(ii) Waghadi Project Dam site on the Waghadi river near village Yelbara, Lat. 20°-12′-30′N and Long. 78°-18′-10′ E.

(iii) Saikheda Dam on Khuni river near village Lingti, Lat. 20°-06′-30″ N and Long. 78°-28′-15″ E.

(B) In addition to the use of all the waters of the Penganga sub-basin upto the points as specified in clause (iii)(1) (A) (i) to (A) (iii) above, the State of Maharashtra can use from the waters of the rest of the Penganga sub-basin 9 TMC for its existing under construction and proposed schemes/projects each of which individually will not exceed an annual use of 1.5 TMC.

(2) Andhra Pradesh.—The State of Andhra Pradesh can use all the remaining waters of the Penganga sub-basin.

(IV) G-8 Wardha Sub-basin:

(1) Madhya Pradesh.—(a) The State of Madhya Pradesh in terms of the Agreement relating to certain inter-State irrigation and hydel projects between Madhya Pradesh and Maharashtra dated 18th December, 1968 can use 9 TMC for its existing, under construction and proposed schemes/projects which are located upstream of the contemplated Upper Wardha Project of the State of Maharashtra.

(b) In addition to the use of the waters in clause(IV) (1) (a) above, the State of Madhya Pradesh can use a quantity of 1 TMC for its existing, under construction and proposed schemes/ projects in the remaining portion of the sub-basin.

(2) Maharashtra.—(i) Subject to the use by the State of Madhya Pradesh as stipulated above, the State of Maharashtra can use all the waters of the river Wardha and/or its tributaries for its existing, under construction and proposed projects/schemes upto the following points:

(a) Upto Tulana Project, Lat. 20°-12′N and Long. 78°-57′ E on the Wardha river at Tulana village subject to Para (IV) (1) (a) and (b) above.

(b) on the tributaries of the Wardha river joining downstream of the Tulana Project site upto:

(i) Chargaon Project (under construction) across Chargaon river Lat. 20°-23′-20″N and Long. 79°-10′-45″E;

(ii) Nirguda Project, Lat .20°-03′-N and Long. 78°-53′ E; and

(iii) Bandara Project Lat. 19°-40′15″N Long. 79°-2?′55″ E.

(ii) In addition to the use of water upto the projects as specified in clauses (IV) (2) (i) (a) & (b), the following uses are agreed to for the schemes existing, under construction and proposed in the Wardha sub-basin downstream of the project sites mentioned above.

(1) Mudhali Project	2.80 TMC
(2) Lift Irrign. from Dhanora weir	2.70 ,,
(3) Lift Irrign. from Mared weir	2 80 ,,
(4) Lift Irrign. from Kalmana weir	2.00 ,,
(5) Lift Irign. from Tohegaon weir	1.60 ,,
(6) Lift Irrign. from Sonapur weir	2.00 ,,
(7) Usagaon Bulsani and Chandur Lift Irrigation Schemes	3.00 ,,
(8) Other Schemes each of which indivldually utilising not more than 1.5 TMC	9.10 ,,
Total :	26.00 ,,

provided that in the event of full quantity of water agreed to be allocated for any of the items 1 to 7 above can not be sanctioned for use at any of those projects, the balance of the quantity of water allocated herein above for projects at items 1 to 7 above can be sanctioned for use by the State of Maharashtra in any of the other projects as specified in items 1 to 8 subject to the condition that the total uses of all such sanctions for the projects as specified in items 1 to 8 shall not exceed 26 TMC.

(3) Andhra Pradesh.—The State of Andhra Pradesh can use all the remaining waters of the Wardha sub-basin.

(V) G-9 Pranhita sub-basin :

(i) Madhya Pradesh.—(A) The State of Madhya Pradesh can use all the waters for the various existing, under construction and proposed projects/schemes in the Pranhita sub-basin upto the sites indicated below:

Kanhan sub-Valley :—(i) Nandna Integrated Project.

(a) Nandna Dam site across the tributary of river Kanhan, near village Nandna. Lat. 22°-13′-0″ N and Long. 78° 28′-48″ E.

(b) Chenkatwari Dam site across the Kanhan near village Piparia.
Lat. 22°-12′-24″N and Long. 78°-26′-48″ E.

(ii) Amla Integrated Project.

(a) Amla Dam site across Bel river near village Amla Lat 21°-55′-0″ N and Long. 78°-08′-50″ E.

(b) Parsadi Dam site across the tributary of Bel river near village Parsadi. Lat. 21°-56′-55″ N and Long. 78°-12′-0″ E.

(c) Dhutmur Dam site across the tributary of Bel river near village Dhutmur. Lat. 21°-58′-0″N and Long. 78°-13′ 0″E.

(d) Mohali Dam site across the tributary of Bel river near village Mohali. Lat. 21°-58′-0″N and Long. 78°-12′-0″E.

(iii) Dokdoh Integrated Project.

(a) Dokdoh Dam site across the Dokdoh Nalla near village Dokdoh.
Lat. 21°-33′-50″N and Long. 78°-44′-15″ E.

(b) Chirkutagondi Dam site across the tributary of the Jamnalla near village Chirkutagondi Lat. 21°-35′-0″N and Long. 78°-41′-0″E.

(c) Khairi Dam site across the tributary of the Kanhan near village Khairi. Lat. 21°-31′-0″N and Long. 78°-50-0″ E.

(d) Chhindwani Dam site across the tributary of Dokdoh Nalla near village Chhindwani. Lat. 21°-34′-0″N and Long. 78°-45′-40″E.

(iv) Mohgaon Integrated Project.

(a) Mohgaon Dam site across the Sampna Nalla near village Mohgaon.
Lat. 21°-38′-55″ N and Long. 78°-43′-30″ E.

(b) Jamlapani Dam site across the Satki Nala near village Jamlapani. Lat. 21°-40′-20″N and Long. 78°-43′-20″E.

(c) Khurpara Dam site across the Khurpara Nalla near village Ambakhapa. Lat. 21°-39′-0″N and Long. 78°-40′-0″E

(d) Jam Nalla Dam site across the Jam Nalla near village Kondar. Lat. 21°-38′-0″N and Long. 78°-38′-0″E.

(v) Sovana Nalla Project.

(a) Sovana Dam site across Sovana Nalla near village Badosa. Lat. 21°-41′-15″N and Long. 78°-53′-40″E.

(B) Downstream of the project sites as specified in clause(V) (1) (A) above, the State of Madhya Pradesh can use an additional quantity of 14 TMC for its existing, under construction and proposed projects/schemes each using not more than 1.5 TMC annually.

(C) (a) The State of Maharashtra has suggested the need of creating certain storages in the territory of the State of Madhya Pradeh to regulate water for use in the State of Maharashtra. In this particular situation as a special case the State of Madhya Pradesh has agreed to construct or augment storage/storages across the Kanhan at sites within its territory, location of which will be decided by the State of Madhya Pradesh, for regulation of 15 TMC of the Kanhan flows at 75 per cent dependability for use in the State of Maharashtra between 15th October to 30th June. As these storages will be created for the State of Maharashtra, the entire cost of these storages or augmentation as the case may be including the cost of compensation for lands, properties and rehabilitation etc, will be incurred as per the norms for such works in vogue in the Country at the time of the construction of the project and will be borne entirely by the State of Maharashtra. The details of provision of such storate/storages or augmentation would be mutually settled by the two State Governments at the appropriate time later.

(b) The State of Madhya Pradesh can generate power, by bearing the cost of power component only at the storage/storages as specified in clause (V) (1) (C)(a) above, without any power to be allocated to the State of Maharashtra. The power component is not to include any cost on account of the dam/storage.

(c) The State of Madhya Pradesh can construct at its cost a low dam/pick up weir or such other structure as may be necessary, below the storage/storages as mentoned in clause(V) (1) (C)(a) above at any future date, in order to improve the peaking capability of the power system within the State.

(d) The State of Maharashtra for its use of 15 TMC as regulated by storage/storages as specified in clause (V)(1)(C)(a)above, agrees to construct pickup weir, downstream, in its territory with adequate pondage to cater for the fluctuating releases in consultation with the State of Madhya Pradesh.

(D) The State of Maharashtra has proposed a pickup weir at Temurdoh across the Kanhan, which will cause submergence in the State of Madhya Pradesh. The details of extent of submergence are not yet indicated. The State of Madhya Pradesh agrees to consider the proposal when the details of submergence are known, provided the submergnce is kept to a minimum and is acceptable to the State of Madhya Pradesh.

The provision of compensation for lands, properties and rehabilitation etc, will be made as per the norms for such works being adopted in the country at the time of the construction of the project and will be borne by the State of Maharashtra.

(E) The State of Madhya Pradesh can lift water from the river Kanhan and its tributaries within its territory and down stream of the storage/storages as specified in clause(V)(1)(A). The use will be within the use of 14 TMC as specified in clause (V)(1)(B) above, and without prejudice to the right of the State of Maharashtra for the flow of 15TMC of regulated water as specified in clause(V)(1)(C)(d) above.

(F) Rest of the Wainganga sub-valley.

The State of Madhya Pradesh can use all waters in the Wain ganga sub-valley upto the sites mentioned below:—

(a) The Dhuti weir across the Wainganga near village Dhut

(b) The following project sites on the tributaries of the Wainganga, joining downstream of the Dhuti weir.

(1) Mahakari dam site across the Mahakari river nea village Lamta. Lat. 22°-07'-55"N and Long. 80°-07'-45"E.

(2) Nahara Multipurpose Project.

(i) Nahara dam site across Nahara river near village Warurgato.

Lat. 22°-05'-30"N and Long. 80°-19'-35"E.

(ii) Diversion site across Nahara river near village Khami.

Lat. 22°-04'-42"N and Long. 80°-13'-30"E.

(3) Son Multipurpose project.

(i) Son dam site across river Son near village Baigatola. Lat. 21°-42'-30"N and Long. 80°-40'-0"E.

(ii) Diversion site across Son river near village Sarra. Lat. 21°-32'-15"N and Long. 80°-38'-0"E.

(4) Deo Ama Multipurpose Project.

(i) Deo Dam site across Deo river near village Sukalpat. Lat. 21°-47'-30" N and Long. 80°-33'-0"E.

(ii) Ama Dam site across Ama river near village Bithli. Lat. 21°-52'-30"N and Long. 80°-30'-50" E.

(iii) Diversion site across Deo river near village Bhagatpur.

Lat. 21°-45'-35"N and Long. 80°-29'-0"E.

(5) Karadi tank across Pandharipat Nalla near village Karadi.

Lat. 21°-25'-0"N and Long. 80°-35'-0"E.

(6) Sarathi Tank across Sarathi nalla near village. Tikari. Lat. 21°-56'-0"N and Long. 79°-58'-50"E

(7) Nahlesara tank across Chandan river near village Nahlesara. Lat. 21°-49'-30"N and Long. 79°-40'-30" E.

(8) Daidburra tank across Katanga nalla near village Daidburra. Lat. 21-°41'-24"N and Long. 79°-53'-0" E.

(G) The State of Madhya Pradesh can use the waters of the river Bagh upto the Pujaritola pick up weir and the waters of the river Bawanthadi upto Sitekasa dam site; and waters of the river Pench upto the Totladoh Dam, in accordance with the Agreements already entered into, or as may be agreed to in future between the States of Madhya Pradesh and Maharashtra for use of waters upto these sites.

(H) Downstream of the project sites as specified in clause (V)(1)(F) and (V)(1)(G) above, the State of Madhya Pradesh can use an additional quantity of 59 TMC for its existing, under construction and proposed projects/schemes each using not more than 1.5 TMC annually.

(I) The State of Maharashtra has suggested the need of creating certain storages in the territory of the State of Madhya Pradesh to regulate water for use in the State of Maharashtra. In this perticular situation as a special case, the State of Madhya Pradesh agrees to make provision of suitable additional storage at one or more than one project/projects out of those specified in clause (V) (1) (F) above to be decided by the State of Madhya Pradesh, for the regulation of 15 TMC of water at 75 per cent dependability for use in the State of Maharashtra lower down during 15th October to 30th June. The entire cost of such additional storage/storages or augmentation for the above regulation will be borne by the State of Maharashtra. The cost to be borne by the State of Maharashtra will also include the cost on account of compensation for land and properties and rehabiliiation etc., as per the norms for such works in vogue in the Country at the time of the construction of the project. This quantum of 15 TMC would be made available out of the waters which the State of Madhya Pradesh can use as specified in clause (V) (1) (F) above. The details of provisions of the necessary storages for this regulation will be mutually settled by the two State Governments at the appropriate time later.

(ii) The State of Madhya Pradesh can generate power from such storage/storages by bearing the necessary costs of power component only at the storage/storages as specified in clause

(V) (1) (F) above, without any power to be allocated to the State of Maharashtra. The power component is not to include any cost on account of the dam/storage.

(iii) The State of Madhya Pradesh can provide at its cost a low dam/pickup weir or such other structure as may be necessary downstream of the Project sites as specified in clause (V) (1) (F) in order to improve the peaking capability of the power system within the State.

(iv) The State of Maharashtra for its use of 15 TMC as specified in clause (v) (1) (F) above agrees to construct a pickup weir downstream in its territory with adequate pondage to cater for the fluctuating releases, in consultation with the State of Madhya Pradesh.

(2) Maharashtra.—(A) Subject to what has been stated above regarding use of the Pranhita sub-basin waters by the State of Madhya Pradesh, the State of Maharashtra can use all waters of the river Wainganga and/or its tributaries upto the following points :

(i) Gosikhurd Project site on the Wainganga river near village Gosikhurd.

Lat. 20°-51′-0″N and Long. 79°-37′-20″E.

(ii) Lower Chulbund Dam site on the Chulband river near village Bonde.

Lat. 21°-02′-0″N and Long. 79°-57′-0″ E.

(iii) Itiadoh dam on the Garvi river near village Gothangaon.

Lat. 20°-47′-45″N and Long. 80°-10′-05″E.

(iv) Satti Project site on the Satti river near village Palasgad.

Lat. 20°-38′-0″ N and Long. 80°-17′-0″E.

(v) Lower Tultuli dam site on the Khobragadi river near village Tultuli.

Lat. 20°-26′-0″ N and Long. 80°-14′-0″ E.

(vi) Lower Kathani dam site on the Kathani river near village Rajoli.

Lat. 20°-14′-30″ N and Long. 80°-75′-30″E.

(vii) Karwappa Project dam site on Karwappa Nalla near village Nakkaponli.

Lat. 20°-07′-40″N and Long. 80°-13′-40″ E.

(viii) Bhimkund dam site on the Pohar river near village Wakri.

Lat. 19°-55′-0″ N and Long. 79°-58′-30″ E.

(ix) Dina dam on the Dina river near village Regree.
Lat. 19°-45′-0″N and Long. 80°-07′-0″ E.

(x) Buti nala dam site on the Buti nala near village Panoti
Lat. 20°-39′-0″N and Long. 79°-48′-0″ E.

(xi) Gardi Project dam site on the Gardi nalla near village Chandgaon Khurd.

Lat. 20°-35′-20″N and Long. 79°-50′-0″ E.

(xii) Nimghat dam site on the Nimghat Dhoda nalla near village Mendki.

Lat. 20°-28′-15″ N and Long. 79°-48′-50″E.

(xiii) Asolamendha dam on the Pathri river near village Asolamendha.

Lat. 20°-12′-15″N and Long. 79°-50′-0″ E.

(xiv) Ghorajhari dam on the Bokardho nalla near village Ghorajhari.

Lat. 20°-32′-0″N and Long. 79°-38′-0″ E.

(xv) Human nalla dam site on the Human nalla near village Chirkhada.

Lat. 20°-14′-0″ N and Long. 79°-34′-35″ E.

(xvi) Naleshwar dam on the Upsa nalla near village Neleshwar.

Lat. 20°-15′-0″ N and Long. 79°-35′-35″ E.

(xvii) Andhari dam site on the Andhari river near village Pahami.

Lat. 20°-06′-0″N and Long. 79°-28′-0″ E.

(B) In addition to the use of all the waters of the river Wainganga and/or its tributaries upto the points as specified in clauses (V) (2)(A)(i) to (V)(2)(A)(xvii) above, the State of Maharashtra can use, from the waters of rest of the Pranhita sub-basin 41 TMC for its existing, under construction and proposed schemes/projects using annually not more than 1.50 TMC individually.

(3) Andhra Pradesh.—(A) The State of Andhra Pradesh can use the remaining waters of the Pranhita sub-basin.

(B) It is also agreed that Pranhita Hydro-electric Project is not viable and therefore has to be given up. However, the States of Andhra Pradesh and Maharashtra agree to have barrage/barrages across the Pranhita river at suitable sites so that they may provide irrigation facilities in their areas. The quantum of water that will be used by Maharashtra from these barrages will be recknoed against 41 TMC as specified in clause (V)(2)(B) above. The joint Project/Projects for such barrages are to be taken up after reaching separate Agreement/Agreements for them, between the States of Maharashtra and Andhra Pradesh, either for the benefit of both the States or one State.

(VI) G-10 Lower Godavari sub-basin : (1) —Maharashtra.—The State of Maharashtra can use upto 1 TMC for its existing, under construction and proposed schemes/projects in the Lower Godavari sub-basin.

(2) Madhya Pradesh.—(A) The State of Madhya Pradesh can use all the waters upto the following sites.

(a) Mukpara (Sankampalli) Project. Mukpara dam site across Talperu river near village Mallepalli.

Lat. 18°-36′-43″ N and Long. 80°-56′-45″E.

(b) Tummal vagu dam site across Tummal vagu near village Junaguda.

Lat. 18°-25′-33″N and Long. 81°-03′32″ E.

(c) Joranvagu Integrated Project. (i) Joranvagu dam site across Joranvagu near village Durma.
Lat. 18°-27′-26″N and Long. 81°-13′-36″ E.

(ii) Dhondivagu dam site across Dhondivagu near village Kamaram.

Lat. 18°-24′-10″ N and Long. 81°-13′-20″ E.

(d) Malavagu Project.
Malavagu dam site across Malavagu near village Chintalnar.

Lat. 18°-21′-35″ N and Long. 81°-11′-48″ E.

(e) Raspalle Project.
Raspalle dam site across tributary of Chinta river near village Raspalle.

Lat. 18°-12′-0″ N and Long. 80°-58′-38″ E.

(B) Downstream of the projects as specified in clause (VI) (2) (A) above, the State of Madhya Pradesh can use an additional quantum of 9 TMC for its existing, under construction and proposed schemes/projects each using not more than 1.5 TMC annually.

(C) The State of Madhya Pradesh agrees to the submersion of its river bed only due to the Taliperu project of the State of Andhra Pradesh. The State of Andhra Pradesh agrees to put up at its costs, such protective measures as would be necessary in consultation with the State of Madhya Pradesh, to prevent submergence of other areas in the State of Madhya Pradesh due to aforesaid project. The State of Andhra Pradesh agrees to forward the details of submergence in the State of Madhya Pradesh along with the project Report. The construction of the project would be taken up in hand after mutual agreement to the submergence and measures to protect the flooding of the area of the State of Madhya Pradesh.

(D) (a) The States of Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh agree to take up the Inchampalli Multipurpose Project as a joint venture with an FRL and MWL as may be agreed to by the three States. The project will be surveyed, planned, executed and subsequently operated and maintained under the directions of a Tripartite Interstate Control Board, duly constituted for this purpose by the three States concerned. The State of Andhra Pradesh cannot divert for its use more than 85 TMC directly from the Inchampalli reservoir. No part of the reservoir losses at Inchampalli shall be debitable to the shares of water agreed to for the States of Maharashtra and Madhya Pradesh herein above or hereunder in this Agreement. The balance available water shall be used for power generation at Inchampalli Power House. The compensation for the acquisition of lands and properties belonging to both the Government as well as private parties would be charged to the construction of storages. The provision for the rehabilitation of the oustees will be made as per the norms for such works in vogue in the Country at the time of the construction of the project and charged to the construction of storage.

(b) The State of Andhra Pradesh shall bear 78.10 per cent of the cost of Inchampalli storage, the State of Maharashtra shall bear 10.50 per cent and the State of Madhya Pradesh shall bear 11.40 per cent.

(c) The power generation at Inchampalli and the cost of power component, excluding the storage cost, shall be shared between the States of Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh in the proportion of 38, 35, 27 per cent, respectively. After generation of power the State of Andhra Pradesh can use the water released in any manner they like.

(d) The States of Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh would be free to use 3 TMC, 4 TMC and 5 TMC, respectively, by lifting water from the Inchampalli reservoir for use in their own territory without bearing any cost of the storage. The quantum of this use will be accounted for against the provision under clauses (VI) (2)(B) and (VII) C) for the State of Madhya Pradesh; and clauses (III) (1) (B), (IV) (2) (II), (V) (2) (B), (VI) (1) and (VII) (E) for the State of Maharashtra; and out of 85 TMC specified in this clause for the State of Andhra Pradesh.

(e) The States of Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh would be free to develop pisciculture and boating facilities in their own territories under submergence. The sovereign rights over the submerged lands upto their territorial limits shall continue to vest with the respective States.

(f) The three States agree that the FRL/MWL as may be agreed to for the Inchampalli reservoir shall be only on the express condition that any of the provisions, facilities given for utilisation of waters of the Godavari and its traibutaries, to each other in this Agreement herein above or hereunder is not at all disturbed.

(g) Navigational facilities at the Inchampalli reservoir shall be allowed free to the States of Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh.

(h) A pumped storage scheme may be introduced below the Inchampalli reservoir as part of the Inchampalli project Hydroelectric Component. Such a scheme may be constructed even by one or two of the three States and the other State or States may later share the benefits of the said scheme by paying their share of the cost of the scheme as may be mutually agreed to.

(3) Andhra Pradesh.—The State of Andhra Pradesh can use the remaining waters of the Lower Godavari sub-basin.

(VII) G-11 Indravati sub-basin :

(A) (i) Subject to the provisions of the Inter State Agreement dated 19-12-1975 affirming the bilateral Agreement dated 9-12-1975 between the States of Orissa and Madhya Pradesh, and any equitable allocation that may be made to the State of Orissa by the Godavari Water Disputes Tribunal in the Indravati sub-basin, the State of Madhya Pradesh upto the Bhopalpatnam Hydro-electric Project Lat. 19°-03′-45″N and Long. 80°-19′-05″E across the Indravati river (a joint project between the States of Madhya Pradesh and Maharashtra) can use 273 TMC for its various existing, under construction and proposed schemes/projects. This quantum includes the share of evaporation loss of the State of Madhya Pradesh at the Bhopalpatnam I Hydroelectric Project.

(ii) The State of Andhra Pradesh agrees that the States of Maharashtra and Madhya Pradesh may introduce Pumped Storage Scheme in their joint Bhopalpatnam Hydro-electric Project on the Indravati at any stage, making use of the Inchampalli reservoir on the downstream. No cost of Inchampalli storage will be debitable to Bhopalpatnam Hydro-electric Project on this account. However, there will be no obligation to maintain any specific level at any time at the Inchampalli reservoir to suit the above Pumped Storage Scheme.

(B) The State of Madhya Pradesh, in addition to the use a agreed to in clause (VII) (A)(i) above can use all the waters upto the following project sites on the tributaries joining the Indravati downstream of the Bhopalpatnam I Hydro-electric Project site:

(i) Chintavagu Project site on Chintavagu near village Pavrel—Lat. 18°41′-25″N Long. 80°-40′-47″E.

(ii) Jallavagu Project site on Jallavagu near village Chillemarka—Lat. 18°-56′-34″N Long. 80°-21′-34″E.

(iii) Kothapalli Integrated Project across tributary of Chintavagu.

(a) Kothapalli Project site Lat. 18°-40′-54″N. Long. 80°-34′-54″E.

(b) Minor Project site Lat. 18°-45′-24″N. Long. 80°-28′-13″E.

(C) The State of Madhya Pradesh can use an additional quantity of 19 TMC downstream of the project sites as specified in clauses (VII) (A) (i) and (VII) (B) above for its existing, under construction and proposed projects/schemes each using not more than 1.5 TMC annually.

(D) The State of Maharashtra can use 34 TMC for its existing, under construction and proposed project/projects upstream of Bhopalpatnam I Hydro-electric Project. This includes the share of evaporation losses of Maharashtra at the Bhopalpatnam I Hydro-electric Project.

(E) The State of Maharashtra can use an additional quantum of 7 TMC downstream of the Bhopalpatnam I Hydro-electric Project for its existing, under construction and proposed projects/schemes each using not more than 1.5 TMC annually.

(F) The above uses by the States of Madhya Pradesh and Maharashtra would be without prejudice to the Agreements concerning Kotri-Nibra Hydel Project, Bandia Hydel Project and Nagur II Hydel Project entered into between the two States and as ratified by both the Governments.

(G) The State of Andhra Pradesh can use the remaining waters of the Indravati sub-basin downstream of the Bhopalpatnam I Hydro-electric Project site of the States of Madhya Pradesh and Maharashtra.

(H) The States of Madhya Pradesh and Maharashtra agree that regulated releases after generation of power from Bhopalpatnam I Hydro-electric Project, a joint project of the two States as per the finalised scope would be available for use lower down for the Inchampalli Project another joint project of all the three States, viz., Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Maharashtra.

(VIII) G-12 Sabari sub-basin:

(A) Subject to the provisions of the Inter-State Agreement dated 19-12-1975 affirming the bilateral Agreement dated 9-12-1975 between the States of Orissa and Madhya Pradesh, and any equitable allocation that may be made to the State of Orissa by the Godavari Water Disputes Tribunal in the Sabari sub-basin, the allocation to the States of Madhya Pradesh and Andhra Pradesh shall be as agreed to hereunder. Downstream of the point where the Sabari forms the common boundary between the States of Orissa and Madhya Pradesh (at near about Lat. 18°-55′-04″N and Long. 82°-14′-53″E), the State of Madhya Pradesh can use all the waters upto the following project sites on the tributaries of river Sabari as indicated below:—

(a) Baru Nadi Integrated Project :

(i) Barunadi site across Baru river near village Tankavada, Lat. 18°-45′-33″N and Long. 81°-48′-50″E.

(ii) Bhimsen storage site across Bhimsen near village Bodavada, Lat. 18°-45′-0″N and Long. 81°-55′-46″E.

(iii) Kudripal Picjkup weir site across Baru river near village Kudripal. Lat. 18°-40′-42″N and Long. 81°-51′-30″E.

(b) Mupari Project site across Mupari (Jamair) river near village Jamair. Lat. 18°-42′-30″N and Long. 81°-45′-0″E.

(c) Gorali Nadi Project:

(i) Gorali dam site across Gorali nadi near village Kanjipani. Lat. 18°-32′-50′N and Long. 81°-40′-55″E.

(ii) Andumpal dam site across Pulnadi near village Andumpal. Lat. 18°-34′-43″N and Long. 81°-42′-04″E.

(d) Sailervagu Integrated Project :

(i) Mankapal dam site across Malengar river near village Mankapal. Lat. 18°-32′-06″N and Long. 81°-29′-26″E.

(ii) Sailervagu dam site across Sailervagu near village Paila. Lat. 18°-26′-12″N and Long. 81°-31′-38″E

(e) Ordeltong Integrated Project :

(i) Ordeltong dam site across tributary of Tinarayavagu near village Ordeltong. Lat 18°-13′-24″N and Long. 81°-24′-06″E.

(ii) Tinarayavagu dam site across Tinarayavagu near village Korrapal.

Lat. 18°-11′-0″N and Long. 81°-17′-56″E.

(f) Janavagu Integrated Project :

(i) Janavagu dam site across Janavagu near village Gorkha. Lat. 17°-57′-24″N and Long. 81°-20′-15″E.

(ii) Elemmadugu vagu dam site across Elemmadugu vagu near Jarput village. Lat. 18°-03′-42″N and Long. 81°18′-09″E.

(B) The State of Madhya Pradesh can use an additional quantity of 18 TMC downstream of the project sites as specified in clause (VIII) (A) above, for its existing, under construction and proposed schemes each using not more than 1.5 TMC annually.

(C) The quantum of water to meet the evaporation losses of the power projects across the Sabari, the State of Madhya Pradesh will be in addition to the quantum as specified in clauses (VIII)(A) and (B) above and this quantum would however be limited to 10 TMC while excess if any, shall be borne by the State of Madhya Pradesh out of its quantum already specified in clauses (VII) (A) & (B) above.

(D) The State of Andhra Pradesh can use the remaining waters of the Sabari sub-basin for the existing, under construction and proposed schemes/projects after the uses by the State of Madhya Pradesh for projects/schemes as specified in clauses (VIII) (A) to (VIII) (C) above and the allocation that may be made by the Godavari Water Disputes Tribunal to the State of Orissa in this sub-basin.

(E) The State of Madhya Pradesh agrees subject to the State of Orissa agreeing for the construction of Polavaram Project of the State of Andhra Pradesh so that the maximum submergence in Madhya Pradesh territory at Konta does not exceed RL+150 ft. due to all effects including back water effect. The Polavaram Project shall be designed for the maximum probable flood in consultation with the Central Water Commission so as not to exceed the limit of submergence mentioned above. For the submerged lands and properties both of the Government as well as private parties, the cost of compensation and rehabilitation on the basis of the norms in vogue in the Country at the time of the construction of the project shall be charged to the project Model villages with facilities/amenities etc., shall be constructed at the cost of the project before the submergence actually takes place. The sovereignty over the land shall continue to vest with the respective States. The State of Madhya Pradesh can lift 1.5 TMC from the Polavaram lake for its use within its territory without bearing any cost of storage and this use shall be out of the allocation agreed to for the States as in clause (VIII).

(F) The State of Madhya Pradesh can transport its forest or mineral produce through all navigational facilities/lock etc., which shall be provided by Andhra Pradesh at its own cost at Polavaram. These facilities will be available to the State of Madhya Pradesh at the Polavaram Project, at the rates applicable to the State of Andhra Pradesh for their own cargo at Polavaram. The State of Madhya Pradesh can develop and exploit pisciculture and boating facilities in its own territory.

(IX) General Clauses :

(1) (a). The States of Madhya Pradesh and Maharashtra may vary the Location of sites of projects using more than 2.5 TMC annually which have been specifically mentioned in the above paragraphs by informing the lowest State/States. If as a result of shifting or alteration in the case of any such specified sites upto which a State has been permitted to use all the water more or less catchment area than what is indicated in above clauses is intercepted, a corresponding reduction/increase will be made in the catchment area of other specified sites, so that the total catchment area allowed for each State for interception of all the water is not exceeded.

(b) It is also agreed that with respect to projects as specified in clauses (III) (1) (B), (V) (1) (B) and (H), (V) (2) (B), (VI) (2) (B), (VII) (C), (VII) (E), (VIII) (A) and (VIII) (B) and if there is a marginal increase of utilisation over 1.5 TMC but not exceeding 2 TMC for each project, such increase may be permitted by mutual consultation between the State concerned and the lower Riparian State/States, provided that the total utilisation as specified in each of the said clauses is not exceeded by the concerned State.

(2) In the above Agreement, wherever specified quantities of the water has been mentioned as permitted use by any State it is agreed that the use shall be measured in the manner indicated below :—

Use	Measurement
(i) Irrigation use	100 percent of the quantity diverted or lifted from the river or any of the tributaries or from any reservoir, storage or canal and 100 percent of evaporation losses in these storages.
(ii) Power use	100 percent of evaporation losses in the storage.
(iii) Domestic and Municipal Water Supply within the basin.	by 20 percent of the quantity of water diverted or lifted from the river or any of its tributaries or from any reservoir, storage or canal.
(iv) Industrial use within the basin.	by 2.5 percent of the quantity of water diverted or lifted from the river or any of its tributaries or from any reservoir or storage or canal.
(v) All uses outside the basin.	100 percent of the quantity diverted or lifted from the river or any of the tributaries or from any reservoir, storage or canal.

(3) It is agreed that in using the waters permitted to each State in the above Agreement no State can construct projects other than those already specifically agreed to, submerging the territory of another State/States, without the prior consent of that State for such submergence.

(4) It is agreed that all the States can make use of underground water within their respective State territories in the Godavari basin and such use shall not be reckoned as use of the water of the river Godavari.

(5) The sub-basins referred to in the Agreement are according to the division of Godavari Basin into Sub-basins made in the Report of the Krishna Godavari Commission in Chapter III paragraph 4.27 at page 28.

(6) Use shall include any use, made by any State of the water of the river Godavari and its tributaries for domestic, municipal, irrigation, industrial, production of power, navigation, pisciculture, wild life protection, recreation purposes and evaporation losses from the storages created for the above purposes.

(7) All the levels mentioned in the clauses above are with reference to the G.T.S. levels.

(8) This agreement is subject to ratification by the respective State Government of Maharashtra, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh.

Dated the 7th August, 1978.

Sd/-
(V.R. Deuskar)
Secretary, Irrigation Department
Government of Maharashtra.

Sd/-
(R.K. Tikku)
Secretary, Irrigation & Power
Departments, Government
of Madhya Pradesh.

Sd/-
(M. Gopala Krishnan)
Secretary, Department of Irrigation &
Power, Government of Andhra Pradesh.

ANNEXURE "C"

Annexure I—Godavari

Summary Record of the Discussion of the Meeting held between the Chief Ministers of Karnataka and Andhra Pradesh at Bangalore on 4th August 1978.

The following were present :

Karnataka	Andhra Pradesh
1. Sri D. Devaraj Urs, Chief Minister	1. Dr. M. Chennareddy Chief Minister
2. Sri N. Narasimha Rau, Chief Secretary	2. Sri, G.V. Sudhakara Rao, Irrigation Minister
3. Sri J.C. Lynn, Secretary to Chief Minister	3. Sri M. Gopalakrishnan, Secretary, Irrigation & Power
4. Sri B.C. Angadi, Special Secretary, P.W. & E. Deptt. (Irrigation)	4. Sri B. Gopalakrishna Murty Adviser, Irrigation & Power
5. Sri S. R. S. Sastry, Chief Engineer, W.R.D.O.	5. Sri K.R. Chudamani, Adviser, Irrigation & Power
6. Sri B. Subramanyam, Chief Engineer, Bangalore Water Supply & Sewerage Board.	6. Sri M. Satyanarayana Singh, Special Officer, Water Resources

After discussion, the following points were agreed to

Andhra Pradesh and Karnataka agree that Karnataka would, in addition to its existing utilisation above the proposed Singur project in the Manjra sub-basin and the utilisation for Karanja and Chulkinala projects, as per the agreement of 17-9-1975 read with the agreement of 19-12-1975 utilise one TMC of water more for lift irrigation from the Manjra river.

2. In order to utilise this quantity or any other additional quantity that may be agreed to later, on the Manjra, Karnataka may put up such pondage as may be necessary and as may be agreed to between Andhra Pradesh and Karnataka to utilise one TMC of such additional agreed quantities as may become available for this purpose.

3. Andhra Pradesh and Karnataka agree that Karnataka may utilise 2.5 (Two point five) TMC of water in the Manjra sub-basin in its territory in the catchment below Nizamsagar project.

4. Andhra Pradesh and Karnataka agree that Andhra Pradesh may go ahead with the construction of the Singur project, as proposed by Andhra Pradesh, with the maximum capacity of 30 TMC of gross storage with FRL/MWL of plus 523.6 metres (1717.41 ft.) above MSL.

5. Karnataka will take necessary action to acquire any land or structure that may be submerged and/or affected under Singur project and Andhra Pradesh agrees to bear the cost of acquisition the cost of rehabilitation of the displaced families and the cost of construction of bridges and roads that may become necessary. Such acquisition and rehabilitation shall be as per the norms prevailing in Karnataka at the time of acquisition/ Rehabilitation Karnataka also agreed to the submergence of the river bed and its stream-beds.

6. In the event of Andhra Pradesh developing hydro-electric power at Singur project, Karnataka and Andhra Pradesh agree to share the cost and benefits of such power in such proportion as may be agreed upon.

7. (a) Subject to the clearance of Polavaram Project by the Central Water Commission for FRL/MWL plus 150 ft. the State of Andhra Pradesh agrees that a quantity of 80 TMC at 75 per cent dependability of Godavari Waters from Polavaram project can be diverted into Krishna river above Vijayawada Anicut displacing the discharges from Nagarjunasagar project for Krishna Delta, thus enabling the use of the said 80 TMC for project upstream of Nagarjunasagar.

(b) The States of Andhra Pradesh and Karnataka agree that the said quantity of 80 TMC shall be shared in the proportion of Andhra Pradesh 45 TMC, Karnataka and Maharashtra together 35 TMC.

(c) Andhra Pradesh agrees to submit the Polavaram project report to Central Water Commission within three months of reaching an over-all agreement on Godavari Waters among the five-party States.

(d) Andhra Pradesh agrees to bear the cost of diversion fully.

(e) Maharashtra and Karnataka are at liberty to utilise their share of 35 TMC mentioned in sub-para 7(b) above from the date of clearance of the Polavaram Project by Central Water Commission with FRL/MWL of plus 150 ft. irrespective of the actual diversion taking place.

(f) It is also agreed that if the diversion at 75 per cent dependability as stated in clause (a) above exceeds the said quantity of 80 TMC due to diversion of Godavari waters from the proposed Polavaram Project into Krishna river, further diminishing

the releases from Nagarjunasagar project such excess quan ti shall also be shared between the three States in the same proportion as in sub-clause (b) above.

Mr. S. Chaudhuri,	Mr. P. Ramachandra Reddy,
Counsel for the	Advocate General for the
State of Karnataka	State of Andhra Pradesh

ANNEXURE II

KRISHNA

Summary Record of the Meeting held between the Chief Ministers of Karnataka and Andhra Pradesh at Bangalore on 4th August, 1978

The following were present :

Karnataka	Andhra Pradesh
1. Sri D. Devaraj Urs, Chief Minister	1. Dr. M. Chennareddy, Chief Minister
2. Sri N. Narasimha Rau, Chief Secretary.	2. Sri G.V. Sudhakara Rao, Irrigation Minister.
3. Sri J.C. Lynn, Secretary to Chief Minister	3. Sri M. Gopalakrishnan, Secretary, Irrigation & Power
4. Sri B.C. Angadi, Special Secretary, P.W. & E. Dept. (Irrigation)	4. Sri B. Gopalakrishna Murthy, Adviser, Irrigation & Power
5. Sri S.R.S. Sastry, Chief Engineer, W.R.D.O.	5. Sri K.R. Chudamani, Adviser, Irrigation & Power
6. Shri B. Subramanyam, Chief Engineer, Bangalore Water Supply and Sewerage Board.	6. Sri M. Satyanarayna Singh, Special Officer, Water Resources.

After discussion, the following points were agreed to :

Karnataka and Andhra Pradesh agree that Andhra Pradesh would go ahead with the proposed Jurala Project with FRL/MWL of plus 1045 feet above MSL in Krishna basin.

2. Karnataka will take necessary action to acquire any lands or structures that may be submerged and/or affected under Jurala Project and Andhra Pradesh agrees to bear the cost of acquisition, the cost of rehabilitation of the displaced families and the cost of construction of bridges and roads and cost of protection or shifting of temples and other religious shrines that may become necessary, as decided by Karnataka. Such acquisition and rehabilitation shall be as per the norms prevailing in Karnataka at the time of acquisition/rehabilitation. Karnataka also agrees to the submergence of river bed and tream beds.

3. Karnataka and Andhra Pradesh also agree that in the event of Andhra Pradesh generating power from this project, the cost and benefits of hydro-power will be shared equally between the two States. The question of what would constitute the cost of hydro-power was not discussed and will be agreed upon separately.

Mr. S. Chaudhuri,	Mr. P. Ramachandra Reddy,
Counsel for the	Advocate General for the
State of Karnataka	State of Andhra Pradesh.

ANNEXURE "D"

GODAVARI

Proceedings of the meeting between the Chief Ministers of Andhra Pradesh and Orissa at Hyderabad on the 15th of December, 1978.

The following were present :

Andhra Pradesh	Orissa
1. Dr. M. Channa Reddi, Chief Minister.	1. Sri Nilamani Routroy, Chief Minister.
2. Sri G. Rajaram, Minister for Finance and Power.	2. Sri Pratap Chandra Mohanty, Minister for Revenue & Power.
3. Sri G.V. Sudhakar Rao, Minister for Major Irrigation & Commercial Taxes.	3. Sri Prahllad Mallik, Minister for Irrigation.
4. Sri I. J. Naidu, IAS, Chief Secretary.	4. Sri B.M. Patnaik, Advocate General.
5. Sri S.R. Rama Murthy, IAS., Secretary to Chief Minister.	5. Sri B. Ramadoral, IAS, Secretary, Irrigation & Power.
6. Sri P. Ramachandra Reddi, Advocate General.	6. Sri A.K. Biswal, Secretary to Chief Minister.
7. Sri C.N. Shastry, IAS, Secretary, Irrigation & Power.	7. Sri S.C. Tripathy, Chief Engineer, Irrigation.
8. Sri M. Gopalakrishnan, IAS., Secretary, Primary & Secondary Education.	8. Sri B. Mishra, Chief Engineer, Electricity.
9. Dr. N. Tata Rao, Chairman, A.P.S.E.B.	9. Sri M.L. Lath, Executive Engineer, Irrigation.
10. Sri Satyanarayan Singh, Special Officer, Water Resources.	
11. Sri D.V. Sastry, Advocate.	

After full discussions, the following agreement was reached :

I. G-11 Indravati sub-basin :

The State of Orissa can utilise its share of water in G-11 Indravati sub-basin in terms of the Inter State agreement dated 19-12-1975 affirming the bilateral agreement dated 9-12-1975 between the States of Orissa and Madhya Pradesh.

II. G-12 Sabari sub-basin :

A. The State of Orissa can use all the water of the river Sabari (Kolab) upto the point (at near about Lat. 18°-55'-04" N and Long 82°-14'-53"E) where the river Sabari forms the common boundary between the State of Orissa and the State of Madhya Pradesh in terms of the Inter-state Agreement dated 9-12-1975, Clause V.

B. The States of Orissa and Andhra Pradesh agree for utilisation of all waters upto the following project sites on the tributaries and sub-tributaries of the river Sabari (Kolab) by the State of Orissa.

(i) Govindapalle Project on :—

(a) Dharmgedda nalla site near Lingiyaput village Lat. 18°-36'-07"N. and Long. 82°-16'-11"E.

(b) Jamnadi site near Govindpalli village Lat. 18°-36'-13" N, and Long 82°-16'-48" E.

(c) Garia nadi site near Doraguda village. Lat 18°-34'-03"N'. and Long 82°-17'-18" E.

(ii) Satiguda Project site on the tributary of Potteruvagu. Lat. 18°-18'-57" N. and Long. 81°-56'-24" E.

(iii) Parasanapalle project site on the tributary of Sabari near village Parasanapalli—Lat. 18°-16'-44"N. and Long. 81°-36'-44" E.

(iv) Potteru project site on Potteruvagu near Surlikunta village. Lat. 18°-12'-30"N. and Long 82°-01'-30"E.

C. The State of Orissa in addition to the uses as specified in clauses II(A) and II(B) above, can use 40 U Tmc., for its existing, under construction and proposed project/schemes each using not more than 1.5 tmc. annually.

D. Downstream of the point where the Sabari forms the common boundary between the States of Orissa and Madhya Pradesh (at near about Lat. 18°-55'-04" N and Long 82°-14'-53" E.) and upto the confluence of the Sileru and the Sabari, the State of Orissa, can use not more than 27 tmc., for irrigation by withdrawals from the main river for its existing, under construction and proposed schemes/projects.

E. The quantum of water to meet the evaporation losses of project under clause II D and power projects across the Sabari by the States of Madhya Pradesh and Orissa in terms of clause V of bilateral agreement dated 9-12-1975 between Orissa and Madhya Pradesh will be in addition to the quantum specified in clauses II A, B, C & D above and shall be shared in such proportion as the said two States may agree. However the share of Orissa in excess of 10 T.M.C. in the evaporation losses mentioned above shall be met from its quantum specified in clauses II A, B, C & D above.

F. The States of Orissa and Andhra Pradesh shall utilise the Sileru river waters in terms of :

(a) 1946 Agreement between the Governments of Madras and Orissa regarding development of Hydro-electric power at Dudma falls on the Machkund river.

(b) Final agreement between the Governments of Orissa and Andhra Pradesh in relation to the use of the waters of the Sileru river dated the 4th September, 1962

(c) Any other subsequent agreement/agreements that the two States of Orissa and Andhra Pradesh may mutually conclude in future.

(d) All use of water for beneficial purpose by the States of Orissa and Andhra Pradesh for their existing, under construction and proposed schemes/projects upstream of Machkund Project the total utilisation under which shall not exceed 2 TMC by each State will be charged to their respective shares at Machkund correspondingly reducing their respective share of power at Machkund & Dudma falls. Similarly, use under Schemes/projects which shall not exceed 2 TMC by each State downstream of Machkund project and upstream of Balimela Dam, will be charged to their respective shares at Balimela dam project reducing their respective shares of water by the total quantity used both above Machkund project and between Machkund and Balimela project. All such use should be intimated to the other Government.

(e) Not withstanding any restriction imposed under the past agreements, the State of Orissa will be permitted to utilise not exceeding 2 TMC of Sileru water for beneficial use downstream of Balimela dam for its existing, under construction and future projects out of the yield of the catchment lying down-stream of Balimela dam project. This quantity will be out of 40 TMC as specified in Clause II(C) above.

G. The State of Orissa agrees for the construction of Lower Sileru Irrigation scheme with FRL+235 ft. and MWL+262 ft. by the State of Andhra Pradesh, which involves some submergence in the State of Orissa. The State of Andhra Pradesh shall bear the cost of compensation for submergence of land and properties both of the Government as well as private parties that may be agreed to. The provision of rehabilitation of the oustees will be made as per the norms in vogue in the State of Orissa at the time of construction of the project.

H. The State of Andhra Pradesh can, subject to agreement dated 7-8-1978, use the remaining waters in the Sabari Sub-basin excluding Sileru river vide clause F above for the existing, under construction and propsed schemes/projects after the uses by the State of Orissa for projects/Schemes as specified in Clauses I & II A to E above.

I. The States of Orissa and Andhra Pradesh agree for the construction of Polavaram Projects of the State of Andhra Pradesh, so that the maximum submersion in the State of Orissa territory at Motu/Konta does not exceed R.L.+150 ft. due to all effects including back water effect. The Polavaram projec

shall be designed for the maximum probable flood in consultation with the Central Water Commission so as not to exceed the limit of submergence mentioned above. For the submerged lands and properties both of the Government as well as private parties, the cost of compensation and rehabilitation on the basis of the norms in vogue in the State of Orissa at the time of the construction of the projects shall be charged to the project. Model villages with facilities/amenities etc. shall be constructed at the cost of the project before the submergence actually takes place.

The sovereignty over the land shall continue to vest with the respective States. The State of Orissa can lift 5 TMC from the Polavaram lake, without bearing any cost of the storage for its use in their territory and this use shall be reckoned against the allocation made to that State as specified in clause II above. The State of Orissa can transport their forest or mineral produce through all navigational facilities/lock etc.; which shall be provided by the State of Andhra Pradesh at its own cost at Polavaram. These facilities will be available to the State of Orissa at the Polavaram Project at the rates applicable to the State of Andhra Pradesh for their own cargo at Polavaram. The State of Orissa can develop and exploit pisciculture and boating facilities in their own territory. The States are agreeable to the level of RL+150 feet for Polavaram storage as defined above only on the express conditions that any of the provisions, facilities and liberties given for utilisation of waters of the Godavari and its tributaries, to each other in this Agreement herein above or hereunder are not at all disturbed.

III. General clauses :

(1) (a) The State of Orissa may vary the location of sites of projects using more than 1.5 TMC, annually which have been specifically mentioned in the above clauses by informing the lower State/States. If as a result of shifting or alteration in the case of any such specified sites upto which a State has been permitted to use all the water more or less catchment area than what is indicated in the above clauses is intercepted, a corresponding reduction/increase will be made in the catchment area of other specified sites, so that the total catchment area allowed for each State for interception of all the water is not exceeded.

(b) It is also agreed that with respect to projects as specified in clauses I & II above if there is a marginal increase of utilisation over 1.5 TMC, but not exceeding 2 TMC, for each Project, such increase may be permitted by mutual consultation between the States concerned and the lower Riparian State/States, provided that the total utilisation as specified in each of the said clauses is not exceeded by the concerned State.

(2) In the above agreement, wherever specified quantities of the water has been mentioned as permitted use by any States it is agreed the use shall be measured in the manner indicated below :

Use	Measurement
(i) Irrigation use.	100 percent of the quantity diverted or lifted from the river or any of the tributaries/or from any reservoir, storage or canal and 100 percent of evaporation losses in these storages.
(ii) Power use.	100 percent of evaporation losses in the storage.
(iii) Domestic and Municipal water supply within the basin.	By 20 percent of the quantity of water diverted or lifted from the river or any of its tributaries or from any reservoir, storage or canal.
(iv) Industrial use within the basin.	By 2.5 percent of the quantity of water diverted or lifted from the river or any of its tributaries or from any reservoir or storage or canal.
(v) All uses outside the basin.	100 percent of the quantity diverted or lifted from the river or any of the tributaries or from any reservoir, storage or canal.

(3) It is agreed that in using the waters permitted to each State in the above agreement no State can construct a project other than those already specifically agreed to submerging the territory of another State/States, without prior consent and acceptance by mutual discussions by that State for such submergence.

(4) It is agreed that all the States can make use of underground water within their respective State territories in the Godavari basin and such use shall not be reckoned as use of the water of the river Godavari.

(5) The sub-basins referred to in this agreement are according to the division of Godavari basin into sub-basins made in the report of the Krishna Godavari Commission in Chapter III paragraph 4.27 at page 28.

(6) Use shall include any use, made by any State of waters of the river Godavari and its tributaries or domestic, municipal, irrigation, industrial, production of power, navigation, pisciculture, wild life protection, recreation purposes and evaporation losses from the storages created for the above purposes.

(7) All the levels mentioned in the clauses above are with reference to G. T. S. levels.

Sd/-

(Dr. M. Channa Reddi)
Chief Minister,
Andhra Pradesh.

Sd/-

(Nilamani Routroy)
Chief Minister,
Orissa.

ANNEXURE "E"

ANNEXURE I

VIDHAN SOUDHA, BANGALORE
Dated 29th January, 1979

B. C. ANGADI,

Special Secretary to

Government

Irrigation Department

D. O. No. PWD 25 BRA 78

Dear Shri Deuskar,

Sub :— Agreement between Maharashtra and Karnataka regarding Godavari waters distribution.

In confirmation of our telephonic talks during the last week, I have to state that we agree that :

(a) 35 TMC of water in Krishna, which is the share of Karnataka and Maharashtra out of 80 TMC of Godavari diversion by the State of Andhra Pradesh from Polavaram Barrage, shall be shared between Karnataka and Maharashtra as under :—

Karnataka	21 TMC
Maharashtra	14 TMC

(b) Karnataka had requested for at least 1 TMC of Manjra waters upstream of Nizamsagar from the share allocated to Maharashtra. Maharashtra has expressed its inability to spare this water. Karnataka accepts that position in the interest of arriving at an agreement.

(c) A copy of this letter with your confirmation to it may be filed before the Godavari Tribunal on 2-2-1979.

Kindly confirm the above points as agreed on telephone.

Yours Sincerely,

Sd/-

29-1-1979

(B. C. ANGADI)

Shri V. R. Deuskar,
Secretary to Government,
Irrigation Department,
Government of Maharashtra,
Mantralaya,
Bombay-400032.

ANNEXURE II

V. R. Deuskar,

Secretary to Government

D.O.No. ISW 5179-KG
Irrigation Department,
Mantralaya, Bombay-400032.
Camp : New Delhi.
Dated the 30th January, 1979

Sub : Agreement between Maharashtra and Karnataka regarding Godavari waters distribution.

Ref : Your D.O. letter No. PWD 25 BRA 78 dated 29th January, 1979

Dear Shri Angadi,

In confirmation of our telephonic talk during the last week and with reference to your above D.O. letter, the points as agreed between the two States mentioned in your letter are hereby confirmed subject to the following understanding :—

The present ratio of sharing of 35 TMC viz.14 to Maharashtra and 21 to Karnataka shall not be applicable to any additional water that would become available by virtue of Andhra Pradesh diverting water in excess of 80 TMC.

We may authorise our Counsel before Godvari Water Disputes Tribunal to draw up an agreement in a proper form in terms of our understanding reached between the two States and file it before the Godavari Tribunal.

Yours Sincerely,

Sd/-

(V. R. DEUSKAR)

Shri B. C. Angadi,
Special Secretary,
Irrigation Department,
Government of Karnataka,
Bangalore.

ANNEXURE III

B. C. ANGADI,
Special Secretary to Government,
Irrigation Department.

VIDHANA SOUDHA, BANGALORE
Dated 31-1-1979

D.O. No. PWD 25 BRA 78

Dear Shri Deuskar,

Sub :— Agreement between Maharashtra and Karnataka regarding Godavari waters distribution.

I received your D.O. letter No. ISW 5179-KG, dated 30-1-1979 through telex, confirming our telephonic talk and points agreed

between the two States as mentioned in my D.O. letter No. PWD 25 BRA 78, dated 29th January 1979.

2. I further agree that the following condition mentioned in your above letter, namely that :—

"The present ratio of sharing 35 TMC viz, 14 to Maharashtra and 21 to Karnataka shall not be applicable to any additional water that would become available, by virtue of Andhra Pradesh diverting water in excess of 80 TMC."

should form part of the agreement which should be drawn up and filed before the Tribunal.

Yours sincerely,

Sd/-

B. C. ANGADI

Shri V. R. Deuskar,
Secretary to Government,
Irrigation Department,
Government of Maharashtra,
Mantralaya,
Bombay-400032.

ANNEXURE "F"

Agreement entered into between the States of Orissa & Madhya Pradesh

After full discussions, the following agreement was reached at Bhopal on 11th July 1979 :

G 11: **Indravati Sub-basin :**

1. **ORISSA**

The State of Orissa can use all the waters upto Upper Indravati Project site comprising :

(i) Indravati dam site (Lat. 19°-16'N & Long. 82°-50'E).

(ii) Podaga dam site (Lat. 19°-14'N and Long. 82°-49'E)

(iii) Kapur dam site (Lat. 19°-06'N and Long. 82°-47'E)

(iv) Muran dam site (Lat. 19°-06'N and Long. 82°-46'E).

(b) Out of the balance flows available below the Upper Indravati Project within its territory, the State of Orissa shall ensure forty five (45) tmc of water to flow down at the Orissa-Madhya Pradesh border in the Indravati sub-basin. In the years, when the diversion of water outside the Godavari basin at the Upper Indravati Project is less than eighty five (85) tmc. (exclusive of evaporation losses) this quantum of forty five (45) tmc at the Orissa-Madhya Pradesh border in the Indravati sub-basin will be reduced in the same proportion as the reduction in the quantum of eighty five (85) tmc. The State of Orissa can use all the balance water thus left within its territory for its existing, under construction & proposed projects/schemes.

(c) (i) The States of Orissa and Madhya Pradesh agree to measure this quantum of forty five (45) tmc at Jagdalpur gauge site across Indravati river, which is maintained at present by the Central Water Commission, subject to adjustment as mentioned in sub-paragraph (c) (ii).

(ii) The catchment area of the State of Orissa contributing to the flow in Indravati river below Jagdalpur gauge site is about two hundred and thirty eight (238) square miles, while the catchment area of the State of Madhya Pradesh upto gauge site is about one hundred and ninety eight (198) square miles. The seventy five (75) percent dependable yield from this area of forty (238 minus 198 equal to 40) square miles may be taken as two point eight (2.8) tmc. This quantum of two point eight (2.8) tmc will be added to the observed flow at Jagdalpur gauge site for estimating the flows available at the Orissa-Madhya Pradesh border specified in sub-paragraph 1 (b). The quantum of two point eight (2.8) tmc will be reduced proportionately in the lean years in the same proportion to the reduction of seventy five (75) percent dependable yield of eighty-nine point five (89.5) tmc at upper Indravati Project site as cleared by Planning Commission.

(iii) At any time if the Central Water Commission closes Jagdalpur gauge site, the two States shall maintain the gauge site jointly or any other site(s) as may be mutually agreed upon for the purpose.

2. **MADHYA PRADESH**

(a) The State of Madhya Pradesh can use two hundred and seventy three (273) tmc of water for its various existing, under construction and proposed projects/schmes, subject to the agreed uses in paragraph (1) upto the Bhopalpatnam-I Hydro-electric project site (Lat. 19°-03'-45"N and Long. 80°-19'-05"E) across Indravati river—a joint project between the States of Madhya Pradesh and Maharashtra. This quantum includes the share of evaporation loss of the State of Madhya Pradesh at the Bhopalpatnam-I reservior.

(b) The State of Madhya Pradesh in addition to the uses as agreed to in paragraph 2(a) can use all the waters upto the following project sites on the tributaries joining the Indravati downstream of Bhopalpatnam-I Hydro-electric project site :

(i) Chintavagu dam site on Chintavagu near village Pavrel (Lat. 18°-41'-25"N and Long. 80°-40'-47"E).

(ii) Jallavagu dam site on Jallavagu near village Chillamarka (Lat. 18°–56'–34" N and Long. 80°-21'–34" E.)

(iii) Kothapalli Integrated Project across tributary of Chintavagu comprising:

(1) Kothapalli dam site:

(Lat. 18°-40'-54" N and Long. 80°-34'-54" E.)

(2) Minur dam site:

(Lat. 18°-45'-24" N and Long. 80°-28'-13" E)

(c) The State of Madhya Pradesh can use an additional quantity of nineteen (19) tmc of water downstream of the project sites specified in paragraphs 2(a) and 2(b) for its existing under construction and proposed projects/schemes each using not more than one point five (1.5) tmc annually.

G-12 Sabari sub-basin.

3. Orissa (a) The State of Orissa can use all the waters of Sabari (Kolab) river upto a point near about Lat. 18°-55'-04"N and Long. 82°-14'-53" E where Sabari river forms the common boundary between the States of Orissa and Madhya Pradesh.

(b) In addition to the above, the State of Orissa can use all the waters upto the following project sites on the tributaries of Sabari (Kolab) river:

(i) Govindpalli Project site comprising:

(1) Dharamgedda nalla near Lingiyaput village (Lat. 18°-36'-07" N and Long. 82°-16'-11" E).

(2) Jamnadi near Govindpalle village (Lat. 18°-36'-13" N and Long 82°-16'-48" E.)

(3) Garia nadi near Doraguda village (Lat. 18°-34'-03" N and Long. 82°-17'-18" E).

(ii) Satiguda project site on the tributary of Potteruvagu (Lat. 18°-18'-57" N and Long. 81°-56'-24" E).

(iii) Parasanapalle project site on the tributary of Sabari river near village Parasanapalle (Lat. 18°-16'-44" N and Long. 81°-36'-44" E).

(iv) Potteru project on Potteruvagu near Surlinkunta village (Lat. 18°-12'-30" N and Long. 82°-01'-30" E).

(c) The State of Orissa can use an additional quantity of forty (40) tmc of water down-stream of Projects specified in paragraphs 3(a) and 3(b) for its existing, under construction and proposed projects/schemes each using not more than one point five (1.5) tmc annually.

(d) Downstream of the point where Sabari river forms the common boundary between the States of Orissa and Madhya Pradesh (near about Lat. 18°-55'-04" N and Long. 82°-14'-53" E) and upto the confluence of Sileru and Sabari rivers, the State of Orissa in addition to the use specified in paragraphs 3(a) to 3(c) can use not more than twenty seven (27) tmc of water for irrigation by withdrawals from the main river for its existing, under construction and proposed projects/schemes.

(e) The State of Orissa agrees to exploit Sabari (Kolab) river waters by joint projects on the main Sabari river with the State of Madhya Pradesh from a point on Sabari (Kolab) river near about Lat. 18°-55'-04" N and Long. 82°-14'-53" E where it forms the common boundary between the two States upto the confluence with Sileru river on the basis of agreement(s) to be drawn up at appropriate time, except for use as mentioned in sub-paragraph 3(d). At present Lower Kolab and Konta Projects are under investigation and the sites of these projects will be decided mutually by the two State Governments. The hydel power and the cost debitable to generation of such power will be shared equally between the two States in these or such other projects. The cost and benefit of irrigation, if any from these projects will also be equitably shared between the two States.

(f) The share of evaporation losses for the projects specified in paragraph 3(e) for the State of Orissa to the extent of ten (10) tmc will be in addition to the quantum specified in paragraphs 3(a) to 3(d) and excess if any, will be met from the use specified in paragraphs 3(a) to 3(d).

(g) The use specified for the State of Orissa in paragraphs 3(a) to 3(d) and 3(f) is exclusive of the use in Sileru river as per the agreement dated 15-12-1978 between the States of Orissa and Andhra Pradesh.

4. MADHYA PRADESH (a) The State of Madhya Pradesh can use all the waters of the tributaries of Sabari river downstream of a point where Sabari river forms the common boundary between the States of Orissa and Madhya Pradesh near about Lat. 18°-55'-04" N and Long. 82°-14'-53" E and upto the following project sites:

(i) Baru Nadi Integrated Project comprising:

(1) Barunadi site across Baru river near village Tankavada (Lat. 18°-45'-33" N and Long. 81°-48'-50" E).

(2) Bhimsen storage site across Bhimsen river near village Bodavada (Lat. 18°-45'-0" N and Long. 81°-55'-46" E).

(3) Kudripal Pic-up weir site across Baru river near village Kudripal (Lat. 18°-40'42" N and Long. 81°-51'-30" E).

(ii) Mupari project site across Mupari (Jaimer) river near village Jaimer (Lat. 18°-42'-03-" N and Long. 81°-45'-0 E).

(iii) Gorali Nadi Project comprising:

(1) Gorali dam site across Gorali nadi near village Kanjipani (Lat. 18°-32'-50" N and Long. 81°-40'-55" E).

(2) Andumpal dam site across Pulnadi near village Andumpal (Lat. 18°-34'-43" N and Long. 81°-42'-04" E).

(iv) Sailervagu Integrated project comprising:

(1) Mankapal dam site across Malengar river near village Mankapal (Lat. 18°-32'-60" N and Long. 81°-29'-26" E).

(2) Sailervagu dam site across Sailervagu near village Paila (Lat. 18°-26'-12" N and Long. 81°-31'-38" E.)

(v) Orderltong Integrated Project comprising:

(1) Ordeltong dam site across tributary of Tinarayavagu near village Ordeltong (Lat. 18°-13'-24" N and Long. 81°-24'-06" E).

(2) Tinarayavagu dam site across Tinarayavagu near village Korrapal (Lat. 18°-11'-0" N and Long. 81°-18'-56" E).

(vi) Janavagu Intergrated Project comprising:

(1) Janavagu dam site across Janavagu near village Gorkha (Lat. 17°-57'-24" N and Long. 81°-20'-15" E).

(2) Elammaduguvagu damsite across Elammaduguvagu near Jarput village (Lat. 18°-03'-42" N and Long. 81°-18'-09" E).

(b) The State of Madhya Pradesh can use an additional quantity of eighteen (18) tmc. of water downstream of the project sites specified in paragraph 4(a) for its existing, under construction and proposed projects/schemes each using not more than one point five (1.5) tmc. annually.

(c) (i) The share of evaporation losses of the power projects across Sabari river specified in paragraph 3(e) for the State of Madhya Pradesh to the extent of ten (10) tmc. will be in addition to the quantum specified in paragraphs 4(a) and 4(b) and excess, if any, shall be borne by the State of Madhya Pradesh out of its share specified in paragraphs 4(a) & 4(b).

(ii) The quantum of water for the use by the State of Madhy Pradesh in the joint projects specified in paragraph 3(e) would be met with from the use specified for the State in paragraph 4(a).

(iii) Further, the quantum of water to meet the evaporation losses of the joint projects/schemes specified in the paragraph 3(e) shall be shared euqally between States of Orissa and Madhya Pradesh.

Sd/-
(B. RAMADORAI)
Secretary,
Irrigation & Power Department,
Government of Orissa.

Sd/-
(Dr. ISHWAR DASS)
Secretary,
Irrigation & Power Department Government of Madhya Pradesh.

ANNEXURE "G"

Agreement dated the 2nd April, 1980 between the States of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Orissa

To enable clearance of Polavaram Project, the following is agreed to:—

1. The Polavaram Project spillway shall be designed for a flood discharging capacity of 36 (thirty six) lakh cusecs at pond level of RL+140 (one hundred and forty feet and not less than 20 (twenty) lac cusecs at pond level of RL+130 (one hundred and thirty) feet.

2. The pond level shall not be kept higher than RL+145 (one hundred and forty five) feet in the month of June if the inflow into the Polavaram reservoir exceeds 3 (three) lakh cusecs.

3. On receipt of flood warning from the upper sites and/or due to anticipated inflows into the reservoir requiring regulation, the pond levels shall be regulated as follows:—

(a) the pond level of RL+145 (one hundred and forty five) feet shall be lowevered progressively as the inflows exceed 3 (three) lakh cusecs so as to restrict the pond level to RL+140 (one hundred and forty) feet for an inflow of 10 (ten) lakh cusecs.

(b) for inflow higher than 10 (ten) lakh cusecs the pond level shall be further lowered, so that it does not exceed RL+130 (one hundred and thirty) feet for an inflow of 20 (twenty) lakh cusecs.

(c) for inflow higher than 20 (twenty) lakh cusecs, all the gates shall be opened fully.

(d) the pond level can be built up progressively in the receding floods to RL+140 (one hundred and forty) feet if the inflow drops down to 10 (ten) lakh cusecs and to RL+145 (one hundred and forty five) feet if the inflow drops down to 3 (three) lakhs cusecs or less, but during the months of July and August, the pond level shall not exceed RL+145 (one hundred and forty five) feet.

(e) on or after first September, whenever the inflow in the Polavaram Reservoirs is 1 (one) lakh cusecs or less, the storage at Polavaram can be built up beyond RL+145 (one hundred and forty five) feet, subject to aforementioned depletions at (a) to (c) in the case of higher inflows.

4. In order to protect the lands and properties above RL+150 (one hundred and fifty) feet in the territory of the State of Orissa likely to be affected due to construction of Polavaram Project, protective embankments with adequate drainage sluices, shall be constructed and maintained at the cost of Polavaram Project. However, the State of Orissa may exercise an option at the time of construction of Polavaram Project for compensation to land and property likely to be affected above RL+150 (one hundred and fifty) feet as agreed to in the case of State of Madhya Pradesh in paragraph 5 (five) below.

5. In respect of the proporties in the territory of State of Madhya Pradesh likely to be affected above RL+150 (one hundred and fifty) feet, because of the construction of the Polavaram project, the State of Andhra Pradesh shall :—

(a) Pay compensation towards all bulldings with their appurtenant lands situated above RL+150 (one hundred and fifty) feet which will be affected due to all effects including backwater effect and rehabilitate the oustees, etc. on the same pattern as below RL+150 (one hundred and fifty) feet at the project cost; or

(b) Construct and mantain at the coat of the State of Andhra Pradesh, the necessary protection embankments with adequate pumping arrangements and/or drainage sluices.

The said option for alternatives (a) or (b) being exercised by the State of Madhya Pradesh at the time of the constuction of Polavaram Project depending upon the location of each affected site.

(c) For damages or injury to lands beyond RL+150 (one hundred and fifty) feet in the territory of the State of Madhya Pradesh, in any event, the State of Andhra Pradesh shall pay full compensation for such damage or injury as may be assessed by the District Collector of the said District of the State of Madhya Pradesh.

(d) The State of Andhra Pradesh agrees to fix permanent Bench Marks connected to G.T.S. Bench Marks in the territory of the State of Madhya Pradesh for RL+150 (one hundred and fifty) feet as well as for the backwater effect, in both cases, at an interval of approximate one kilometre all along the periphery of the Polavaram reservoir.

Sd/-	Sd/- H.V. Mahajani	Sd/- M.L. Lath
2.4.80	2.4.80	2.4.80
Representative for the State of Andhra Pradesh.	Representative for the State of Madhya Pradesh.	Representative for the State of Orissa.
Sd/- P. Ramachandra Reddy Advocate General for the state of Andhra Pradesh	Sd/- M.K.Ramamurthy, Senior Counsel, the State of Madhya Pradesh.	Sd/- G. B. Patnaik Govt. Advocate

ANNEXURE "H"

Statenment submitted by Counsel for the Governemnt of India in the Ministry of Energy and Irrigation (Department of Irrigation) and the Central Water Commission.

The Government of India in the Ministry of Energy & Irrigation (Department of Irrigation) and the Central Water Commission are willing to submitt to the following order by the Tribunal :

The Polavaram Project shall be cleared by the Central Water Commission as expeditiously as possible for FRL/MWL+150 feet.

The matter of design of the dam and its operation schedule shall be left to the Central Water Commission which they shall decide keeping in view all the Agreements between the parties, including the Agreement of 2nd April, 1980 filed today, as far as practicable.

If there is to be any change in the operation schedule as indicated in the Agreement of 2nd April, 1980 it shall be made only after consultation with the States of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Orissa. The design aspects shall, however, be left entirely to the Central Water Commission.

Sd/-.
Murlidhar Bhandare
3-4-80
Counsel for the Department of Irrigation and Central Water Commission.

ANNEXURE "I"

Sub-basins of the Godavari basin

G-1 UPPER GODAVARI : This sub-basin includes the reach of the river Godavari from its source to its confluence with the Manjra. The sub-basin excludes the catchment areas of the Pravara, the Purna and the Manjra but includes that of all other tributaries which fall into the Godavari in this reach.

G-2 PRAVARA: This sub-basin includes the entire catchment of the Pravara from the source to its confluence with the Godavari including the catchment areas of the Mula and other tributaries of the Pravara.

G-3 PURNA: This sub-basin includes the entire catchment of the Purna and of all its tributaries.

G-4 MANJRA: This sub-basin includes the entrie catchment of the Manjra from its source to its confluence with the Godavari including the catchment areas of the Tirna, the Karanja, the Haldi, the Lendi, the Maner and other tributaries.

G-5 MIDDILE GODAVARI: This sub-basin comprises the river Godavari from its confluence with the Manjra to its confluence with the Pranhita. The sub-basin includes the direct catchemnt of the Godavari in this reach as well as of its tributaries, except the Maner and the Pranhita.

G-6 MANER: This sub-basin includes the entire catchment of the Maner from its source to its confluence with the Godavari including all its tributaries.

G-7 PENGANGA: This sub-basin includes the entire catchment of the Penganga from its source to its confluence with the Wardha with all its tributaries.

G-8 WARDHA: This sub-basin comprises river Wardha from its source to its confluence with the Wainganga with all its tributaries but excluding the catchment of the Penganga (G-7 above).

G-9 PRANHITA : This sub-basin comprises the catchments of river Wainganga from its source to its confluence with the Wardha and the Pranhita up to its confluence with the

Godavari. The sub-basin includes all the tributaries of the Wainganga and the Pranhita except the Penganga and the Wardha (G-7 and G-8 above). The Wainganga after its confluence with the Wardha is called the Pranhita.

G-10 LOWER GODAVARI: This sub-basin consists of the lower part of the river Godavari from its confluence with the Pranhita up to the sea. The sub-basin includes the direct catchment of the Godavari in this reach with all its tributaries except the Indravati and the Sabari (G-11 and G-12 below).

G-11 INDRAVATI: This sub-basin includes all the areas drained by the Indravati and its tributaries from its source to its confluance with the Godavari.

G-12 SABARI: This sub-basin includes the entire catchment of the Sabari river from its source to its confluence with the Godavari including its main tributary Sileru (also known as Machkund river in its initial reaches)."

[F.1/1/80—WD]

C. C. PATEL, Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980.